खण्ड-348, अंक-9
गुरूवार, 30 माघ, शक संवत् 1902
(19 फरवरी, 1981 ई0)

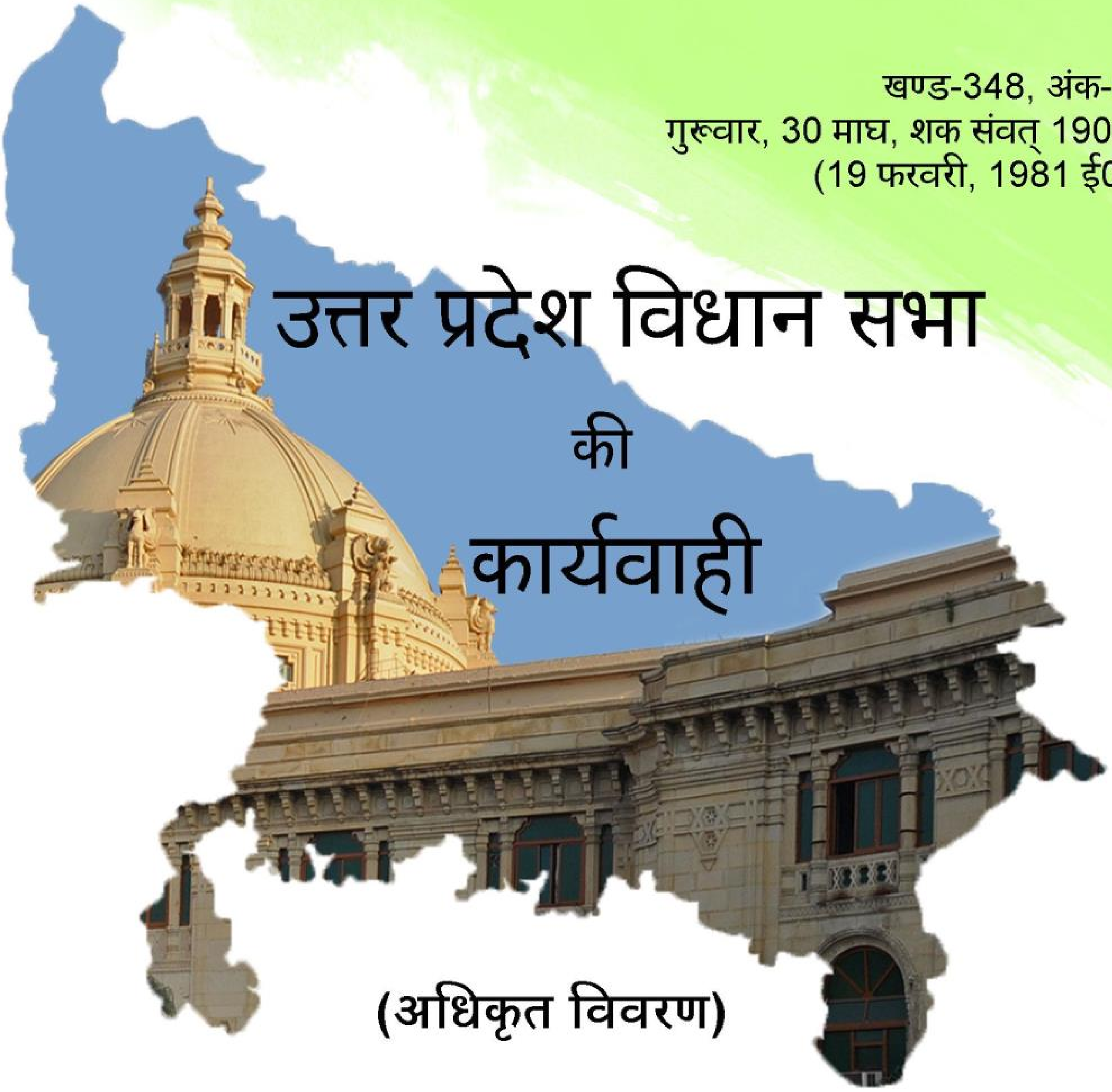

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 348 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. 1193–1196
प्रश्नोत्तर	.. 1197–1236
ग्राम पालपुर, थाना कुमारगंज, जिला फैजाबाद में सामन्तों द्वारा 3 हरिजनों की हत्या तथा कई व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1236–1237
आजमगढ़ में टोंस नदी पर बने ऐतिहासिक पुल को डाइनामाइट से उड़ाने की योजना से नागरिकों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1237
उन्नाव जनपद में सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई महसूल की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1237–1238
आगरा के अतिरिक्त जिलाधिकारी, पूर्ति द्वारा हरिजन कांग्रेस कार्यकर्त्ता श्री काली चरण को अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1238–1239
किसान रैली में भाग लेने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुरादाबाद में खालसा व आनन्द होटल के मालिकों पर फायरिंग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1239–1240
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्य रेल कूपन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. 1240
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. 1240
इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	.. 1240
औचित्य के प्रश्न	.. 1240–1241
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई आदि के सम्बन्ध में सूचना	.. 1241
कतिपय सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना	.. 1241–1242
दिनांक 5 फरवरी, 1981 को श्री हरी किशन श्रीवास्तव द्वारा चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध कही गयी बातों को कार्यवाही से निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	.. 1242–1243
आज सदन में दी गयी दल परिवर्तन की सूचना में लोकतांत्रिक लोकदल की घोषणा न होने पर आपत्ति	.. 1243

विषय	पृष्ठ संख्या
शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री तथा शिक्षा राज्य मन्त्री द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	1243–1244
विधान परिषद् में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत होने पर मन्त्रिमन्डल के त्यागपत्र की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	1244–1245
हरदोई जनपद के भलावां क्षेत्र में जहरीली शराब से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	1245–1246
प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित-कालीन हड़ताल से सभी विभागों के कामकाज ठप होने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1247–1248
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 (पुरःस्थापित किया गया) ..	1248–1250
कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें तथा ग्राम बेहमई थाना सिकन्दरा जिला कानपुर में डाकू फूलन देवी के गिरोह द्वारा 22 व्यक्तियों की हत्या तथा लूटपाट के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	1250–1260
1981–82 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	1260–1297
कार्य मंत्रण समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव--(स्वीकृत) ..	1297–1298
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1298
रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, रामपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं पुलिस द्वारा मजदूरों व उनकी स्त्रियों की पिटाई तथा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी) ..	1298–1302
वित्तीय वर्ष 1981–82 के एक भाग के लिए लेखानुदान (प्रस्तुत किया गया) ..	1302–1303
श्री बल सिंगार यादव द्वारा आय-व्ययक की सामान्य चर्चा में दुबारा किये गये भाषण को कार्यवाही का अंग न बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्देश ..	1303
रजा टेक्सटाइल लिमिटेड रामपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं पुलिस द्वारा मजदूरों व उनकी स्त्रियों की पिटाई तथा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1303–1308
गुरु पोस्ट ग्रेजुएट कालेज कुशीनगर जिला देवरिया के छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1308–1313
नस्थियां ..	1315–1320

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पति, दिनांक 19 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 307

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० पी० ग्राइस, श्री (नामनिर्देशितआंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कोशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखधार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्रवली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)

जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल "विकल साकेती", श्री (फैजाबाद)
जो राज सिंह मौर्य श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वरी, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायान त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरम पाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्दराम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहाँपुर)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभु नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी तैलली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मंजूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)

माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (फैजाबाद)
माधव प्रसाद, श्री (बस्ती)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शीलाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन बनारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राय, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
लल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
बिशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरी शंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 19 फरवरी, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

लखनऊ नगर, पतौरागंज के श्मशान घाट पर लगायी गयी पाबन्दी

*1--श्री मित्रसेन--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा की बैठक दिनांक 24-5-79 को पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संदर्भ में हिन्दुओं की प्राचीन श्मशान भूमि पतौरागंज, लखनऊ में लाशें गाड़ने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लगाई गई पाबन्दी के फलस्वरूप उसके स्थान पर जो वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था की गई थी उसकी क्या शासन से विधिवत् स्वीकृति ली गई है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह वैकल्पिक भूमि रेलवे विभाग की है और इस भूमि में भी लाशें गाड़ने की पाबन्दी लग गई है ? क्या इस सम्बन्ध में नागरिकों की ओर से नगर स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 14-10-80 व 30-10-80 को कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इनमें मुख्य क्या-क्या बातें हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? और इनमें दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

जी नहीं । पतौरागंज स्थित शमशान घाट का वैकल्पिक स्थान रेलवे लाइन के पास कबीर मंदिर के पीछे दिये जाने का निर्णय दिनांक 5-5-79 की बैठक में, जिसमें जिलाधिकारी, लखनऊ महापालिका के प्रतिनिधि, उत्तर पूर्वी रेलवे के प्रतिनिधि, निरालानगर एसोसिएशन के अध्यक्ष, भारतीय शोषित कल्याण संघ के प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय विधायक ने भाग लिया था, लिया गया था ।

जी हाँ ।

जी हां । पत्रों में वर्णित मुख्य-मुख्य बातों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है । जांच कराई जा रही है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का कोई प्रश्न अभी नहीं उठता ।

वर्तमान स्थिति यह है कि नगर महापालिका, लखनऊ ने अपनी बैठक दिनांक 10-2-81 में ग्राम रूपपुर खदरा में दो बीघा सात बिस्वा अपनी भूमि उक्त प्रयोजनार्थ दिए जाने का निर्णय ले लिया है । अस्तु समस्या का समाधान हो जायेगा ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1315 पर)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चूंकि यह सेंसटिव मामला है और हिन्दुओं के श्मशान घाट का सवाल है । जो इस घाट की पूर्व की भूमि थी, उसको लेकर आपने उसका क्या किया है ? जो श्मशान घाट की

जमीन थी, उस जमीन का क्या सदुपयोग किया गया है, सरकार किसने किस काम के लिए उसको लिया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, जो निर्णय लिया गया था, उसमें रेलवे के प्रतिनिधि भी शरीक थे, बाद में उन्होंने कोर्ट का स्टे. आर्डर ले लिया, तो जैसा मैंने प्रश्न के अन्त में बताया है कि उसके लिए एक दूसरी भूमि का आवंटन कर दिया गया है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो पहले श्मशान घाट था, उस घाट को मंत्री महोदय ने क्या किसी अधिकारी को कम रेट पर बंगला बनाने के लिए एलाट कर दिया है । दूसरी बात यह कि 5-5-79 को जो बैठक हुई थी और उसमें जो फैसला लिया गया था, तो उस फैसले में यह बात हुई थी कि उस श्मशान घाट में मुर्दे गाड़े जायेंगे, जलाये नहीं जायेंगे ? क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जांच तो प्रशासक कर रहे हैं ।

श्री हरपाल सिंह व श्री डी० पी० सिंह, पूर्ति निरीक्षक, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*2—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जनपद मुजफ्फरनगर के विधायकों द्वारा दिनांक 21-11-80 को जो शिकायती-पत्र व्यक्तिगत रूप से श्री हरपाल सिंह व श्री डी० पी० सिंह, सप्लाई इन्सपेक्टरों के विरुद्ध दिए गए और जिन पर बात कर खाद्य मंत्री ने गंभीर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था क्या उस पर कोई गंभीर कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह—)

जी हां, श्री हरपाल सिंह व श्री डी० पी० सिंह, पूर्ति निरीक्षकों के सम्बन्ध में दो अलग-अलग शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे ।

श्री हरपाल सिंह, पूर्ति निरीक्षक को मुजफ्फरनगर से मेरठ मण्डल के बाहर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है।

श्री डी० पी० सिंह, पूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को जांच कराने के लिए आदेश दिये गये हैं।

[दिनांक 19 फरवरी, 1981 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ नगर के आलमबाग क्षेत्र की मास्टर प्लान

*1—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र हेतु पिछले वर्षों में कोई मास्टर प्लान की योजना बनी थी ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या कार्य हुआ ? क्या मंत्री जी उसका पूर्ण विवरण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

लखनऊ शहर एवं उसके आस-पास के क्षेत्र के विकास को नियंत्रित करने हेतु महायोजना (मास्टर प्लान) बनाई गई है। आलमबाग इस लखनऊ महायोजना का एक भाग है। अतः उक्त महायोजना में आलमबाग क्षेत्र के विकास के लिए भी प्रस्ताव दिये गये हैं।

आलमबाग क्षेत्र के लिए विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी योजना बनाई है जिसके प्रथम चरण में इस क्षेत्र में 199 एकड़ भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर 28.56 एकड़ भूमि में करीब 900 समाज के दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लिए आवासीय कालोनियां एवं नेबरहुड स्तर का एक व्यापारिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र हेतु पिछले वर्षों में कोई मास्टर प्लान की योजना बनी थी। मैंने केवल आलम बाग की बात पूछी थी, लेकिन मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि आलमबाग इस लखनऊ महायोजना का एक भाग है। अतः उक्त महायोजना में आलमबाग क्षेत्र के विकास के लिए भी प्रस्ताव दिये गये हैं। मैं अब यह जानना चाहती हूं, कि जो आलमबाग क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव किया गया है, जिसका मन्त्री जी ने उत्तर दिया है, तो क्या इसके पहले भी कोई मास्टर प्लान की योजना बनी थी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

आलमबाग के लिये कोई अलग से मास्टर प्लान या महायोजना नहीं बनी है पूरे लखनऊ के लिये है और उसमें लखनऊ का आलमबाग क्षेत्र आता है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैं जानना चाहती हूं कि प्रस्तुत योजना पूरे लखनऊ की है, क्या इसके कुछ वर्षों पूर्व कोई योजना बनी थी जो कि लागू नहीं हुई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

उसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, उत्तर के पैरा 2 में कहा है कि आलमबाग क्षेत्र के लिये विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी योजना बनायी है जिसके प्रथम चरण में इस क्षेत्र में 199 एकड़ भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर, 26.56 एकड़ भूमि में करीब 900 समाज के दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लिये आवासीय कालोनियां एवं नेबरहुड स्तर का एक व्यापारिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहती हूं कि आलमबाग क्षेत्र का एक खास एरिया है, जहां कि जल भराव की समस्या है, तो उसके लिये भी क्या कोई इसमें योजना है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, माननीय सदस्य जिस योजना के बारे में जानना चाहती हैं, उसमें पहले भी वह प्रश्न कर चुकी हैं, उसके लिये जल निकालने के बारे में कोई योजना विचारधीन नहीं है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूं कि आलमबाग क्षेत्र के नाम से वहां एक बड़ी महायोजना है और यह वही क्षेत्र है, जहां पर कि अनेक प्रकार की समस्यायें हैं जैसे जल भराव जिसके सम्बन्ध में मन्त्री जी ने बताया कि जल निकालने के बारे में कोई योजना विचाराधीन नहीं है, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इसकी योजना बनाने पर क्या मन्त्री जी विचार कर रहे हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

अवश्य विचार किया जायेगा ।

श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, चंडेश्वर, जिला आजमगढ़ के प्रवक्ताओं की सेवा समाप्ति

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल चंडेश्वर, आजमगढ़ के तीन प्रवक्ताओं की सेवायें 6 जून, 1980 को प्रशासन द्वारा समाप्त कर दी गयी थीं तथा एक प्रवक्ता को प्रत्यावर्तित करके कम्पाउन्डर बना दिया गया था ? क्या यह भी सही है कि उन्हें पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया है जिससे छात्रों में घोर असन्तोष व्याप्त है और कालेज में शिक्षा-दीक्षा का कार्य ठप्प पड़ गया है ? यदि हां, तो उक्त बहाली का आदेश किसने दिया था और किन कारणों से दिया था ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)--

जी हां । तीन प्रवक्ताओं की सेवायें समाप्त की गयी थीं तथा एक चिकित्साधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया था ।

उक्त प्रवक्ताओं व चिकित्साधिकारी को पुनः बहाल किया गया है, परन्तु इसके परिणामस्वरूप छात्र असन्तोष सामने नहीं आया है और न तो इस आधार पर शिक्षा-दीक्षा का कार्य ही ठप्प पड़ा है ।

मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् उक्त बहाली के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन प्रवक्ताओं और चिकित्सा अधिकारियों की सेवायें समाप्त की गयीं थी, तो उनकी सेवायें समाप्त किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, इन तीनों प्रवक्ताओं की जो नियुक्तियां की गयी थीं, वह ऐसे समय में जबकि हड़ताल का समय था और साथ ही साथ हमारे सरकार के शासन का एक बिल भी आ रहा था, जिसके मातहत होम्योपैथिक कालेजेज टेक ओवर करने का मसला तय हो गया था ।

इनकी नियुक्तियां की गयीं थी । जो आउट गोइंग मैनेजमेन्ट था उसने जाते जाते नियुक्तियां कर दी थी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं मान लिया है कि इनकी नियुक्तियां अवैध तरीके से की गयी थी । इनको बहाल किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हरि सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद में हालात ठीक हुए। होम्योपैथिक संस्था ठीक ढंग से चलने लगी। प्रवक्ताओं का रिप्रेजेन्टेशन भी सरकार को मिला था और इन सब चीजों पर गौर करके उनको बहाल कर दिया गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि आपने अभी कहा कि चलते-चलते मैनेजमेन्ट ने उनको यहां नियुक्त कर दिया था और अब दोबारा उनको रिस्टेट किया गया है । क्या मैनेजमेन्ट को टेक ओवर करने की स्कीम को आपने छोड़ दिया है ? क्या कारण है इन दो बातों में से ?

श्री हरि सिंह--

जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी, मैंने निवेदन किया कि हड़ताल के समय इनकी आवश्यकता नहीं महसूस हुई या इनकी आवश्यकता नहीं रही थी । जब आवश्यकता महसूस हुई तो फिर उनको रख लिया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा पूछने का मतलब था कि जो आउट गोइंग मैनेजमेन्ट ने किया उसका जिक्र आपने नहीं किया या फिर आपने इसको टेक ओवर करने का इरादा ड्राप कर दिया ? या अगर टेक ओवर का इरादा था, तो फिर आउट गोइंग मैनेजमेन्ट के द्वारा चलते-चलते जो किया गया है उस अवैधानिक तरीके को आपने मान लिया ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोक पति)--

श्रीमन्, मैनेजमेन्ट ने उनकी नियुक्ति की, शासन ने उनको स्वीकृति नहीं दी और उसके बाद शासन ने उनको स्वीकृति दे दी क्योंकि मैनेजमेन्ट द्वारा जितने होम्योपथिक कालेज हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की गयी हैं, वह नई नियुक्तियां की गयी हैं, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उनको उस समय क्यों निकाला गया था ? क्या उनकी पूर्व नियुक्तियां अनियमित थीं ?

श्री लोकपति--

उनको निकाला नहीं गया था । इनकी नियुक्तियों को प्रशासन न स्वीकार नहीं किया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने यह पूछा था कि जो इनके फ्रश एप्वाइन्टमेन्ट किये गये हैं तो पहले वाले प्रवक्ताओं की नियुक्तियों को शासन ने नहीं माना ?

श्री लोकपति--

वही पुरानी तो मान ली गयी हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनको पहले हटा दिया गया था और उनको स्वीकृति नहीं दी गयी थी, स्वीकृति न दिये जाने के कारण क्या थे ?

श्री लोकपति--

इसका उत्तर तो दे दिया है माननीय राज्य मन्त्री जी ने ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं उसे पढ़ कर सुना रहा हूं कि जी हां, तीन प्रवक्ताओं की सेवायें समाप्त की गयी थीं तथा एक चिकित्साधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया था ।

उक्त प्रवक्ताओं व चिकित्साधिकारियों को पुनः बहाल किया गया है परन्तु इसके परिणामस्वरूप छात्र असन्तोष समाप्त नहीं है और न तो इस आधार पर शिक्षा-दीक्षा का कार्य ठप्प पड़ा है । मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् उक्त बहाली के आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं । माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में विरोधाभास है । विरोधाभास इसलिए हुआ कि मंत्री जी ने यह कहा कि छात्रों की मांग पर इनकी नियुक्तियां अवैध करार कर दी गई थी, इसलिए सेवा समाप्त की गई थी । छात्रों के बीच असंतोष आज भी मौजूद है, चिकित्सा दीक्षा का कार्य ठप्प पड़ा है, छात्र आन्दोलित हो रहे हैं, इन सब बातों को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे कि उनकी बहाली के जो निर्देश दिये गये हैं वे अवैध हैं ?

श्री लोकपति--

मैंने जो उत्तर दिया वह बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया । उसमें कहा गया है हटा दिया गया था मैंने कहा हटाया नहीं गया, उनकी नियुक्तियां हुई । आप की ही बात दोहरा रहा हूं तीन प्रवक्ताओं की सेवायें समाप्त की गई और पुनः उनकी सेवायें परिस्थितियों पर विचार करने के बाद शासन ने बहाल कर दी । शासन को कोई सूचना नहीं है कि कोई छात्र आन्दोलन हुआ था । शासन को कोई सूचना नहीं है कि आज भी कोई छात्र आन्दोलन हो रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

सेवायें समाप्त की गई थीं यह माननीय मंत्री जी स्वयं मान रहे हैं । सेवा बहाल किये जाने का प्रश्न उस समय उठता है कि जब निलम्बित किया गया हो । सेवायें समाप्त हो जाने पर भी बहाली करने का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति—

राज्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि सेवायें इसलिए समाप्त की गईं कि अनियमितता थी । उनकी नियुक्ति उस समय की गई जब हड़ताल थी और उनको बहाल उस समय किया गया जब कालेज खुल गया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

उस समय पुनर्नियुक्ति की जानी चाहिए थी । क्या माननीय मंत्री बहाली के आदेशों को निरस्त करते हुये इनकी जगह पर नई नियुक्तियों के लिए जो कार्यवाही यथोचित है उसे करने पर विचार करेंगे ।

श्री लोकपति—

कार्यवाही संवैधानिक है, इसलिए इस पर विचार नहीं हो सकता ।

सीतापुर नगर की सीवर लाइन योजना

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर में सीवर लाइन डालने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से विचाराधीन है ? योजना के अनुसार काम कब से प्रारम्भ हो जाने की संभावना है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

यह योजना वर्ष 1980 से उत्तर प्रदेश जल निगम के विचाराधीन है किन्तु छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1980–85) में जलोत्सारण हेतु सीमित बजट प्राविधान के कारण योजना का कार्यान्वयन निकट भविष्य में संभव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

साधनों की सीमित मात्रा है उसके बाद भी योजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए कोई मानक शासन ने बना रखे होंगे जैसे किसी योजना की बड़ी आवश्यकता है । मैं दो बातें जानना चाहता हूं । एक तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन सी कमी रह गई जो इसको प्राथमिकता नहीं मिली और दूसरी बात यह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कार्य की आवश्यकता है क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करेगी कि इस योजना को इसी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता मिल जाय ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

योजना न लेने का कारण मैंने धनाभाव पहले ही बताया । जहां तक माननीय सदस्य की पुनर्विचार करने की बात है, इस पर पुनर्विचार अवश्य कर लेंगे ।

*4—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कैंट स्टेशन, वाराणसी पर पकड़ा गया पाम आयल

*5-श्री ऊदल--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में 50 लाख रु० का विदेशी पाम आयल वाराणसी के जिलाधीश ने हाल ही में कैंट स्टेशन पर पकड़ा था जिसको डाल्डा (केमिकल्स डालकर) बना कर बेचा जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

खाद्य विभाग एवं बिक्री कर विभाग के अधिकारियों ने गत दिनांक 27 मार्च, 1980 को 18 वैगन विदेशी आर० बी० डी० पाम आयल जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 19 लाख 50 हजार रुपये था वाराणसी कैन्ट माल गोदाम से पकड़ा था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि यह पाम आयल कमिकल्स डालकर डालडा के रूप में बेचने के लिये लाया गया था ।

सम्बन्धित फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध जी० आर० पी० थाना कैन्ट में उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी । आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(अ) के अन्तर्गत उक्त पाम आयल को सरकार के पक्ष में अधिगृहीत किया गया था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रश्नगत पाम आयल को मुक्त कर दिया गया ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह 18 वैगन विदेशी आर० बी० डी० पाम आयल जिसका अनुमानित मूल्य 19 लाख रुपये के ऊपर बताया जाता है, यह कहां का था, इसका लाइसेन्स किसको दिया गया था और क्या इन फर्मों को वह लाइसेन्स प्राप्त था या नहीं ?

श्री वासुदेव सिंह--

वाराणसी कैन्ट माल गोदाम स्टेशन पर जो पाम आयल पकड़ा गया था, वह बम्बई से निम्नलिखित फर्मों द्वारा भेजा गया था--

(1) मेसर्स जैन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ने 600 टिन आर० बी० डी० पाम आयल दिनांक 7 मार्च, 1980 को स्वयं के लिये (सेल्फ) बम्बई से वाराणसी बुक कराया था जिसके आर० आर० को मेसर्स हिन्दुस्तान ब्रुवरीज एन्ड बार्टलिंग लिमिटेड के पक्ष में इन्डोर्स किया गया और मेसर्स हिन्दुस्तान ब्रुवरीज एन्ड बार्टलिंग लिमिटेड ने श्री हरिहर नाथ को इन्डोर्स किया जिसे दिनांक 25 मार्च, 1980 को उक्त श्री हरिहर नाथ ने माल छुड़ाया ।

(2) मेसर्स दमानी ब्रदर्स ने 1200 टिन दिनांक 29 फरवरी, 1980 से 1 मार्च, 1980 के बीच सेल्फ बम्बई से बनारस के लिये बुक कराया था जिसे मेसर्स जैन एक्सपोर्ट्स प्रा० लि० के लिये इन्डोर्स किया गया उन्होंने हिन्दुस्तान ब्रुवरीज एन्ड बार्टलिंग लिमिटेड के लिये इन्डोर्स किया ।

(3) मेसर्स दमानी ब्रदर्स, बम्बई द्वारा 15 वैगन (899) टिन स्वयं के लिये बम्बई से वाराणसी के लिये सेल्फ बुक कराया और आर० आर० मेसर्स हिन्दुस्तान ब्रुवरीज प्रा० लि० के पक्ष में इन्डोर्स किया ।

श्री ऊबल—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि इस पाम आयल का इस्तेमाल डालडा के रूप में किया जाता है, कुछ केमिकल्स इसमें मिलाकर, तो क्या माननीय मंत्री जी ने इस पाम आयल के नमूने को लेकर अपने विभाग के द्वारा इसकी जांच करायी ? यदि जांच कराई, तो उसका क्या रिजल्ट निकला और यदि जांच नहीं करायी तो उसका क्या कारण था ?

श्री वासुदेव सिंह—

हमने तो चालान किया था । उच्च न्यायालय ने इन सब बातों पर विचार करके उसको निरस्त कर दिया । अब माननीय सदस्य किस जांच की अपेक्षा इनसे करते हैं ?

श्री ऊबल—

मान्यवर, मेरा आरोप यह है कि बनारस में इसका उपयोग कई जगहों पर किया गया और उसमें कुछ केमिकल्स मिला दिया गया, जिससे की पीलिया आदि रोग पैदा हो जाता है । मैं यह जानना चाहता था कि जब इस तरह से इस पाम आयल का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या इसके लिये कोई टेस्ट वगैरह किया गया ? यदि कराया गया हो, तो बता दें और न किया गया हो, तो साफ बता दें कि नहीं किया गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

यह नीति से सम्बन्धित सवाल है । इस पाम आयल में कुछ मिलाकर इसको डालडा के रूप में बेचा जाता है, यह तो एक आम जानकारी की बात है । इसीलिये इसकी मनोदशा को व्यक्त करने के लिये शासन ने इसको न्यायालय के समक्ष रखा और उसी के फैसले के अनुसार उसका खर्चा निकाल कर उसको लौटाना पड़ा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब यह माल सीज किया गया, तो उस दरमियान वह माल कहां रहा । दूसरे इसको जारी करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिये परमिट जारी किया गया होगा, तो किसके द्वारा यह परमिट जारी किया गया । तीसरी बात यह है कि क्या आपने यह भी जानने की कोशिश की कि यह आयातित माल किस काम में लाया जायेगा ? इसलिये जिस काम के लिये इसको लिया गया था, उसी काम में इसको लगाया जा रहा था ?

श्री वासुदेव सिंह—

आपने पूछा कि यह किसकी सुपुर्दगी में दिया गया था, तो यह 10,799 टिन गुड्स क्लर्क की सुपुर्दगी में दिया गया था । और यह मेसर्स हरिहरनाथ के नाम था । इसको बिक्री कर विभाग की सूचना पर हमारे अधिकारियों ने पकड़ा और इसमें से 1281 टिन सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से बेचा गया । यह सही है कि यह जो रिफाइंड आयल है इसमें कुछ मिला कर डालडा बनाया जाता है । लेकिन इसमें यह कैसे मालूम हो सकता है कि इसको लेकर डालडा बना कर बेचा जाना था या नहीं । इसे हमारे अधिकारियों ने सदासयता की नियत से पकड़ा और पाम आयल के रूप में बेचा गया । जब उच्च न्यायालय से इसे मुक्त कर दिया गया तो वापस करना पड़ा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बिक्री कर अधिकारियों ने तो इसलिए पकड़ा कि बिक्री कर पे नहीं किया था। मैं जानना चाहता हूं कि जब माल पकड़ा गया, तो क्या सरकार ने इसका पता लगाने की कोशिश की कि केन्द्र सरकार ने लाइसेंस किसको दिया और किस परपज के लिये दिया ? क्या इस बिन्दु पर जांच कराई थी ? यदि कराई थी, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो आ गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं आया, जितना माल आया वह रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया और उसमें से छ सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से बिक गया । मैं जानना चाहता हूं कि माल किस परपज के लिए आया था । परपज लिखा होगा कि इस काम के लिए हमें चाहिये जिस पर आर्डर हुए होंगे ।

श्री वासुदेव सिंह--

क्या नियत थी या तो वह डालडा बनाते या उसे बेचते ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

या से तो काम नहीं चलेगा ।

श्री वासुदेव सिंह--

उनके विभाग में क्या था यह मैं नहीं जानता वह माल गोदाम में पकड़ा गया, इसलिए जांच का सवाल नहीं उठता । हमने उसको जब्त किया और उसमें से कुछ बेचा गया था लेकिन बाद में हाईकोर्ट के फैसले पर वापस कर दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है मेरे पास अदरवाइज जानकारी है कि किस की सिफारिश पर आया । मैं जानना चाहता हूं कि किस परपज के लिए फर्म को दिया गया । जब तक वह नहीं बताया जायेगा तब तक स्थिति साफ नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष--

जिन लोगों को लाइसेंस दिये गये उनके नाम बता दिये आपने लेकिन किस चीज के लिए लाइसेंस दिया गया यदि आपको वह मालूम हो, तो बता दें ।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य अभिप्राय को जानते हैं, तो वह मुझे अवगत करा दें, तो जांच की जा सकती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हमारी रिसपोंसिबिलिटी प्रश्न पूछने की है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

सब लोग मत खड़े होइये । मंत्री जी जिनको लाइसेंस दिये गये थे उनका नाम तो आपने बता दिया, लेकिन उस पाम आयल को किस काम के लिए लाये थे अगर वह ज्ञात हो तो बता दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बड़ा गम्भीर मामला है इसे मान्यवर, स्थगित करा दें ।

श्री वासुदेव सिंह--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसे आप स्थगित करा दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न देखें--'क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में 50 लाख रु0 का विदेशी पाम आयल वाराणसी के जिलाधीश ने हाल ही में कैंट स्टेशन पर पकड़ा था, जिसको डालडा (केमिकल्स डालकर) बना कर बेचा जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? इसके उत्तर से आपने पूछा किसको लाइसेंस दिया गया; तो यह उन्होंने बता दिया और किस परपज के लिए दिया गया अब यह आपने पूछा । इसके लिए वह कहते हैं कि सूचना कि आवश्यकता है । तो यह अब मंत्री जी सूचना लेकर बताएगें । अब स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है ।

राज्य सरकार द्वारा धान की खरीद

*6--श्री हुकम सिंह (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान खरीफ फसल में 31 अक्तूबर, 1980 तक राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कितना धान क्रय किया गया ? क्या यह सही है कि किसानों से क्रय किये गये धान की दर 105 रु0 प्रति कुन्टल की दर से भुगतान दर्शाया गया और अदायगी केवल 100 रु0 प्रति कुन्टल की दर से की गयी एवं 5 रु0 प्रति कुन्टल की दर से कटौती के रूप में काट लिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

वर्तमान खरीफ फसल वर्ष में 31 अक्तूबर, 1980 तक प्रदेश में राज्य सरकार तथा उसकी क्रय एजेन्सियों द्वारा 34,556 मी0 टन धान की खरीद की गई ।

जी हां, कामन श्रेणी के धान में नमी के कारण 5 रु0 प्रति कुन्टल की दर से कटौती की गई है ।

आजमगढ़ जिले के कोल एजेन्टों द्वारा कोयले की बिक्री

*7---श्री पंचानन--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायगे कि आजमगढ़ जनपद में कोयला लाइसेन्स धारकों द्वारा अवैधानिक रूप से कोयला बेचे जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी,

आजमगढ़ की कोई रिपोर्ट शासन को जुलाई तथा अगस्त, 1980 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उस आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जिला आजमगढ़ के विभिन्न कोल एजेन्टों को आवंटित कोयला आजमगढ़ में न लाने तथा डिलेवरी आर्डर को रामगढ़ के एक व्यापारी के हाथ बेच दिये जाने की शिकायत सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, रांची द्वारा जिलाधिकारी, आजमगढ़ को नवम्बर, 1978 में भेजी गई। इस शिकायत की जांच उपरान्त जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने अपनी रिपोर्ट 7 जुलाई, 1980 को शासन को भेजी। इस रिपोर्ट में उन्होंने शासन को सूचित किया कि कोल एजेन्टों के अनुसार कथित कोयला फ्री-सेल का था तथा उसे देश के किसी भी स्थान पर विक्रय किया जा सकता था।

श्री पंचानन—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, रांची ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को नवम्बर, 1978 में जो शिकायत की थी, उसके प्रमुख बिन्दु क्या थे ? और जो डिलीवरी आर्डर आजमगढ़ के व्यापारियों को भेजा गया उससे कुल कितना कोयला उठना था ?

श्री वासुदेव सिंह—

कौशल कान्त मिश्र को 5 हजार टन, कान्त ब्रदर्स को 5 हजार टन, कामर्शियल सिन्डीकेट को 5 हजार टन, योगेन्द्र कुमार राय को 5 हजार टन और अन्नपूर्णा कोल कमीशन एजेन्ट को 5 हजार टन यानी कुल 25 हजार टन कोयला आजमगढ़ के लिए आवंटित किया गया था। उन्होंने बताया कि यह कोयला जिला सप्लाई अधिकारी और सेन्ट्रल आर्डर से निकले। लेकिन यह कोयला आजमगढ़ नहीं गया और उसके स्थान पर यह कोयला रामगढ़ के एक आदमी श्री आर0 एस0 रूंगटा को बेच दिया गया।

श्री पंचानन—

इससे यह बात सामने आई कि 25 हजार टन कोयले का डिलवरी आर्डर रामगढ़ के एक व्यापारी को बेच दिया गया था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि नवम्बर, 78 में यह शिकायत आई डी0 एम0 आजमगढ़ के पास और आज सन् 81 है, 2 साल तक जांच हुई, तो जो डी0 एम0 की जांच रिपोर्ट है, वह क्या है ? दूसरी बात यह है कि जो जांच करते हैं, वह जो स्पष्टीकरण देगा, उसे ही आप इस सदन को बतायेंगे ? और जो 3 साल तक जांच नहीं हुई, यह क्यों नहीं हुई ? तो क्या मंत्री जी जिलाधिकारी की रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु बतायेंगे ? और क्या मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि इस मामले की जांच अधिक अपराध अनुसन्धान शाखा से कराकर उसकी रिपोर्ट सदन को देते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

जो जांच हुई है उससे पता चला है कि वह वास्तव में अनियमितता सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के स्तर पर थी और जनपद में कोल एजेन्टों के स्तर पर नहीं था इसका यह भी कहना है कि सेन्ट्रल कोल लिमिटेड ने तीन बार में अपने तौर वजन अलग-अलग दिये हैं। पहला यह कि कोयला रामगढ़ नहीं भेजा, दूसरा वह फ्रीसेल का कोयला था और तीसरा यह कहा कि इस अवधि

में कोयला उठा ही नहीं। जिलाधिकारी ने तीन बातों का संकेत दिया था और चिट्ठी भी लिखी थी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अब माननीय सदस्य की भावना का आदर करते हुये हम सोचते हैं कि आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा के जरिये से सम्बन्धित मामले की जांच करा ली जाए। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा के जरिये से सम्पूर्ण जांच करने के आदेश दे दिए गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कोल एजेन्ट्स होते हैं, वह डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं और क्या उनके लिए यह आदेश होता है कि वह उसी जिले या डिस्ट्रिक्ट में बांटेंगे ? यदि यह सही है तो इस बात को मानते हुए कार्यवाही क्यों नहीं की गई और जो अधिकारी इसके लिये दोषी पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री वासुदेव सिंह--

अध्यक्ष महोदय, 78 से लेकर 81 तक भ्रष्टाचार तो होता रहा है, लेकिन अब कार्यवाही की जा रही है। अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच की जा रही है। मामले की विस्तृत जांच करने पर सम्पूर्ण तथ्य सामने आयेंगे। यह बात सही है कि सेन्ट्रल कोल के जो एजेन्ट्स हैं उनमें भी मतभेद है। इसमें कौन सही है और कौन गलत है, यह मैं कल्पना के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहता। जब जांच रिपोर्ट आ जायेगी तभी कार्यवाही की जायेगी।

बलिया जिले के ब्लाक नगरा से हाट निरीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*8--श्री हरिवंश सहाय--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बलिया ब्लाक नगरा के हाट निरीक्षक के खिलाफ कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 31-8-80 एवं 14-8-80 का प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई एवं ग्राम पंचायत पालीपुर की दुकान क्यों निरस्त की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद बलिया ब्लाक नगरा के हाट निरीक्षक के विरुद्ध माननीय सदस्य का दिनांक 14-8-80 का शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ किन्तु उनका शिकायती-पत्र दिनांक 31-8-80 का प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लिखित आरोपों की जांच परगनाधिकारी, रसड़ा द्वारा कराई गई।

ग्राम पालीपुर की दूकान हाट निरीक्षक, नगरा द्वारा दिनांक 22-5-80 को की गई जांच में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर परगनाधिकारी, रसड़ा के आदेश से दिनांक 14-7-80 को निरस्त की गई।

श्री हरिवंश सहाय--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो शिकायती-पत्र दिनांक 31-8-80 को दिया गया था, जिसकी जांच परगनाधिकारी, रसड़ा ने किया था, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जो जांच की गई, उसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईं :--

1--न्याय पंचायत मालीपुर की दुकान की जांच हाट निरीक्षक, नगरा द्वारा दिनांक 22-5-80 को की गई जिसमें स्टाक शून्य पाया गया। इस दुकान के मालिक श्री विद्याभूषण ने दिनांक 21-5-80 को भारतीय खाद्य निगम, बलिया से 6 कुन्तल चीनी प्राप्त की परन्तु रजिस्टर में 4 कुन्तल का विवरण दिखाया तथा रजिस्टर के विशेष स्तम्भ में 2 कुन्तल चीनी नगरा में रखे जान का उल्लेख किया जब कि वितरण हेतु सम्पूर्ण 2 कुन्तल चीनी दुकान पर लाई जानी थी।

2--जांच में 23 राशन कार्ड भी दुकान पर मिले जिन्हें हाट निरीक्षक ने ले लिया क्योंकि यह नियमों के विपरीत था। जांच के समय ग्राम प्रधान ने अपना राशन कार्ड प्रस्तुत करके शिकायत की कि उन्हें आधा किलो चीनी दी गई है और 2 किलो का उल्लेख किया गया है।

3--बिक्री रजिस्टर पर चीनी लेने वालों के निशान अंगूठे के समक्ष उनके नाम नहीं अंकित किये गये थे।

श्री हरिवंश सहाय--

जो जांच की गई उसकी जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री वासुदेव सिंह--

जो जांच की गयी थी उसमें वह निर्दोष पाया गया।

नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन रूल्स

*9--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन वलेम्स अभी तक तैयार नहीं है जिसके फलस्वरूप अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के सम्मुख अत्यधिक कठिनाई होती है? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है और कब तक पेन्शन रूल्स स्वीकृत होने की आशा है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां। नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के लिए पेंशन रूल्स न होने के कारण यह कठिनाई हो रही है। पेंशन रूल्स अब तैयार कर लिए गए हैं, कतिपय औपचारिकताओं की पूर्ति करने के बाद इन्हें शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, यह प्रश्न नगर पालिकाओं के उन कर्मचारियों से सम्बन्धित है, जो अवकाश प्राप्त हो गये हैं और जो उत्तर आया है, उसमें कहा गया है कि पेंशन रूल्स अब तैयार कर लिए गये हैं, कतिपय औपचारिकताओं की पूर्ति करने के बाद इन्हें शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जायेगा। वर्षों हो गये ये रूल्स नहीं बने और अवकाश प्राप्त कर्मचारी कठिनाइयां भोग रहे हैं, तो क्या उनके हित में माननीय मंत्री जी कोई निश्चित अवधि तय करने की कृपा करेंगे कि इस तिथि को पेंशन रूल्स प्रकाशित कर दिए जायेंगे, ताकि उनकी कठिनाई दूर हो सके?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

अवधि तो नहीं लेकिन जितना माननीय सदस्य सोच रहे हैं, उससे भी अतिशीघ्र कर दिए जायेंगे ।

लखनऊ के निशातगंज स्थित चुंगी चौकी में शराब की दुकान

*10—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ नगर महापालिका के प्रशासक ने 30-31 अक्तूबर, 1980 को निशातगंज स्थित चुंगी चौकी को शराबखाना खोलने के लिये भाड़े पर उठा दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया ?

—श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

निशातगंज क्षेत्र के नागरिकों की इस मांग को कि निशातगंज गली नं0 5 में स्थित देशी शराब की दुकान को वहां से हटा दिया जाय, दृष्टि में रखते हुए जिला प्रशासन की संस्तुति पर निशातगंज स्थित पुरानी चुंगी चौकी को आबकारी विभाग को 1,000 रुपये मासिक किराये पर नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा आवंटित किया गया ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं सबसे पहले अपने सर्वोदयी मुख्य मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चुंगी चौकी में शराबखाना खुलवा दिया । मेरी प्रार्थना है कि वे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के लिए भी एक दुकान खुलवाने की व्यवस्था करें ।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

आपकी आवश्यकता को नोट कर लिया है ।

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 30/31 अक्तूबर को यहां के जिलाधिकारी, लखनऊ नगर पालिका के प्रशासक भी थे और उन्हें दूसरे ही दिन चार्ज देना था, इसलिए उन्होंने जल्दी-जल्दी में ही शराबखाना खुलवा दिया । मैंने जानना चाहा था कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनमें वहां पर शराबखाना खुलवा दिया गया । इसका माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन यह बात तो सही है कि चुंगी चौकी में ही शराबखाना खुलवा दिया गया । इसके विरोध में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोई सत्याग्रह किया गया, क्या जनता की और क्या कोई निर्देश माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से चाहता हूं कि वे कौन और से भी कोई आन्दोलन हुआ था ? मैं यह भी जानना कर उसमें शराब की सी परिस्थितियां थीं, जिनके कारण वहां से चुंगी को हटवा होने की हैसियत से दुकान खुलवा दी गयी और जिला मैजिस्ट्रेट ने प्रशासक 2 दिन के चार्ज में ही इस कार्य को तत्काल करा दिया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

यह बात तो सही है कि जिस दिन यह हुआ उस दिन जिला मैजिस्ट्रेट नगर महापालिका के प्रशासक भी थे । लेकिन जो देशी शराब

की दुकान पहले पांचवी गली में थी, उसको वहां से हटवाने के लिए निशातगंज क्षेत्र के नागरिकों की ओर से बड़ा आग्रह था । जिस चुंगी चौकी में यह दुकान खुलवायी गयी है, उससे नगर महापालिका को मुश्किल से 30 या 35 रुपये प्रति माह की आमदनी थी । अतः यह एक एबन्डन चौकी थी, जिसे आबकारी विभाग को 1,000 रुपये मासिक किराये पर दे दिया गया ।

टाउन एरिया, कुरावली, जिला प्रसाद मैनपुरी का जेनरेटर

*11—श्री रघुबीर सिंह यादव तथा श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में टाउन एरिया, कुरावली के भूतपूर्व चेयरमैन ने करीब सात वर्ष पहले एक जेनरेटर खरीदा था जिसकी कि इस वक्त कीमत 80 हजार रुपये के लगभग है जो कि अभी तक सन्दूक में बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त को चालू क्यों नहीं किया गया है ? उक्त जेनरेटर कब से चालू कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

टाउन एरिया, कुरावली, जिला मैनपुरी के तत्कालीन चेयरमैन द्वारा 13 अगस्त, 1977 को एक जेनरेटर 59,361·12 रुपये का खरीदा गया था । यह जेनरेटर वहां के वाटर वर्क्स कक्ष में व्यवस्थित है । इसे चालू कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रघुबीर सिंह यादव—

यह जेनरेटर जो इतने समय तक बन्द रहा जिसके कारण काफी क्षति हुई, तो क्या सरकार इसके लिये दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

इस सारे मामले की जांच करायी जायेगी और जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी ।

*12—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[9वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोटीफाइड एरिया, नानपारा, जिला बहराइच के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*13—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि नोटीफाइड एरिया, नानपारा, जिला बहराइच के कर्मचारियों को गत लगभग 42 माह से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? वेतन दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां । बकाये वेतन के भुगतान के लिए शासन द्वारा 2,65,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है ।

श्री जटा शंकर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय कुल कितनी धनराशि वेतन की देना बाकी है तथा स्वीकृत धनराशि दे देने के बाद कितनी धनराशि और देने के लिये शेष रह जायेगी और क्या जो शेष धनराशि देने के लिये रह जायेगी, उसे भी सरकार शीघ्र दिलवायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

कुल कितना धन है, इसके लिये तो सूचना चाहिये । जो शेष भुगतान है उसे गृह-कर आदि लगाकर तथा उसकी वसूली करके भुगतान किया जायेगा ।

श्री जटाशंकर सिंह--

यह जो 2 लाख 65 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है, इसका वितरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जिलाधिकारी को धन उपलब्ध करा दिया गया है और मेरा ख्याल है कि उसका वितरण भी कर दिया गया होगा ।

*14--श्री गोवर्द्धन तिवारी--

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

श्री हसनैन खां, अवर अभियन्ता, जल निगम, देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र

*15--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हसनैन खां, अवर अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम, देवरिया का उत्पीड़न विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 9-10-80 के संलग्नक पत्र में दी गयी कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयीं व उस पर अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जा सका ? कब तक निर्णय लिये जाने की उम्मीद है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

श्री हसनैन खां, अवर अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम, देवरिया के उत्पीड़न विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 9-10-80 के संलग्नक पत्र में दी गई शिकायतें जाँचोपरान्त सही नहीं पायी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा बलिया के रतनपुरा नलकूप नं० 2, बैरिया नलकूप नं० 1 व 2, सुखपुरा नलकूप नं० 1 व गोरखपुर के विश्वविद्यालय नलकूप, गोरखनाथ नलकूप आदि नलकूपों के निर्माण में किस हिसाब से मजदूरी दी गयी है तथा उन सभी नलकूपों की गहराई व स्ट्रेटा अलग-अलग क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

यह तो ब्योरे का सवाल है, सूचना चाहिये ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन अवर अभियन्ता महोदय का तबादला 7-5-79 को हो गया था और यह तब तक नहीं जाना चाहते हैं, जब तक कि उनके विरुद्ध सारी शिकायतों की जांच पूरी न हो जाय ? तो क्या 7-5-79 के बाद वह अपने ट्रान्सफर पर रिलीव हो गये और अभी तक उन्होंने पिथौरागढ़ में ज्वाइन नहीं किया, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, उपरोक्त अभियन्ता शासन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और लापता हैं और उनको शासन के आदेश का पालन करना ही होगा । उनको पिथौरागढ़ में जाकर ज्वाइन करना ही होगा ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, इस अवर अभियन्ता ने 300 फिट गहराई पर 800 रुपया मजदूरी दिया और 600 पर 1500 रुपया दिया । दूसरा अभियन्ता जिसका नाम नहीं बताना चाहता हूं उसने 2200 से 3000 रुपया दिया और 600 फिट पर 3500 से 4200 तक दिया । इसका कारण यह है कि सहनशाह अहमद, अधिसाशी अभियन्ता के कहने पर दूसरे अवर अभियन्ता ने अधिक दाम रखा और इसने नहीं रखा, झगड़ा यहीं से प्रारम्भ हो गया । यदि यह सही है, तो इसकी जानकारी मान्यवर करा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने तो बताया कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य का स्वरूप एक है, दो अवर अभियन्ता हैं, दोनों का काम एक है, भिन्न भिन्न स्ट्रेटा के अनुसार कठोर और नर्म मिट्टी हो सकती है, जो भिन्न-भिन्न जगहों पर मजदूरी अधिक और कम लगने का कारण है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसमें क्या-क्या तथ्य हैं, जिससे कि दोनों अवर अभियन्ताओं ने अलग-अलग मजदूरी दिया ?

श्री अध्यक्ष—

इसी के लिए तो बताया कि सूचना की आवश्यकता है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच कराई गयी और किससे जांच करायी गयी, जांच के समय क्या-क्या शिकायतें पाई गयीं ? क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए सत्यता का प्रमाण बतायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल —

मान्यवर, जांच तो उच्च अधिकारी ने किया। इस वक्त तो मैं नहीं बता सकता हूं कि किस अधिकारी ने जांच किया । बहरहाल जो शिकायतें थीं, वह शिकायतें सही नहीं पायी गयीं । उपर्युक्त अभियन्ता शासन के आदेश की लगातार अवहेलना कर रहा है, उसको शासन के आदेश का पालन करना ही होगा ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं दो बात जानना चाहता था, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। पहला प्रश्न यह कि एक विधायक की शिकायत पर जांच किसने किया और दूसरा यह कि जांच के समय क्या-क्या शिकायतें पाई गयीं ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराई गई और शिकायत निर्मूल पाई गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय पंचानन राय ने एक बड़ा स्पेशिफिक प्रश्न पूछा है, खाली यह कह देने से कि उच्च अधिकारी से जांच कराई गयी, उत्तर स्पष्ट नहीं होता है। उच्च अधिकारी में अधिशासी अभियन्ता भी हो सकता है, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर भी हो सकता है और इस तरह से यह बड़ा प्रश्न बन गया। एक व्यक्ति शिकायत करता है, जो शिकायत करता है, वह कभी बुलाया नहीं जाता। कोई भी अधिकारी जांच करता है, तो रिपोर्ट भेज देता है। लेकिन अहम सवाल हो गया है कि किसी अधिकारी ने जांच की तो जांच के समय क्या शिकायतकर्त्ता को मौका दिया गया कि नहीं ? नहीं, तो आना चाहिये। तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित कर दें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, दोनों सूचनाएं सदन में दे देंगे कि किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी और उस अवर अभियन्ता को पूरा मौका दिया गया कि नहीं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसको स्थगित कर देते हैं।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, सदन में कई बार यह मामला आया। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, उनको पहाड़ में भेज देते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो ऐसे अधिकारी हैं, आप उनको पहाड़ों में क्यों भेज देते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, इस पर निर्णय करा दें। हम कब तक पहाड़ों पर इसको सहन करते रहेंगे ? गलत आदमियों को क्यों वहां भेजा जाता है। गलत आदमी पहाड़ों पर न भेजे जायं।

श्री अध्यक्ष--

बैठ जायं। जब प्रश्न स्थगित हो गया, तो पुनः उसका उत्तर आयेगा। तो बीच में खड़े होकर क्या पूंछना चाहते हैं ?

श्री मित्रसेन--

ये पहाड़ों पर क्यों भेज जा रहे हैं, यह पूंछना गलत तो नहीं ?

डाक्टर विहीन महिला अस्पताल, अछनेरा, जिला आगरा

*16—श्री बदन सिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा जनपद के अछनेरा महिला चिकित्सालय में गत 6 माह से कोई भी महिला डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो वहां शीघ्र महिला डाक्टर रखने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति—

जी हां । महिला अस्पताल अछनेरा, जनपद आगरा में महिला डाक्टर की तैनाती के आदेश कर दिये गये हैं ।

सहकारी दुकानों के माध्यम से चीनी की वितरण योजना

*17—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जो चीनी का वितरण सस्ते गल्ले की दुकानों से किया जा रहा है उसे अब सहकारी दुकानों के माध्यम से देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां । योजना 1 जनवरी, 1981 से कार्यान्वित कर दी गई है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1 जनवरी, 1981 से योजना कार्यान्वित कर दी गयी है, लेकिन मान्यवर, हमारे जिले में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रायवेट दुकानदार हाई कोर्ट से जाकर स्टे ले आये हैं । जब सहकारी दूकानों के लिये दिया गया है, तो हमारे जिले में दूकानों को चीनी न देकर प्रायवेट लोगों को इतना मौका क्यों दिया गया कि वे हाई कोर्ट जा कर स्टे ले आयें ? तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जो प्रायवेट दुकानदार लोग हाई कोर्ट से स्टे ले आकर दूकान चला रहे हैं, उसके बारे में किसी प्रकार का कानून बनाकर या आर्डीनेंस के जरिये उनको निरस्त किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के बाद कानून के लिये कुछ करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, प्रश्न यह था—'क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जो चीनी का वितरण सस्ते गल्ले की दूकानों से किया जा रहा है, उसे अब सहकारी दूकानों के माध्यम से देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?' मैंने उत्तर दिया कि विचाराधीन नहीं, अमल में है ।

फिर प्रश्न था कि—'यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों'—इसका उत्तर मैंने दे दिया है ।

डाक्टर एस0 के0 वर्मा चिकित्साधिकारी, टी0 बी0 क्लीनिक, हरदोई की वेतन वृद्धि

*18—श्री कल्लू राम (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि डा0 एस0 के0 वर्मा, चिकित्साधिकारी, राजकीय टी0 बी0 क्लीनिक, हरदोई को नियुक्ति दिनांक 25 फरवरी, 1976 को हुई थी ? क्या यह भी सही है कि डा0 वर्मा को कोई वेतन वृद्धि तथा विशेष शैक्षिक योग्यता डी0 आर्थ0 का विशेष वेतन तक नहीं दिया जा रहा है ? इस सम्बन्ध में उपरोक्त चिकित्साधिकारी द्वारा 26 जुलाई, 1980 तक लगभग 16 बार शासन को प्रार्थना पत्र (रिमाइन्डर) दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें तुरन्त वेतन वृद्धि तथा विशेष वेतन प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो वेतन वृद्धि तथा विशेष वेतन प्रदान करने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश को डीजल, मिट्टी का तेल एवं चीनी का आवंटन

*19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दलसिंगार यादव (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश के लिए आवंटित डीजल, मिट्टी का तेल एवं चीनी का पूरा कोटा उठाया नहीं गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रश्नगत अवधि में डीजल, मिट्टी का तेल तथा चीनी के मासिक आवंटन एवं उठाने का विवरण संलग्न है ।

जहाँ तक डीजल और मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है आवंटन के विपरीत उठान उसी माह में करनी होती है । तेल कम्पनियों के स्तर पर उपलब्धि एवं संचरण की समस्या के कारण डीजल की उठान आवंटन के अनुरूप प्रश्नगत अवधि में नहीं हो सकी । जून, 80 से अगस्त, 80 के बीच प्रदेश की डीजल तथा मिट्टी के तेल की मांग गिर जाने के कारण भी उठान कम रही ।

चीनी की उठान भारतीय खाद्य निगम से कतिपय जिलों में समय से लेवी चीनी न पहुंचने के कारण कम रही ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1316 पर)

जिला अस्पताल एवं महिला अस्पताल, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*20—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला एवं महिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सरकारी सम्पत्ति की चोरी, दवाओं एवं सामानों की खरीद में भारी गोलमाल की जाँच अतिरिक्त निदेशक डा0 जे0 एन0 सक्सेना द्वारा दिनांक 27 एवं 28 मई, 1979 को की गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री हरि सिंह—

जो हां, डा0 जे0 एन0 सक्सेना, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (अब सेवा निवृत्त) ने दिनांक 26, 27 एवं 28 मई, 1979 को जिला अस्पताल तथा महिला अस्पताल गोरखपुर में भ्रष्टाचार के शिकायतों के साथ-साथ अन्य शिकायतों की जाँच की थी। मुख्य शिकायतें एवं उन पर डा0 सक्सेना की जांच आख्या का संक्षेप तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1317 पर)।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, शिकायत नं0 5 और 14 के संदर्भ में क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही जांच कब पूरी होगी? और 19 के अनुसार नकली दवा का परीक्षण कब तक समाप्त हो जायेगा?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, जिन शिकायतों का हवाला दिया है, उसके बारे में जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जायेगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो खराब दवा जीवन को नष्ट करने वाली दवाईयां खरीदी गई वह किस दुकानदार से खरीदी गई?

श्री हरि सिंह—

प्रश्न साफ समझ में नहीं आया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

जो फर्जी दवा खरीदी गई उस दुकानदार को सी0 एम0 ओ0 या शासन स्तर से अधिकृत किया गया था और वह कौन दुकान थी?

श्री लोकपति—

वह दवाइयां फरीदाबाद से खरीदी गई थी और हरियाणा को वापस कर दी गई हैं, बदलने के लिए।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

केंद्रीयित (पालिका) सेवाओं में नियुक्ति सम्बन्धी आदेश

**1—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान कारागार मंत्री ने जो आदेश स्वायत्त शासन मन्त्री की हैसियत से कतिपय केन्द्रीयित (पालिका) सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में पारित किये थे क्या उनका कार्यान्वियन राज्य मन्त्री स्वायत्त शासन द्वारा रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

वर्तमान कारागार मंत्री जी ने जब वे स्वायत्त शासन मंत्री थे स्वायत्त शासन मन्त्री की हैसियत से कतिपय केन्द्रीयित (पालिका) सेवाओं में नियुक्ति के संबंध

में जो आदेश पारित किये थे, उनमें से एक की नियुक्ति को छोड़कर शेष का कार्यान्वयन माननीय मुख्य मंत्री जी की सहमति से प्रशासनिक कारणों से रोक दिया गया ।

श्री मोहन सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री जी से साफ प्रश्न किया था कि किन परिस्थितियों में इनका कार्यान्वयन रोक दिया गया । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि एक को छोड़कर बाकी का कार्यान्वयन रोक दिया गया । क्या यह बात सही है कि आप यह बात जानकर की आपके पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर रिश्वत भाई भतीजा के आधार पर इनका चयन किया था और इसी कारण उनका विभाग भी छिन गया, तो वह परिस्थिति क्या थी, वह प्रशासनिक कारण क्या थे कि एक को अपवाद करके कार्यान्वयन किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न छोटा है किन्तु आपने आरोप और आक्षेप लगाकर कहा है ।

श्री मोहन सिंह--

वह प्रशासनिक कारण क्या सदन के सामने उद्घाटित करें ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जनहित में कारण बताना मुनासिब नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

जनहित की व्याख्या कई बार इस सदन म हो चुकी है । जनहित का बहाना लेकर सदन से छुपा नहीं सकते । जनहित तो राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी बात हो तो होता है । इस प्रश्न को जनहित में गोपनीय कहकर उपेक्षा नहीं होना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को अपवाद क्यों किया गया ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

7 नियुक्तियां हुई थी ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, चूंकि प्रश्न के उत्तर में एक आदमी को कायम रखा गया और 6 को हटा दिया गया, तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि उस एक व्यक्ति में क्या क्वालीफिकेशन थी, जिसकी वजह से वह नहीं हटाया गया और उन 6 में क्या डिस्क्वालीफिकेशन थी, जिसकी पूर्ति न करने के कारण उन्हें हटाया गया, स्पष्ट रूप से बतायें इसमें जनहित क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, हटाया किसी को नहीं गया ।

लखनऊ के लारेंस टेरेस के फ्लैट का आवंटन

**2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के लारेंस टेरेस में ई0-1 फ्लैट अस्वस्थता को देखते हुए प्रश्नकर्ता के नाम आवंटित किए जाने के पष्ट आदेश मुख्य मंत्री द्वारा सितम्बर, 1980 में किए गए थे ? यदि हां, तो

आदेश की अवहेलना के कारण क्या हैं और इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

फिर भी इस बारे में जांच करने से मालूम हुआ कि भवन संख्या ई0-1 लारेन्स टेरेस, श्री सी0 जे0 बैपटिस्ता को आबंटित था जिन्होंने उसे खाली कर दिया और उसका अनधिकृत कब्जा किसी दूसरे आदमी को दे गए। अतः उनके विरुद्ध पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त नगर मैजिस्ट्रेट (प्रथम), लखनऊ के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है जो अभी तक न्यायलय के विचाराधीन है। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस फ्लैट के आवंटन के आदेश दिए थे अतः मैं जानना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री के आदेश के अनुपालन हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो रिक्तता की प्रत्याशा में आवंटन आदेश जारी करने में क्या आपत्ति ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जब भवन खाली ही नहीं है, तो आवंटन आदेश कैसे जारी किए जाएं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मन्त्री जी ने स्वयं इस बात को अपने उत्तर में कहा है कि श्री सी0 जे0 बैपटिस्ता को आवंटित था, जिन्होंने उसे खाली कर दिया और उसका अनधिकृत कब्जा किसी दूसरे आदमी को दे गए, तो इस अनधिकृत कब्जे के खाली होने की प्रत्याशा में आवंटन आदेश जारी करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह खाली हो जाए और उसका कब्जा मिल सके । इसलिए मैं समझता हूं कि यह मुख्य मन्त्री के आदेशों की स्पस्ट अवहेलना है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

शासन के किसी अधिकारी की जुर्रत नहीं है कि वह मुख्य मन्त्री के किसी आदेशों की अवहेलना करे ।

श्री रियासत हुसैन--

जो अनधिकृत कब्जा है वह मुख्य मन्त्री के अदेशों के अगेन्स्ट है, तो मुख्य मन्त्री के आदेशों के पालन के लिए कोई आदेश देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मामला सब-जुडिश है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के चिकित्साधिकारी

1--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 सरकार की सेवा में तारीख 30-10-80 तक कितने चिकित्सा अधिकारी अनुसूचित जाति एवं

जन जाति के हैं और उनमें से कितने अधिकारी स्थाई हैं ? कितने पात्र व्यक्ति अब तक स्थाई नहीं किए गए ? इसके कारण क्या हैं ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टान्डा, जिला फैजाबाद का उच्चीकरण

2--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा टान्डा, जनपद फैजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के विस्तार हेतु स्थानीय जनता या प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 10-10-80 को माँग की गई थी ? यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टान्डा, जिला फैजाबाद को उच्चीकृत कर 30 शय्यायुक्त वृहत् अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से भवनों के निर्माण की स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष में प्रदान कर दी गई है ।

श्री गोविन्द स्वरूप सक्सेना, पूर्ति निरीक्षक, जिला हरदोई की भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी

3--श्री शिरोमणि--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोविन्द स्वरूप सक्सेना, सेवा निवृत्त पूर्ति निरीक्षक, जिलापूर्ति कार्यालय, हरदोई को जो दिनांक 31 जुलाई, 1978 को सेवा निवृत्त हुए थे अभी तक भविष्य निधि, पेन्शन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं हुआ है । यदि हां, तो क्यों ? इनका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

श्री गोविन्द स्वरूप सक्सेना, सेवा निवृत्त पूर्ति निरीक्षक, जिला पूर्ति कार्यालय, हरदोई के भविष्य निर्वाह-निधि से सम्बन्धित अभिलेख, औपचारिकतायें पूर्ण करके महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेज दिए गए हैं । महालेखाकार से स्वीकृति मिलने पर नियमानुसार भुगतान किया जायगा ।

पेन्शन तथा ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में श्री सक्सेना की सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियाँ पूर्ण कराई जा रही हैं, जिनके पूर्ण होने के पश्चात् पेन्शन तथा ग्रेच्युटी सम्बन्धी कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजे जाएगें ।

बदायूं जिले के अस्पतालों के लिये धनराशि का आवंटन

4--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं में जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये पिछले 3 वर्ष व चालू वर्ष में कितने रुपये की धनराशि दवाओं के लिये व अन्य कार्यों के लिये उपलब्ध हुई ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बदायूं जिले के सहकारी संघों पर जारी की गयी कथित डिग्री

5—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं के डी0 सी0 डी0 एफ0 ने वर्ष 1960-61, 1961-62 में लगभग 39 कोआपरेटिव संघों पर डिग्री करायी थी ? यदि हां, तो अब तक संघों से कितना रुपया वसूल हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जिला सहकारी संघ लि0, बदायूं द्वारा प्रश्नगत अवधि में सहकारी संघों पर कोई डिग्री नहीं कराई गई।

जिला सहकारी संघ लिमिटेड, बदायूं द्वारा खोला गया वर्कशाप

6—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं में डी0 सी0 डी0 एफ0 ने रिपेयरिंग वर्कशाप वर्ष 1975 में खोला था ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया लगा और क्या यह लाभ में चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जिला सहकारी संघ लि0, बदायूं ने वर्ष 1975-76 में एक कृषि सेवाई केन्द्र 3.49 लाख रुपये की लागत से स्थापित किया । अनुभवहीन प्रबन्ध के कारण यह केन्द्र लाभ पर नहीं चल रहा है ।

बाराबंकी जिले की टाउन एरिया हैदरगढ़ के बख्शी का स्थानान्तरण

7—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो 18 सितम्बर, 1980 एवं 21 नवम्बर, 1980 को बाराबंकी जिले के अन्तर्गत हैदरगढ़ टाऊन एरिया बख्शी के तबादले का आदेश सचिव, स्वायत्त शासन को दिया था, उसका उन द्वारा किन कारणों से अब तक पालन नहीं किया गया ? क्या मन्त्री जी अपने आदेशों के पालन हेतु कोई कारगर उपाय सोच रहे हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

भारत सरकार ने आदेश जारी किया था कि जनगणना कार्यों में लगे हुए अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण न किया जाय । जिलाधिकारी, बाराबंकी ने यह सूचित किया कि टाउन एरिया हैदरगढ़ के बख्शी अप्रैल, 1981 तक जनगणना के महत्वपूर्ण कार्य में लगे रहेंगे । भारत सरकार के आदेशों को ध्यान में रखते हुए जनगणना कार्यों तक इनका स्थानान्तरण करना सम्भव नहीं हुआ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौर, जिला बस्ती के लेखा लिपिक, श्री एल० बी० सिंह का स्थानान्तरण और प्रभारी चिकित्साधिकारी, डा० ए० के० श्रीवास्तव द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस

8--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौर, जनपद बस्ती पर नियुक्त लेखा लिपिक श्री एल० बी० सिंह का स्थानान्तरण आदेश मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा पारित किये जाने के बावजूद भी प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार से अभी तक नहीं मुक्त किये गये ? लेखा लिपिक का एक पद स्वीकृति होते हुये किस भांति दोनों लेखा लिपिकों द्वारा माह अक्तूबर और नवम्बर, 1980 का वेतन भुगतान किया गया ?

श्री लोकपति--

मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती ने अपने आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 1980 द्वारा श्री एल० बी० सिंह लेखा लिपिक का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भनवापुर किया था किन्तु बाद में उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को देखते हुये उन्होंने अपने अनुवर्ती आदेश दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 के द्वारा श्री एल० बी० सिंह का स्थानान्तरण स्थगित कर दिया अतः उन्हें कार्यभार से मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री एल० बी० सिंह तथा उनके स्थान पर मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती द्वारा पूर्व स्थानान्तरित दूसरे लेखा लिपिक का प्रश्नगत महीनों का वेतन अलग-अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से आहरित किया गया।

9--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौर, जनपद बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० ए०के० श्रीवास्तव, नान प्रैक्टीसिंग एलाउन्स प्राप्त करने के बावजूद भी स्वास्थ्य केन्द्र पर टेबुल प्रैक्टीस करके मरीजों से इन्जेक्शन्स के दाम लेते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1979-80 और 1980-81 में मरीजों के नाम पर दर्ज वितरण की जांच कराकर राजकीय धन के दुरुपयोग के अभियोग में उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम मकदूमनगर, जिला फैजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

10--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मकदूमनगर, टांडा, फैजाबाद में एलोपैथिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व भवन निर्माण हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

ग्रामीण अंचलों में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है। उक्त योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने के उपरान्त इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जायगा :

उक्त स्थान पर किसी भी प्रकार के भवन के निर्माण की कोई योजना इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

पी० सी० एफ० द्वारा चना एवं मसूर पर अर्जित लाभ

11—श्री शंकर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि 30 जुलाई, 1980 तथा 30 अक्तूबर, 1980 को पी० सी० एफ० के पास कितना चना तथा मसूर का स्टाक था ? जो खाद्यान्न इस अवधि में बेचा गया उनमें औसतन कितने रुपये फी कुंटल का लाभ हुआ ?

श्री वासुदेव सिंह—

दिनांक 31 जुलाई, 1980 को पी० सी० एफ० के पास चना और मसूर का स्टाक क्रमशः 136.5 मीट्रिक टन और 95.5 मीट्रिक टन, जिसका मूल्य 3.67 लाख रु० तथा 2.54 लाख रु० था । दिनांक 31-10-1980 को पी० सी० एफ० के पास इन वस्तुओं का कोई स्टाक नहीं था । उक्त अवधि में इन वस्तुओं की बिक्री पर पी० सी० एफ० को ग्रास लाभ चने में 55.54 रु० प्रति कुंटल और मसूर में 26.50 रु० प्रति कुन्टल हुआ ।

मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उप-मुख्य चिकित्साधिकारी के रिक्त पद

12—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारियों के ग्रेड के कितने पद रिक्त हैं और इनकी पूर्ति किए जाने के सिलसिले में शासन कौन सा कदम उठाने जा रहा है ?

श्री लोकपति—

इस समय प्रदेश में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड (रु० 1200-1800) के 14 पद तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी के ग्रेड (रु० 800-1450) के 47 पद रिक्त हैं । इसके अतिरिक्त हाल ही में स्पेशल ग्रेड (रु० 1200-1800) के 37 पद तथा सीनियर स्केल (रु० 800-1450) के 279 पद और सृजित किए गये हैं । इन सभी पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

सीतापुर जिले में जल निगम द्वारा टंकियों का निर्माण

13—श्री मुख्तार अनीस—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल निगम द्वारा सीतापुर जनपद में पानी की टंकी के निर्माण की योजना कहां-कहां बनाई गई है ? बेहटा, रेउसा तथा सतांव ब्लाकों के लिए भी क्या राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सीतापुर जनपद की सीतापुर बिसवां, नीमसार-मिश्रिख, खैराबाद एवं महमूदाबाद स्थानीय निकायों में जल सम्पूर्ति योजनायें जिनमें पानी की टंकियों का निर्माण शामिल है, निर्मित की जा चुकी हैं । तम्बौरे स्थानीय निकाय की योजना निर्माणाधीन है । लहरपुर, सिधौली, महोली एवं पैलेपुर स्थानीय निकायों के लिए योजनायें विरचित की जा चुकी हैं एवं उनका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ।

सीतापुर जनपद में अभी किसी ग्राम में टंकी एवं पाइपों द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजना निर्मित नहीं की गई है। बेहटा, रेउसा एवं सतांव ब्लाकों के लिए केवल बेहटा ग्राम को छोड़कर कोई योजना नहीं बनाई गई है। प्रथमतः अभावग्रस्त ग्रामों की योजनायें जिला परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विरचित की जायेंगी।

14—श्री नन्द किशोर सिंह—

[आश्वासन सीमित के विचाराधीन होने के कारण हटाया गया]

जल निगम के वरिष्ठ अवर अभियन्ताओं का स्थायीकरण

15— श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में विद्युत् व यांत्रिक अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड देने में नियमितीकरण (स्थायीकरण) में किन कारणों से जूनियर अवर अभियन्ताओं को वरिष्ठ अवर अभियन्ताओं से जिनके विरुद्ध कोई भी भ्रष्टाचार की या अन्य शिकायतें नहीं हैं, पहले सेलेक्शन ग्रेड दे दिया गया है व स्थायी कर दिया गया है व जिन-जिन वरिष्ठ अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड देने में उपेक्षा की गयी है, उनके विरुद्ध कौन-कौन से मुख्य चार्ज हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

उत्तर प्रदेश जल निगम में विद्युत् एवं यांत्रिक संवर्ग में कुछ वरिष्ठ अवर अभियंताओं का नियमितीकरण (स्थायीकरण) उनकी गोपनीय प्रविष्टियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सका है। उनके लिये पद सुरक्षित हैं। अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदनों के प्राप्त होते ही उनका नियमितीकरण (स्थायीकरण) नियमानुसार उसी तिथि से जिस तिथि से वह उनको देय है, स्वीकृत कर दिया जावेगा और उसके बाद उन्हे तदनुसार सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जायेगा।

जिन वरिष्ठ अवर अभियंताओं को सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जा सका है उनमें से किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है।

आयुर्वेदिक कालेजों की परिचारिकाओं का वर्दी भत्ता

16—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी में है कि शासन ने परिचारिकाओं का यूनीफार्म भत्ता रुपया 6 प्रतिमाह से बढ़ा कर रुपया 20 प्रतिमाह कर दिया है ? यदि हां, तो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ की परिचारिकाओं को भी बढ़ी हुई दर से उक्त भत्ते का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां। एलोपैथिक पक्ष की परिचारिकाओं का भत्ता बढ़ाया गया है। आयुर्वेदिक कालेजों की परिचारिकाओं को भी एलोपैथिक परिचारिकाओं के समान वर्दी भत्ता दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

देवरिया जिले के अंभाव स्थित साधन सहकारी समिति के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

17--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुंबेर भंडारी--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, ब्लाक भलुवनी के साधन सहकारी समिति, अंभाव के सचिव के विरुद्ध लाखों रुपयों के गबन से सम्बन्धित शिकायती-पत्र दिनांक 3 जुलाई, 1978, 21 जुलाई, 1979, 11 सितम्बर, 1979 को जिला सहायक निबन्धक, देवरिया 21 जुलाई, 1979 को जिला अधिकारी, देवरिया, 23 अगस्त, 1979 को निदेशक रजिस्ट्रार, लखनऊ, 11 सितम्बर, 1979 व 23 नवम्बर, 1979 को मुख्य मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं ? और इस सम्बन्ध में अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गई ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

शिकायत कर्ताओं की मुख्य शिकयतें निम्न थीं :--

1--समिति के सचिव द्वारा शिकायत कर्ताओं को पासबुक पूर्ण करके नहीं दी गई हैं ।

2--शिकायत कर्ताओं के जिम्मे समिति के अभिलेखों में जितना बकाया दिखाया जा रहा है, उतना बकाया धन उन्हें देना शेष नहीं है ।

3--जमा किये गये धन की नकदी रसीद शिकायत कर्ताओं को नहीं दी गई है ।

30-8-80 को शिकायत कर्ताओं से मध्यस्थ निर्णय द्वारा मामलों को टपिनाने हेतु लिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर 124 सदस्यों से फर्जी दावे प्राप्त किये गये तथा मध्यस्थ की नियुक्ति भी कर दी गई । समिति के सचिव को भी प्रतिवादी बनाया गया है तथा उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है । चार्ज हस्तान्तरित न करने के आरोप में उनको निलम्बित भी कर दिया गया है ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ की परिचारिकाओं के वेतन का भुगतान

18-श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ की कितनी परिचारिकाएं वित्तीय वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में उपार्जित अवकाश पर रहीं किन्तु उनके अवकाश को आज तक स्वीकृत नहीं किया गया है । जिसके कारण उस अवधि के रोके गए वेतन का भुगतान उन्हें आज तक नहीं हो पाया है ? अवकाश स्वीकृत न किए जाने का क्या कारण है तथा भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति--

वित्तीय वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में 16 परिचारिकायें (नर्सेज) उपार्जित अवकाश पर रहीं । उक्त सभी परिचारिकाओं का देय उपार्जित अवकाश स्वीकृत करके उनके उपार्जित अवकाश के वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

19—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बदायूं जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संदपुर का विद्युत कनेक्शन

20—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के नगर संदपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसका बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है ? यदि हां, तो कब से और किस कारण अब तक नहीं जुड़वाया गया है ? क्या इस डिस्पेंसरी में रेफ्रीजरेटर है ? यदि हां, तो बिजली न होने की वजह से उसका प्रयोग किस तरह से हो रहा है : यदि ऐसा है तो कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

बिजली विभाग के बकाया बिलों के भुगतान के अभाव में दिनांक 10 जनवरी, 1978 से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है । बिजली के अभाव में उक्त केन्द्र के रेफ्रीजरेटर का प्रयोग नहीं हो रहा है । बकाया बिलों के भुगतान तथा कनेक्शन पुनः जोड़ने की कार्यवाही कर दी गई है ।

इस सम्बन्ध में उक्त केन्द्र के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से पूछताछ की जा रही है । सभी तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

विधान सभा क्षेत्र सगड़ी, जिला आजमगढ़ की सीमेन्ट की दुकानें

21—श्री पंचानन राय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सीमेंट की कोई दूकान है ? यदि नहीं, तो क्या इस क्षेत्र की जनता की सीमेंट की आपूर्ति के लिए एजेंसी देने पर सरकार शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निम्नांकित चार सीमेन्ट लाइसेन्सी नियुक्त हैं जिनका लाइसेन्स 31 मार्च, 1981 तक वैध है :

नाम लाइसेन्सी	लाइसेन्स संख्या	विक्रय केन्द्र
1—श्री वारुराम	6	बाग खालिस
2—श्री राम वृक्ष राय	30	लाटघाट
3—श्री विश्वनाथ प्रसाद	63	चांदपट्टी
4—श्री मोती प्रसाद	191	रौनापार

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनावर की कथित बन्दी

22—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं का प्राइमरी हेल्थ सेन्टर बिनावर लगभग 2 या 3 महीने से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों और अब तक उस क्षेत्र के रोगियों को दवा देने का क्या प्रबन्ध किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में कौन अधिकारी उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी नहीं । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर के ड्राइवर, श्री छोटे खां की सेवा निवृत्ति

23—श्री किरनपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि छोटे खां पुत्र छंगा खां, एम्बुलेंस ड्राइवर जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर को अनियमित रूप से 3-6-80 को सेवा निवृत्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत कर्मचारी को उसकी सेवा पुस्तिका में इंगित जन्मतिथि के अनुसार दिनांक 15 जून, 1979 को 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर नियमानुसार 30 जून, 1979 को सेवा निवृत्त किया गया ।

24—श्री मोतीलाल देहलवी—

[4थ सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

25—श्री बदन सिंह—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका, फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त शिक्षा अधीक्षक, श्री हरदयाल शर्मा की अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्ति

26—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि नगरपालिका, फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त शिक्षा अधीक्षक (श्री हरदयाल शर्मा) को 23-1-1969 से 6-9-1969 तक अध्यक्ष, नगरपालिका की आज्ञा से अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्य करने का मानक अब तक स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि इस विषय में अनेक ज्ञापन एवं स्मृति पत्र दिये गये ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जिलाधिकारी फर्रुखाबाद से प्राप्त सूचना में यह कहा गया है कि प्रश्नगत प्रस्ताव शासन को 1-6-1970 को भेजा गया था, किन्तु प्रस्ताव शासन को न प्राप्त होने पर कोई कार्यवाही शासन स्तर पर नहीं की जा सकी । इस सम्बन्ध में 3-1-1979 को एक अनुस्मारक शासन को अवश्य प्राप्त हुआ है तथा उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नगरपालिका अयोध्या के कर्मचारियों का वेतन

27—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को पता है कि नगरपालिका अयोध्या अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन देने में असमर्थ पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति को खत्म करने के लिये नगरपालिका अयोध्या को तुरन्त तोड़कर उनके क्षेत्रफल को 1977 के पहले की तरह नगरपालिका फैजाबाद में शामिल करने के प्रश्न पर तुरन्त विचार करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाढ़ एवं वर्षा काल में पांच नगर महापालिकाओं द्वारा दवाओं की खरीद

28—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बाढ़ और वर्षा की विभीषिका के समय प्रदेश की पंच महानगरियों की महापालिकाओं के स्वास्थ्य विभाग ने पीड़ित जनता को कौन-कौन सी सुविधायें पहुंचाई ? पांचों महापालिकाओं के स्वास्थ्य विभाग ने कितने रुपये की दवाएं खरीदीं और किस तरह बांटी ? क्या शासन बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ महापालिका के स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ के समय कुल कितने रुपये की दवा कहां-कहां से खरीदी और किन-किन दिनों में कौन-कौन से मोहल्लों में दवा बाँटी ? क्या महापालिका के पास उसका कोई लिखित लेखा-जोखा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

वर्ष 1980 की बाढ़ एवं वर्षा काल में प्रदेश की महापालिकाओं द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :—

आगरा नगर महापालिका—

बाढ़ का विशेष प्रकोप नहीं था । अतः विशेष रूप से कोई दवाएं क्रय नहीं की गयी जिन क्षेत्रों में वर्षा का पानी भरा था उसकी निकासी कर दी गयी तथा छोटी-छोटी समस्याओं का निराकरण कराके जनता को राहत पहुंचायी गयी ।

वाराणसी नगर महापालिका—

बाढ़ एवं वर्षा के एकत्र पानी के निकासी की व्यवस्था कराई गयी तथा उन स्थानों की समुचित सफाई कराकर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव कराया गया । इस हेतु एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी जिसमें 24 घन्टे कार्य सम्पन्न हुआ । वर्षा काल में अलग से कोई दवा क्रय नहीं की गई थी बल्कि पूर्व स्टाक में उपलब्ध दवाओं का उपयोग किया गया ।

इलाहाबाद नगर महापालिका—

प्रभावित क्षेत्रों में शिविर लगाये गये जिनमें 24 घन्टे कार्य किया गया । टीके लगाए गये व दवाओं के छिड़काव की व्यवस्था की गयी । अस्थायी

शौचालयों का निर्माण कराया गया । बाढ़-ग्रस्त स्थानों की समुचित सफाई कराई गयी । बाढ़ के समय कोई दवा क्रय नहीं की गयी बल्कि स्टाक में पूर्व से उपलब्ध दवाओं का ही उपयोग किया गया ।

लखनऊ नगर महापालिका--

दो कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी । इन कन्ट्रोल रूमों में 24 घन्टे सर्वसाधारण को प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गयी । प्रभावित क्षत्रों में कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया । टीके लगाये गये । अस्थायी शौचालयों का निर्माण कराया गया था ।

जनसाधारण के प्रयोग की कोई दवा बाढ़-काल में नहीं क्रय की गयी पूर्व सुरक्षित स्टाक में उपलब्ध दवाओं का उपयोग किया गया । बाढ़ काल में केवल कीटाणुनाशक दवाओं का क्रय किया गया। जो कुल रु0 22,567.59 की थी । आपदाग्रस्त समस्त व्यक्तियों को दवाएं उपलब्ध कराकर राहत पहुंचायी गयी इस हेतु कोई लिखित विवरण नहीं रखा गया क्योंकि यह एक आकस्मिक एवं आपातकालिक व्यवस्था थी ।

कानपुर नगर महापालिका---

सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है ।

मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव में चीनी की दुकानों का आवंटन एवं निलम्बन

29--श्री सुबेदार सिंह तथा श्री फखरे आलम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद की भोगांव तहसील में 1 जून, 1980 से 31-10-80 तक किन-किन ग्राम सभाओं में किन-किन लोगों को चीनी की दुकानें आवंटित की गयीं ? यदि हां, तो आवंटित की गई दुकानों में कितने हरिजन, बेरोजगार स्नातक या भूत पूर्व सैनिकों को दी गयी ?

(क) उपरोक्त अवधि में चीनी की कितनी और कौन-कौन सी दुकानें निलम्बित की गयीं तथा निलम्बित दुकानों में से कितनी को निरस्त तथा कितनी को बहाल कर दिया गया ? निलम्बन, निरस्तीकरण और बहाल किये जाने का आधार क्या था ?

(ख) उक्त अवधि में चीनी की कितनी मात्रा किन-किन दुकानों को आवंटित की गयी और ऐसी कौन-कौन सी ग्राम सभायें हैं जहां अक्तूबर, 1980 में नवीन दुकानें खोली गयी तथा किस आधार पर ?

श्री वासुदेव सिंह--

1 जून, 1980 से 31 अक्तूबर, 1980 तक तहसील भोगांव में 24 चीनी की दुकानें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उस समय उपलब्ध प्रार्थना-पत्रों के आधार पर वरीयताक्रम के अनुसार आवंटित की गई । उक्त दुकानों का ब्रेक-अप निम्नवत् है :

1--हरिजनों को--13 दुकान ।

2--भूतपूर्व सैनिकों को 4 दुकानें ।

3--स्वतंत्रता संग्राम सेनानी-एक दुकान ।

4 -क्षेत्रीय सहकारी समिति-एक दुकान ।

5--अन्य व्यक्तियों को 5 दुकानें ।

उपरोक्त अवधि में तहसील–मेंगांव में 20 चीनी की दुकानें निलम्बित हुई जिनमें से दस दुकानें निरस्त की गई । उक्त निरस्त की गई दुकानें ऐसी थीं जिनमें पूर्ति निरीक्षक, नायब तहसीलदार, सहायक विकास अधिकारी द्वारा मौके पर जांच के फलस्वरूप चीनी वितरण में अनियमिततायें पाई गई थीं । इनमें से 6 दुकानों पर आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । अतएव, उन्हें बहाल कर दिया गया ।

जून, 1980 से सितम्बर, 1980 की अवधि में प्रतिमाह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की कुल दुकानों को 1043 कुन्तल चीनी की मात्रा आवंटित की गई । माह अक्तूबर, 1980 में समस्त दुकानों को 1104 कुन्तल चीनी आवंटित की गई । माह अक्तूबर, 1980 में तीन दुकानें नई खोली गई । इनमें से दो दुकानें भूतपूर्व सैनिकों को तथा एक दुकान क्षेत्रीय सहकारी समिति को वरीयता क्रम के आधार पर दी गई ।

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया की सस्ते गल्ले की दुकान एवं चीनी की दुकानों के विरुद्ध मुकदमा

30––श्री हरिवंश सहाय––

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर में 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट के अधीन कितने सस्ते गल्ले के दुकानदारों के खिलाफ 1–6–80 से 31–10–80 तक मुकदमें कायम थे ? उनमें से कितने को परगनाधिकारी ने बहाल कर दिया ?

श्री बासुदेव सिंह––

प्रश्नगत तहसील में दिनांक 1 जून, 1980 से 31 अक्तूबर, 1980 की अवधि में 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट के अधीन 23 सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी के दुकानदारों के खिलाफ मुकदमें कायम थे और उनमें से 11 (ग्यारह) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें परगनाधिकारी द्वारा बहाल कर दी गई ।

गोरखपुर के विकास क्षेत्र महराजगंज एवं मिठौरा के प्रधानों की सस्ते गल्ले की दुकानों का निरसन

31––श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक महाराजगंज, मिठौरा व खोराबार के प्रधानों, उपप्रधानों एवं इनके परिवार के नाम सरकारी सस्ते गल्ले व चीनी आदि की दुकान होने की शिकायतें माह जुलाई, 1980 से अब तक प्रश्नकर्ता व जनता की ओर से प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह––

परगनाधिकारी महाराजगंज से माननीय विधायक श्री फिरंगी प्रसाद ने विकास क्षेत्र–महराजगंज एवं मिठौरा के प्रधानों, उप प्रधानों एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित होने की मौखिक शिकायत की थी । परगनाधिकारी ने जांचोपरान्त महराजगंज विकास क्षेत्र में 3 तथा मिठौरा विकास क्षेत्र में 2 सस्ते गल्ले/चीनी की दुकानें जो प्रधान एवं उनके पुत्रों के नाम आवंटित थी, निरस्त कर दिया । इस सम्बन्ध में जनता द्वारा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया की सस्ते गल्ले की दुकानों का निरसन

32--श्री मोहन सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर में परगनाधिकारी ने जून, 1980 से नवम्बर, 1980 के बीच सरकारी सस्ते गल्ले की कितनी राशन की दुकानों को निरस्त किया तथा इस अनुपात में इन्हीं महीनों में कितनी नई दुकानें स्वीकृत की ? निरस्त राशन की दुकानों के उपभोक्ताओं को किस पद्धति से राशन तथा आवश्यक उपभोक्ता सामग्री वितरित की जा रही है ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्नगत अवधि में सरकारी सस्ते गल्ले की 15 दुकानें निरस्त की गई तथा 3 दुकानें नियुक्त की गई । उक्त निरस्त दुकानों के कार्ड धारकों को उसी न्याय पंचायत के अन्य दुकानदार के साथ सम्बद्ध करके खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण कराया जा रहा है ।

गोंडा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा चावल, गेहूं एवं चीनी का वितरण

33--श्री मसरूर जाफरी--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी के दुकानदारों को गेहूं, चावल, चीनी जन संख्या के आधार पर वितरण हेतु दिया जाता है जबकि उपरोक्त सामग्री राशन कार्डों तथा यूनिट के आधार पर देने के लिये आदेश हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद-गोंडा के ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी के दुकानदारों को चावल/चीनी जन संख्या के आधार पर वितरण हेतु दिया जाता है । गेहूं का आवंटन जो शासन द्वारा प्राप्त होता है वह मात्रा शहरी क्षेत्र के लिये ही पर्याप्त हो पाता है । जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं वितरण हेतु नहीं दिया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी/चावल का वितरण राशन कार्ड/यूनिट के आधार पर किया जाता है ।

विकास खंड, इटवा, जिला बस्ती के कतिपय सस्ते गल्ले के दुकानदारों के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

34--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के विकास खंड इटवा न्याय पंचायत क्षेत्र महादेव घुह के सस्ते गल्ले के दुकानदार मोहम्मद हदी पुत्र नसुरुल्ला व न्याय पंचायत मुडिला के दुकानदार श्री अकबर अली पुत्र सोहरत अली व न्याय पंचायत इनरीगाट के दूकानदार श्री जनी उल्लाह पुत्र अहमद व न्याय पंचायत मेहदानी के वली मोहम्मद पुत्र हुब्बा व न्याय पंचायत कमिया सेवा दुकानदार मोहम्मद यार पुत्र याकूब तथा विकास खंड भनवापुर के दुकानदार श्री असगर अली पुत्र छांगुर के विरुद्ध चीनी न वितरण करने का शिकायती पत्र वहां की जनता ने परगनाधिकारी, डुमरियागंज के क्षेत्रीय विधायक के संस्तुति के साथ दी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त दुकानदारों के विषय में उनकी शिकायतों की जांच परगनाधिकारी, डुमरियागंज ने कराई ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्नगत दुकानों में से न्याय पंचायत मुडिला के दुकानदार श्री अकबर अली व न्याय पंचायत कमिया सेनरा के दुकानदारों श्री मोहम्मद यार केवल इन दो दुकानदारों के विरुद्ध चीनी न वितरण करने का शिकायती पत्र क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति के साथ परगनाधिकारी डुमरियागंज को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई। जांच के आधार पर श्री अकबर अली की दुकान दिनांक 4 जनवरी, 1981 को निलम्बित व श्री मोहम्मदयार की दुकान दिनांक 6 जनवरी, 1981 को निरस्त की जा चुकी है। शेष दुकानदारों के विरुद्ध विधायक की संस्तुति के साथ प्रश्नगत शिकायती पत्र परगनाधिकारी, डुमरियागंज के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये हैं। अतएव, उनके विरुद्ध जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर एच० एन० श्रीवास्तव, सिविल अस्पताल, ललितपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

35-श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रार्थी श्री मुन्ना लाल ग्वाला ने कोई प्रार्थना पत्र डाक्टर एच० एन० श्रीवास्तव, सिविल अस्पताल ललितपुर के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1980 में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? मंत्री जी यह भी कृपा बतायेंगे कि उक्त डाक्टर कब से ललितपुर में अनवरत कार्यरत हैं ? क्या इसको स्थानान्तरित कर जांचोपरान्त समुचित दंड देने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति--

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी, ललितपुर द्वारा कराया गया। जांच में लगाया गया आरोप सत्य नहीं पाया गया डा० श्रीवास्तव, ललितपुर में दिनांक 26-5-1977 से अनवरत कार्यरत हैं। जांच के फलस्वरूप डा० श्रीवास्तव को दंड देने का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैथरा जिला एटा के चिकित्साधिकारी द्वारा कपड़े का खरीद

36-श्री मित्रसेन--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैथरा एटा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 17-12-80 को बिल नं० 3255 द्वारा क्रय किया गया सामान अस्पताल में उपलब्ध है यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर वस्तु स्थिति की जानकारी देगी ?

श्री लोकपति--

श्री गांधी आश्रम, एटा शाखा के बिल नं० 3255 दिनांक 26-11-79 व 17-12-79 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैथरा, जिला एटा के वाहन चालक की वर्दी के लिये कपड़ा क्रय किया गया था, जो उक्त केन्द्र के वाहन चालक श्री प्रताप सिंह को वर्दी बनाने हेतु निर्गमित कर दिया गया था। इस मामले में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण एवं कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान (ब्रेक इन सर्विस)

37–श्री राम आसरे वर्मा––

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० उपभोक्ता सहकारी संघ, बालाकदर रोड, लखनऊ के माध्यम से किन–किन आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था की गई है तथा इससे पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उक्त संस्था को कितना हानि/लाभ हुआ तथा उक्त संस्था में राज्य सरकार तथा संस्था का क्रमशः कितना धन लगा हुआ है ?

श्री बासुदेव सिंह––

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा नियंत्रित कपड़े अनियंत्रित कपड़े, हैंडलूम के कपड़े, खाद्यान्न, चीनी, खाद्य, तेल, साबुन, चाय, माचिस, टायर ट्यूब, बैटरी सेल, वनस्पति, दालें तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था की जाती है । पिछले 3 वर्षों में संघ का लाभ निम्न प्रकार है :––

वर्ष			लाभ की धनराशि
1977–78	..	..	36.03 लाख रुपया
1978–79	..	..	34.36 लाख रुपया
1979–80	..	..	45.00 लाख रुपया (अनुमानित)

राज्य सरकार द्वारा 96,93 लाख रुपये और अन्य संस्थानों द्वारा 117.42 लाख रुपया इस संघ के अंशधन में लगा हुआ है ।

38–श्री राम आसरे वर्मा––

इस संस्था के मुख्यालय तथा शाखाओं में किस–किस श्रेणी के कितने–कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? उनमें से कितने डेपूटेशन पर हैं, कितने संस्थागत सेवा मंडल द्वारा चयनित तथा कितने तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हैं ? कितनी धनराशि तीन वर्षों में डेपूटेशन एलाउन्स के रूप में दी गई ?

श्री बासुदेव सिंह––

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ 1320 पर) ।

39––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या यह सच है कि यू० पी० उपभोक्ता सहकारी संघ बालाकदर रोड, लखनऊ में तदर्थ रूप से वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की सेवायें हर तीन माह बाद एक दिन के लिये ब्रेक करके फ्रस एव्वाइंटमेंट किया जाता है ? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने लोगों की सेवायें एक बार से अधिक ब्रेक की गयीं ? क्या इस

विषय पर दिसम्बर, 1980 को मुख्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्री को विधायकों की लिखित शिकायतें भी मिली हैं ? यदि हां, तो क्या इस अमानवीय पद्धति को समाप्त करके इन तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति तीन वर्ष की अवधि पर विनियमित करने के आदेश सरकार देगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, परन्तु कुछ में ब्रेक की अवधि एक दिन से अधिक भी है। पिछले 3 वर्षों में 66 लोगों की सेवाएं एक बार से अधिक ब्रेक की गयी। इस विषय पर दिसम्बर, 1980 में विधायकों की लिखित शिकायते प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी सेवा विनियमावली में तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है।

गोंडा जिले की बड़गांव, सहकारी क्रय-विक्रय समिति के सचिव श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव के विरुद्ध अंकित गबन की रिपोर्ट

40--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले की (बड़गांव) सहकारी क्रय-विक्रय समिति में विगत पांच वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध समिति का धन अपहरण, अनियमितता बरतने की कितनी शिकायतें उक्त अवधि में शासन को प्राप्त हुई ? उक्त प्राप्त शिकायतों की जांच किस किस अधिकारी ने की, जांच रिपोर्ट क्या है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वासुदेव सिंह--

गोंडा जनपद की बड़गांव सहकारी क्रय-विक्रय समिति के सम्बन्ध में विगत 5 वर्षों में 4 शिकायतें प्राप्त हुई थी। ये शिकायतें मुख्य रूप से श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, जो कि उक्त समिति के तत्कालीन सचिव थे, एवं कुछ अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध थी। तीन शिकायतों की जांच उप निबन्धक (क्रय-विक्रय), (मुख्यालय) द्वारा कराई गई। दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :--

(1) श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, तत्कालीन सचिव, की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई, उन्हें निलम्बन काल का वेतन नहीं दिया गया और 5 वर्ष तक उन्हें किसी सहकारी संस्था में नियुक्त किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

(2) श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, तत्कालीन सचिव एवं समिति के 6 अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध थाना कोतवाली, गोंडा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21-11-78 को दर्ज कराई गई जिसमें 30, 28 रु0 17 पैसे के अपहरण का उल्लेख है। एक दूसरी रिपोर्ट जो कि 29,816 रुपये 58 पैसे के अपहरण के सम्बन्ध में है, श्री अयोध्या प्रसाद, समिति के विक्रेता के विरुद्ध दिनांक 17-12-1980 को दर्ज कराई गई। इन दोनों मामलों में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(3) सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, गोंडा को यह आदेश दिया गया है कि सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिभार (सरचार्ज) की कार्यवाही करें।

[श्री बासुदेव सिंह--]

चौथी शिकायत की जांच उप पुलिस अधीक्षक (फूड सैल) ने की जिसके आधार पर श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, समिति के तत्कालीन सचिव एवं श्री बेनी प्रसाद तिवारी, आंकिक के विरुद्ध थाना कोतवाली, गोंडा में दिनांक 11-5-1979 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। श्री बेनी प्रसाद तिवारी, आंकिक को निलम्बित कर दिया गया है।

लखनऊ के अलीगंज स्थित एम0 आई0 जी0 कालोनी की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था

41--श्री मुख्तार अनीस--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में अलीगंज स्थित एम0 आई0 जी0 कालोनी की अधिकांश सड़कों पर मार्ग प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अन्धेरा रहता है जिससे वहां असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है ? क्या इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1980 में महापालिका में शिकायत संख्या 109 तथा 110 दर्ज कराने तथा जनवरी, 1981 में अधिशासी अभियन्ता के आदेश के बावजूद अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो प्रकाश की समुचित व्यवस्था अविलम्ब कराने तथा गलत रिपोर्ट देने वाले दोषी व्यक्तियों को दंडित करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

अलीगंज स्थित एम0 आई0 जी0 कालोनी की अधिकांश सड़कों पर मार्ग प्रकाश की समुचित व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1980 में महापालिका में शिकायत संख्या 109 तथा 110 दर्ज करायी गई थी तथा सम्बन्धित मार्ग प्रकाश बिन्दुओं को ठीक करने हेतु अधिशासी अभियन्ता ने आदेश भी किये थे, जिसके बाद मार्ग प्रकाश की समुचित व्यवस्था कर दी गई। अस्तु किसी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पालपुर, थाना कुमार गंज, जिला फैजाबाद में सामन्तों द्वारा 3 हरिजनों की हत्या तथा कई व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजकर 7 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 की कुल 12 सूचनायें आज प्राप्त हुई जिनमें से पांच स्वीकृत हुई।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद के थाना कुमारगंज के अन्तर्गत ग्राम पालपुर के हरिजनों द्वारा मजदूरी बढ़ाये जाने की मांग पर दिनांक 12-2-81 को सुबह के लगभग 8 बजे उक्त गांव के सामन्तों द्वारा स्थानीय पुलिस की सांठगांठ से सशस्त्र हमला कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप 3 हरिजन सर्वश्री बुधराम, रामबख्श और करिया जान से मारे गये तथा औरतों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समेत दर्जनों लोग घायल हुए। इस दरमियान सामन्तों द्वारा उन्हें तंग व मजबूर करने की नियत से उनके खेतों को न सीचन देने, अधिक मजदूरी पर दूसरे गांव जाकर काम करने जाने पर रोक लगाने तथा उनकी फसल को काटकर नुकसान पहुचाने जैसी वारदातें होती रही जिसकी सूचना समय-समय पर हरिजनों द्वारा बराबर प्रशासन को प्रार्थना पत्रों के माध्यम से दी जाती रही। चूंकि स्थानीय थाने के इन्चार्ज की रिश्तेदारी उन सामन्तों के घर है अतएव उन्होंने जानबूझकर उक्त घटना के पूर्व की एहतियाती कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप इन हरिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया और स्थानीय पुलिस की मिली भगत के कारण मुल्जिमान मूछ पर ताव देकर टहल रहे हैं।

उपरोक्त घटना से पूर्व जवार के हरिजनों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। जो वर्तमान सरकार के लिए एक कलंक और चुनौती है। अतएव सही जांच हेतु स्थानीय थाने के इन्चार्ज को अविलम्ब निलम्बित किया जाये और हरिजनों की सुरक्षा व्यवस्था की जाये तथा उक्त घटना की जांच किसी निष्पक्ष वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करायी जाय।

आजमगढ़ में टोंस नदी पर बने ऐतिहासिक पुल को डाइनामाइट से उड़ाने की योजना से नागरिकों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर—

अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ नगर को बाहरी दुनिया से मिलाने वाला ऐतिहासिक मार्ग तथा पुल, जिसे शेरशाह सूरी ने बनावाया था, जिसे आजमगढ़ के सा0 नि0 वि0 के अभियन्ता तथा नौकरशाही दोनों मिलकर तोड़ रहे हैं तथा टोंस नदी पर बने पुल को डाइनामाइड से उड़ाने की योजना है। इस पागलपन और हठधरमी की कोई इन्तहा नहीं। टोंस नदी की बाढ़ को रोकने की विधायकों तथा अधिकारियों की संयुक्त बैठक में कई निर्णय लिये गये थे जिसको न करके ये जन विरोधी कार्य किया जा रहा है। इससे नगर तथा जनपद की जनता को बड़ा आक्रोश है। यह पुल तथा मार्ग बहुत अच्छी हालत में है सड़क को नीची कर देने से भी बाढ़ का खतरा पूर्णतया समाप्त हो जायगा। इस मार्ग से हजारों आदमी तथा सवारी गाड़ियां आती जाती हैं। पुल और सड़क की हालत बहुत अच्छी है। सदन के माध्यम से इस जटिल समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न को सरकार फौरन ले और इस ऐतिहासिक मार्ग तथा पुल का तोड़ा जाना तुरन्त बन्द किया जाय तथा जनपद की जनता की भावनाओं का आदर किया जाये।

उन्नाव जनपद में सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई महसूल की वसूली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक लोक महत्व का प्रश्न शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल—]

वर्ष 1978 की बाढ़ व 1979 के सूखा तथा 1980 की अतिवृष्टि व बाढ़ से प्रदेश के किसानों की फसलों को अभूतपूर्व क्षति हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप भूराजस्व, सिंचाई व अन्य कृषि देयों की वसूलयाबी मुल्तवी कर दी गई थी जो 30 नवम्बर, 1980 को समाप्त हो गई है और पहली दिसम्बर से वसूलयाबी शुरू हो गई है। शासन ने जिला अधिकारियों को यह भी आदेश दिये हैं कि नियमों के अनुसार किसानों को लगान में छूट दी जाय।

उन्नाव जनपद में रबी 1387 फ0 में सूखे के कारण तथा खरीफ 1388 फ0 में अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण समस्त जिले में फसलों को 75 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है और इसी आधार पर जिलाधिकारी ने दोनों फसलों के सम्पूर्ण भूराजस्व की माफी की संस्तुति शासन से की है और शासन द्वारा स्वीकृति की अपेक्षा में उक्त भूराजस्व की वसूलयाबी नहीं की जा रही है लेकिन इन फसलों से सम्बन्धित सिंचाई महसूल की वसूलयाबी किसानों से की जा रही है।

कैनाल ऐक्ट के अधीन बनाये गये नियम 17 व 18 जिसका उल्लेख मैनुवल आफ आर्डरस इरीगेशन डिपार्टमेन्ट के पैरा 316 में किया गया है, इस बात का प्राविधान है कि यदि किसी फसल को 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान हो तो पूरा सिंचाई महसूल माफ कर दिया जायगा। यह भी प्राविधान है कि सिंचाई महसूल में छूट खेतवार दी जायगी लेकिन व्यापक क्षति होने की अपवाद स्वरूप दशा में माफी फ्लेट रेट से दी जायगी। रबी 1387 व 1388 फ0 में उन्नाव जनपद में शत प्रतिशत गांवों के शत प्रतिशत खेतों में व्यापक क्षति के कारण 75 प्रतिशत से ऊपर हानि हुई है, जिसके आधार पर जिलाधिकारी ने समस्त भूराजस्व की माफी की संस्तुति शासन को की है। ऐसी दशा में नियमों के अनुसार रबी 1387 फ0 और खरीफ 1388 फ0 की सिंचाई महसूल भी माफ हो जाना चाहिये।

खेद का विषय है कि उन्नाव जनपद में सिंचाई विभाग नियमों का परिपालन न करके सिंचाई महसूल वसूल करवा रहा है जो किसानों द्वारा देय नहीं होना चाहिये।

अतएव, आपके द्वारा शासन से अनुरोध है कि उक्त दोनों फसलों से सम्बन्धित सिंचाई महसूल की वसूली तत्काल रोक दी जाय और सिंचाई विभाग को आदेश दिया जाय कि वह छूट की घोषणा करें तथा किसानों को छूट की पर्चियां दें तथा जिन काश्तकारों से सिंचाई महसूल वसूल कर लिया गया है वह वापस किया जाय।

आगरा के अतिरिक्त जिलाधिकारी, पूर्ति द्वारा हरिजन कांग्रेस कार्यकर्ता श्री कालीचरण को अपमानित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद कुमार कर्दम—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विगत दिवस आगरा में घटित अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

आगरा के अतिरिक्त जिलाधिकारी, पूर्ति द्वारा हरिजन कांग्रेस कार्यकर्त्ता श्री काली चरण को अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मान्यवर, दिनांक 18-2-81 को एक हरिजन कांग्रेस कार्यकर्ता श्री कालीचरन जब अतिरिक्त जिलाधिकारी, पूर्ति श्री नरेन्द्रनाथ वर्मा के कार्यालय में जनता के कार्य से पहुंचे, उसने अपना परिचय देने के बाद आने का मतलब बतलाया तो अतिरिक्त जिलाधिकारी श्री वर्मा ने क्रोधित होकर श्री कालीचरन को गाली गलौज व उसे व उसके समाज को गाली गलौज करने लगा और कहा कि, "साले चमारों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे कार्यालय में आ गये।" और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। श्री कालीचरन ने उपरोक्त घटना की रिपोर्ट थाना रकाबगंज में धारा 417, 323 व 504 में की व मु0 नं0 111 कायम हुआ।

यहां यह ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व भी उक्त जिलाधिकारी अपने कार्यालय में दुकानदारों व नागरिकों के साथ हाथापाई व मारपीट कर चुके हैं, जिसकी ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है।

मान्यवर, इस घटना से हरिजन समाज को उसने अपमानित किया है। जो शासन के लिए ऐसा अधिकारी घोर कलंक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से साग्रह अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को एक क्षण भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे अधिकारी शासन के लिए कलंक हैं तथा उस अधिकारी को निलम्बित किये जाने की घोषणा सदन में करें।

किसान रैली में भाग लेन जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुरादाबाद में खालसा व आनन्द होटल के मालिकों पर फायरिंग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रियासत हुसेन--

मान्यवर, दिनांक 15 फरवरी सन् 1981 को शाम के समय 16 फरवरी, 1981 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने के लिए कुछ कांग्रेसजन बसों में जा रहे थे। उन्होंने मुरादाबाद स्टेशन के सामने खालसा होटल और आनन्द होटल में खाना खाया होटल वाले ने जब पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया और इसके ऊपर दोनों पक्षों में तू-तू मैं मैं हुई नौबत यहां तक पहुंची कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने जिनके पास देशी तमंचे थे, फायरिंग कर दी। इससे भी ज्यादा शर्म की बात तब हुई जब होटल मालिक इस घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए गये तो उनके साथ उनके दोस्त श्री पुष्कर जो एक पत्रकार हैं, वह भी गये थे कोतवाली में उन लोगों को रिपोर्ट लिखने के बजाय बठा लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पता यह चला है कि श्री पुष्कर और होटल मालिक को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मुरादाबाद शहर की परिस्थिति अभी भी ठीक नहीं है और इस हालत में 15 फरवरी की रात में सड़क के ऊपर फायरिंग हो जाने से पूरी शहर के अन्दर एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया इस घटना से मुरादाबाद की जनता में व्यापक रूप से असंतोष और अविश्वास उत्पन्न हो गया है।

अतः मैं लोक महत्व तथा इस अविलम्बनीय और निश्चित विषय की ओर माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने एक औचित्य के प्रश्न की लिखित सूचना आपको दी थी।

श्री अध्यक्ष--

पहले औपचारिक कार्य हो जाने दीजिये।

(समय 12 बज कर 17 मिनट)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्य रेल कूपन) नियमावली, 1981†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं संसदीय अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या 1208 सं0 17-81-170, सं0 80, दिनांक 27 जनवरी, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्य रेल कूपन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981†

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं शिक्षा (5) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 20/15 (5)-81-162/73-यू0 पी0 ए0-34/1972 रूल 1979, दिनांक 3 जनवरी, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से, घोषणा करता हूं कि इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 सितम्बर, 1980 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 सितम्बर, 1980 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 4 फरवरी, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

औचित्य के प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न था ।

श्री मोहन सिंह--

मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न है ।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई आदि के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

निम्नलिखित माननीय सदस्यों को गिरफ्तार किये जाने / कारावासित किये जाने रिहा किये जाने की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई है--

1--श्री शंकर सिंह,

2--श्री दलगंजन सिंह तथा

3--श्री वीरेन्द्र सिंह ।

उपर्युक्त सूचना इस सचिवालय के बुलेटिन संख्या 19 एवं 20 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है ।

कतिपय सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष--

सूचनायें सुन लीजिये । औचित्य का प्रश्न अभी सामने आयेगा ।

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा विधान सभा में दल परिवर्तन की सूचना प्राप्त हुयी है--

1--श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी (गाजियाबाद)	कांग्रेस (अर्स) से	कांग्रेस (आई०)
(मेजों की थपथपाहट)		
2--श्री हरीकिशन श्रीवास्तव (कानपुर)	लोकदल से	निर्दलीय
3--श्री ख्वाजा हलीम (अलीगढ़)	लोकदल से	निर्दलीय
4--श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर)	लोकदल से	निर्दलीय
5--श्री नाजिर अली (शाहजहांपुर)	लोकदल से	निर्दलीय
6--श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर)	लोकदल से	निर्दलीय
7--श्री यदुनाथ सिंह (मिर्जापुर)	लोकदल से	निर्दलीय

श्री ऊदल--

मैं संसदीय शिष्टाचार के नाते आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी जब श्री मुन्नी के बारे में आपने यह बताया कि उन्होंने असं कांग्रेस को छोड़ कर कांग्रेस (आई) ज्वाइन किया है तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें बड़े जोर से थपथपायी जो दल-बदल को बढ़ावा देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं।

(व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि यह लोग संसदीय शिष्टाचार को कायम रखेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

जिन घटित घटनाओं की सूचना मुझको सदन में प्राप्त हुयीं उसकी सूचना मैंने दे दी। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। जो सूचनायें सदन में मुझे प्राप्त हुयीं उनकी सूचना मैंने सदन में दे दिया। यहां सदन में उसकी जो प्रतिक्रिया हो, जब तक वह असंसदीय नहीं होगी, मैं उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। एक निर्णय है।

दिनांक 5 फरवरी, 1981 को श्री हरी किशन श्रीवास्तव द्वारा चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध कही गयी बातों को कार्यवाही से निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

दिनांक 5 फरवरी, 1981 को माननीय श्री हरी किशन श्रीवास्तव ने कतिपय सदस्यों सहित विधान मण्डल लोकदल की सदस्यता से त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी बात कहते हुये चौधरी चरण सिंह के प्रति कुछ आरोप लगाये थे। माननीय श्री हुकम सिंह द्वारा उसी समय इस पर आपत्ति किये जाने पर मैंने चौधरी चरण सिंह के सम्बन्ध में कही गयी बातों को कार्यवाही से निकाल दिये जाने का निर्देश दिया था।

दिनांक 6 फरवरी, 1981 को माननीय श्री हरी किशन श्रीवास्तव ने लिखित पूर्व सूचना दे कर सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये, मेरा ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 304 की ओर आकृष्ट किया था और इस आधार पर मुझसे अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया था कि कार्यवाही से निकाले जाने वाले शब्दों में कोई अभद्र या असंसदीय शब्द नहीं हैं। उस समय मैंने इस पर विचार कर निर्णय देने को कहा था।

मैंने दिनांक 5 तथा 6 फरवरी, 1981 की कार्यवाही को देखा और उन पर नियम 304 के प्राविधानों के सन्दर्भ में विचार किया। यह सही है कि नियम

304 के अन्तर्गत मानहानिकारक, अशिष्ट, असंसदीय या अभद्र शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जाने की व्यवस्था है और जो शब्द माननीय श्री श्रीवास्तव द्वारा माननीय चौधरी चरण सिंह जी के सम्बन्ध में दिनांक 5 फरवरी, 1981 को कहे गये थे वे अशिष्ट असंसदीय या अभद्र नहीं कहे जा सकते किन्तु जो आरोप लगाये गये हैं वे मानहानिकारक कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस विधान सभा में तथा लोक सभा में भी इस प्रकार के निर्णय हुये हैं कि ऐसे बाहरी व्यक्तियों का जिन्हे सदन में उत्तर देने का अधिकार नही है, नाम लेकर आलोचना करना या उन पर आरोप लगाना अनुचित है। अतएव, उक्त नियम 304 एवं पूर्व निर्णयों को ध्यान में रखते हुये पुनर्विचार के पश्चात् भी मैं दिनांक 5 फरवरी, 1981 को दिये गये अपने निर्देश में कि चौधरी चरण सिंह के सम्बन्ध में कही गयी बातों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय, परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझता हूं।

आज सदन में दी गयी दल परिवर्तन की सूचना में लोकतान्त्रिक लोक दल को घोषणा न होने पर आपत्ति

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, आपने घोषणा किया है कि हम लोग निर्दलीय हैं। तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो पत्र मैंने आपको दिया है उसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि हम लोग लोकतन्त्रिक लोक दल के सदस्य हो गये हैं। मैं मानता हूं कि लोकतान्त्रिक लोकदल को मान्यता इस सदन में नहीं है लेकिन आपकी घोषणा में लोकतान्त्रिक लोकदल होना चाहिये था चूंकि मैंने लिखित दिया है।

श्री अध्यक्ष--

जितना आपने कहा है उसको मैं सुधारे देता हूं कि आपने अपनी सूचना में लोकतान्त्रिक लोकदल में जाने की बात कही है परन्तु चूंकि यहां सदन में इसकी मान्यता नहीं है और इस दल का कोई संविधान एवं नियम भी नहीं दिया गया है इसलिये निर्दलीय के रूप में बताया गया है।

शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री तथा शिक्षा राज्य मन्त्री द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, आपका औचित्य का क्या प्रश्न है? आप संक्षेप में कहें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, पहले मैं घटना दो पंक्तियों में कहना चाहता हूं। 5 फरवरी को विधान परिषद् में राज्य शिक्षा मन्त्री, श्री सच्चिनन्द ने घोषणा किया था कि सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के बारे में तय किया है जिसकी इस सदन में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

विधिवत घोषणा हो जायेगी । शिक्षा मन्त्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, ने प्रदेश कांग्रेस (आई) द्वारा बनाये गये एक संगठन का उद्घाटन करते हुये अपने भाषण में कहा और माना कि इस तरह का फैसला नहीं लिया गया है कि विद्यालयों का राष्ट्रीकरण कोई सोच विचार के बाद किया जायेगा । इस तरह यह दोनों परस्पर विरोधी घोषणायें हैं और संविधान की मान्यताओं की अवमानना हुई है क्योंकि संविधान की नीति सम्बन्धी मामलों और मतभेद का प्रकाशन नहीं होना चाहिये । इसके साथ ही साथ गम्भीर बात यह हुई है कि शिक्षा में रुचि रखने वाले अध्यापक जो राष्ट्रीयकरण की मांग करते आये हैं उनके मन में एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि घोषणा की गयी राज्य मन्त्री द्वारा कि राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं और इस सदन में विधिवत उसकी घोषणा कर देंगे और उससे बड़ी कैबिनेट मन्त्री की घोषणा हो कि विचार नहीं किया है, तफतीश से विचार करने की जरुरत है । इसलिये नीति विषयक विरोधी घोषणाओं से संविधान की मान्यताओं की अवमानना हुई है, संसदीय परम्परा के विपरीत आचरण हुआ है और संशय की भावना पैदा हो गयी है । इसलिये मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें और मैं चाहूंगा कि सरकार को आप निर्देश दें कि वह अपना स्पष्टीकरण दे और जो संविधान की अवमानना हुई है उसके सम्बन्ध में आप उचित व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने यह विषय उठाया है कि माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री ने विधान परिषद् में और माननीय शिक्षा मन्त्री ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस (आई) द्वारा बनाये गये एक शिक्षक संगठन का उद्घाटन करते हुये जो बातें कही हैं राष्ट्रीयकरण के बारे में वह भिन्न हैं--राज्य मन्त्री ने कहा कि राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी जायेगी और माननीय शिक्षा मन्त्री ने कहा कि राष्ट्रीयकरण सोच विचार के बाद किया जायेगा । जैसा कि इनका औचित्य का लिखित सूचना में निहित है कि एक विधान परिषद् में कही गई है और दूसरा कांग्रेस (आई) के सम्मेलन में घोषणा के सम्बन्ध में है, इस सदन से इसका सम्बन्ध नहीं है, दोनों घोषणायें इस सदन के बाहर की गयीं हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, घोषणायें चाहे सदन के अन्दर हों, चाहे सदन के बाहर हों । यह केवल सदन का ही सवाल नहीं है । सदन के बाहर भी जो घोषणायें होती हैं उससे भी सदन की अवमानना होती है ।

विधान परिषद् में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत होने पर मंत्रि मंडल के त्याग पत्र की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि महामहिम राज्यपाल ने विधान सभा और विधान परिषद् के दोनों समवेत सदनों के समक्ष सम्बोधित किया उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभिभाषण पर विधान सभा में धन्यवाद का प्रस्ताव पारित कर दिया परन्तु विधान परिषद् में जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जब धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया तो वहां उस पर 14-15 संशोधन रखे गये और वह सभी संशोधन विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत कर दिए गए। उनके संशोधन में 10वें नम्बर पर जो संशोधन है उसमें शासक दल के अनाचार एवं भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक असफलता पर कुछ भी नहीं कहा गया है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को विधान परिषद् द्वारा यह तथ्य भी एक हिस्सा मान लिया गया और दोनों सदनों के सामने संशोधित हो गया, इसलिए हमारे द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव था वह निरर्थक हो गया। वह भाषण है जो इस शासक दल के अनाचार, असफलता के नाम पर व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासन में व्याप्त अराजकता की ओर संकेत किया गया है जिसके फलस्वरूप शासन की निन्दा की गयी है। नैतिक दृष्टि से अब इस सरकार के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। यह बात सही है कि संविधान में शासक पक्ष की जिम्मेदारी इस सदन पर है लेकिन यह सदन है जो संविधान को कभी समाप्त नहीं किया जाता। जो अनुभवी व्यक्ति हैं, हमारे जो विशिष्ट लोग हैं वह इस सरकार को इस तरह से निन्दित करते हैं तो इस निन्दित सरकार को बने रहने का कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आता। विदेशों में भी जो किंग या क्वीन का संयुक्त अधिवेशन में जो भाषण होता है वह शासक दल का संकेत मात्र होता है। महामहिम राज्यपाल ने कुछ राजनैतिक प्रश्नों को हमारे सामने रखा है। जो पद हमारे लिए सर्वथा माननीय है, निन्दा के परे है उसमें भी राजनैतिक अभिभाषण कराया गया है। श्रीमन्, इस सरकार को भंग करें और इनसे कहें कि नतिकता के नाम पर ये त्याग-पत्र दें।

श्री अध्यक्ष--

श्री मोहन सिंह जी आपने अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर दी। आपने स्वयं प्रश्न भी रखा, अपना मत व्यक्त किया और उत्तर भी दे दिया है। यह सही है कि मंत्रिपरिषद् जैसा कि 164 (2) में कहा गया है, विधान सभा के प्रति उत्तरदायित्व है। विधान सभा में धन्यवाद का प्रस्ताव पास हुआ है और विधान परिषद् में संशोधित रूप में पास हुआ है तो उससे मंत्रिपरिषद् पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

हरदोई जनपद के मल्लावां क्षेत्र में जहरीली शराब से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने 28 जनवरी को एक ध्यानाकर्षण की सूचना इस सदन को दी थी, उसमें हरदोई जनपद में मल्लावां क्षेत्र के तीन व्यक्तियों को जहरीली शराब पीने के कारण से मरने की बात थी। मान्यवर, उस सूचना में मैंने इस बात को भी लिखा था कि मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद माननीय मंत्री जी ने हमारी सूचना का जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि "जांच कराई जा रही है" यह कोई अनुपूरक उत्तर नहीं है बल्कि पूर्ण उत्तर हमें मंत्री जी का मिला।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । आपको कोई उत्तर मिला होगा, मुझे कोई उत्तर अभी मंत्री जी से नहीं मिला है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

वहां आज यह स्थिति पैदा हो गयी है कि बराबर मौतें हो रही हैं और आज तक वहां 9 लोग मर चुके हैं । अभी तक कोई भी कार्यवाही शासन की ओर से इस तरफ नहीं की गयी है और निरन्तर लोगों की मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है । मौत का सिलसिला बन्द होता, लोगों के अन्धे होने का सिलसिला बन्द होता । इसलिए जो पत्र मेरे पास आया है मैं उसका जिक्र कर सकता हूं । यह पत्र 4 फरवरी, 1981 का है । माननीय आबकारी मंत्री जी के हस्ताक्षर से मेरे पास पहुंचा है । अब मैं यह नहीं जानता कि आपके यहां इन्होंने किन कारणों से इसे नहीं भेजा . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो मामला उठाया है उसके सम्बन्ध में नियमों में व्यवस्था है . .

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी कह रहे हैं, आप बैठ जायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसको आप आज रोक दें कल व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि मेरे पास कापी आ जानी चाहिये थी, मैं देख लूं . .

श्री ऊबल--

बड़ा गम्भीर मामला हो गया । निर्देश आपके यह हैं कि आपके पास भी उसकी कापी जायगी और आपको कापी नहीं गयी और वर्मा जी को भेज दी गई। यह और भी अपमानजनक हुआ । इस पर कार्यवाही करने की जरूरत है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

सरकार चाहती है जनसंख्या कम हो जाय . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऊबल जी, आपने मेरा ध्यान उस तरफ दिलाया, अच्छा किया, धन्यवाद इसके लिए आपको ।

प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल से सभी विभागों के कामकाज ठप होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

राज्य कर्मचारी महासंघ के अह्वान पर प्रदेश के अधीनस्थ कार्यालयों के श्रेणी "ग" तथा "घ" के कर्मचारियों (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों) द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 1981 से शुरू की गई हड़ताल दिनांक 6 फरवरी, 1981 को बिना शर्त वापस ले ली गयी है तथा विभागों के कामकाज की स्थिति यथापूर्ववत एवं सामान्य है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो एक दिन की हड़ताल हुई थी वह बिना शर्त वापस ली गई उसकी मांग क्या थी इस वक्तव्य में उसका भी उल्लेख कर दिया होता तो हम लोगों को थोड़ी विस्तृत जानकारी हो जाती । मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारी महासंघ ने मांगे क्या-क्या प्रस्तुत की शासन को जिसके आधार पर उन्होंने हड़ताल की ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न-उत्तर के लिए वक्तव्य नहीं है . .

श्री मोहन सिंह--

मैं आग्रह कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आपका आग्रह स्वीकार है । संसदीय कार्य मंत्री जी बताना चाहें तो बता दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

आपकी आज्ञा हो तो बता दूं ?

श्री अध्यक्ष--

बताना चाहें तो बता दे ।

श्री अम्मार रिजवी--

1--न्यूनतम वेतनक्रम 15वें अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1980 को आधार वर्ष मान कर 600-900 रु0 प्रतिमाह निर्धारित किया जाय ।

2--समान कार्य के लिए समान वेतन के सम्बन्ध में दिनांक 21 नवम्बर, 1979 को हुये समझौते को अविलम्ब लागू किया जाय ।

3--ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये वेतन का 20 प्रतिशत ग्रामीण क्षतिपूर्ति भत्ता उपलब्ध कराया जाय ।

4--कर्मचारियों के सभी विवादों का निपटारा एवं समस्याओं का समाधान सभी स्तरों पर स्थापित द्वि,पक्षीय संयुक्त परामर्शी समिति द्वारा किया जाये और विवादास्पद मामलों को अंतिम निर्णय के लिए पंच निर्णय को प्रस्तुत किया जाय ।

5--पेंशन वेतन का एक ऐसा भाग है जो दीर्घकाल के पश्चात् कर्मचारियों को देय होता है । इसका पुनरीक्षण वेतन पुनरीक्षण के साथ किया जाये । वर्तमान

[श्री अम्मार रिजवी--]

पेंशन नियम प्रतिक्रियावादों एवं पिछड़ापन लिए हुये है, इसमें इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि पेंशनरों को सुखद जीवन आश्वस्त हो सके।

6--साधारण रोगों की चिकित्सा के लिए 50 रुपये प्रति माह की दर से समस्त राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिया जाय। गम्भीर रोगों में मेडिकल मैनुअल में प्राविधानित सुविधायें आश्वस्त की जायं तथा कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लेकर उनमें परिवर्तन किया जाय।

7--"मास्टर रोल" "वर्क चार्ज" के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को जिनका कुल कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक हो गया है, उन्हें नियमित किया जाय। नियमित करते समय उनकी पिछली सेवाओं का पूर्ण लाभ दिया जाय। नियमित आधार पर तीन वर्ष की कार्यावधि पूर्ण कर लेने के उपरान्त कर्मचारियों को स्थायी मान लिया जाय तथा नियुक्त करते समय शैक्षिक योग्यताओं, अर्हताओं सम्बन्धी लगाये गये प्रतिबन्धों से मुक्त किया जाय।

8--औद्योगिक एवं तकनीकी कर्मचारियों का वर्गीकरण उनके उद्योग एवं तकनीकी विशिष्टताओं एवं कार्यों का मूल्यांकन करके किया जाय।

9--दास्तायुगीन सेवा शर्तों में स्वतन्त्रोत्तरकालीन तकाजों के अनुरूप कर्मचारियों को विश्वास में लेकर परिवर्तन किया जाय ताकि संविधान में प्राविधानित सिविल सर्विसेज अधिनियम की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

10--प्रदेश के प्रत्येक राज्य कर्मचारियों के लिए निःशुल्क आवास व्यवस्था की जाय। जब तक ऐसी व्यवस्था न हो जाय तब तक वेतन का 25 प्रतिशत मकान किराया भत्ता के रूप में दिया जाय।

11--केन्द्रीय कर्मचारियों के समान राज्य कर्मचारियों को भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए "संतान शिक्षा भत्ता" दिया जाय।

12--स्वतंत्र भारत के नागरिकों की भांति राज्य कर्मचारियों को राजनैतिक अधिकार प्रदान किये जायं तथा राज्य कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान किये जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी यह भी बता दें कि जब उन्होंने बिना शर्त हड़ताल वापस ले ली तो क्या सरकार उनकी इन डिमान्ड्स पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष--

अब इस बारे में उन्होंने विस्तार से बता दिया है।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

(व्यवधान)

---

†दिनांक 21 फरवरी, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी को अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है । नियमावली के नियम 123 में लिखा हुआ है कि नियम 114 के अधीन रहते हुये किसी भी विधेयक को पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुये उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लिया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन के पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हो ।

तो मान्यवर, जो अनुज्ञा माननीय मन्त्री जी मांग रहे हैं उसकी प्रतियां हम लोगों को नहीं मिली हैं और लोगों को भी नहीं मिली हैं । इसलिए जब तक इसकी प्रतियां हमको नहीं मिल जाती हैं तब तक के लिए इसे आप स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

मेरी सूचना यह है कि इसकी प्रतियां पिजन होल से सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, नियम 217 कहता है कि हम वैधानिक आपत्ति कर सकते थे यदि हमने उसको देखा होता तो । इसलिए जब हमने उसको पढ़ा ही नहीं है तो क्या आपत्ति करें । इसलिए प्रार्थना है कि पहले आप प्रतिलिपियां उपलब्ध करा दें तभी अनुज्ञा लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप पहले बैठ जाँय । इसकी प्रतियां वितरित हो चुकी हैं । जैसा एक माननीय सदस्य ने अभी कहा पीजन होल में हैं और उनको मिल चुकी हैं । आप ही का कहना है कि यदि कोई माननीय सदस्य कहें तो उसको मान लेना चाहिये ।

(व्यवधान)

वित्त राज्य मन्त्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

माननीय सदस्य को प्रतियां मिल गयी हैं । आप लोगों ने रद्दी में फेंक दी होगी ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

इसमें सरकारी और गैर सरकारी का प्रश्न नहीं है । सब के पीजन होल में पड़ी हैं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करता हूं ।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं तथा ग्राम बेहमई, थाना सिकन्दरा जिला कानपुर में डाकू फूलन देवी के गिरोह द्वारा 22 व्यक्तियों की हत्या तथा लूटपाट के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ...

श्री रियासत हुसैन--

सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

(व्यवधान)

उधर हाल की लीबी में बहुत शोर हो रहा है । दिखा लें कहीं फूलन देवी तो नहीं आ गयी हैं ।

श्री अध्यक्ष--

इनमें एक तो श्री मोहन सिंह जी का विद्युत परिषद में हड़ताल के संबंध में है । दूसरा श्री प्रदीप कुमार यादव का जिला कानपुर थाना सिकन्दरा के ग्राम बेहमई में 14-2-81 को फूलन देवी के गिरोह द्वारा 22 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में है । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की दिल्ली में आयोजित किसान रैली के संबंध में है । उसी तरह श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह की बिजली कर्मचारियों की हड़ताल और किसान रैली सम्बन्धी दो विषयों के सम्बन्ध में है । श्री मोती लाल देहलवी जी ने ग्राम बेहमई, थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर में 20 लोगों की हत्या के संबंध में दी है जिसके बारे में श्री प्रदीप कुमार, श्री उदल, श्री सुबेदार सिंह, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री राम स्वरूप वर्मा आदि ने भी कहा है कि 31-32 आदमी मारे गये । श्री मित्र सेन जी का नियम 301 में स्वीकृत हो चुका है ।

(व्यवधान)

श्री उदल--

मैंने भी एक कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया था ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गांव बेहमई, दूसरे शब्दों में गांव बेहयाई में जो कांड हुआ है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यह देश और प्रदेश के इतिहास में सबसे जबरदस्त कांड हुआ है । 14-2-81 को दिन-दहाड़े फूलन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देवी का गिरोह गांव में जाकर, लाउड-स्पीकर छत पर लगाकर बराबर ऐलान करती है कि फलां-फलां लोग घर में हों तो बाहर निकल आयें। और फिर घर के लोगों की तलाशी होती है और गांव के कुछ व्यक्तियों को चुनकर गांव के बाहर ले जाया जाता है और ले जाने के बाद उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। इस वक्त भी इस जघन्य हत्या कांड की निश्चित सूचना है कि 21 लोग गोलियों के शिकार हुए और मारे गये हैं। यह भी कहा गया है, जानकारी मिली है कि बहमई गांव के एक किलोमीटर के आस-पास चारों तरफ पी0 ए0 सी0 के दो हजार नौजवान इसी कार्य के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि इतने पी0 ए0 सी0 के सिपाहियों के होते हुए यह बदमाश और डकैत गांव में ऐसा काण्ड करने का साहस कर सके और उसमें कैसे सफल हो गये ? इसके दो नतीजे हो सकते हैं ...

श्री अध्यक्ष--

आप इसकी ग्राह्यता पर बताइये।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

इसकी ग्राह्यता यही है कि इस लोकतन्त्र में जबकि शासन बराबर सुरक्षा व्यवस्था की बात करता, 21 लोगों की जानें चली जाती हैं। तो यह सबसे अहम मसला है। इसलिए आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए और पूरे दिन इस विषय पर चर्चा की जाय।

*श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, 14 फरवरी को बेहमई गांव में दिन के दो-ढ़ाई बजे मुस्तकीम और फूलन देवी के गिरोह के लोग गये और इन लोगों ने वहां घन्टों रुक कर दो घंटे रुककर पूरे गांव को लूटा, 16 लाख रुपये की सम्पत्ति वह लोग लूटकर ले गये और फिर उन्होंने कहा गांव वालों से कि बच्चे अलग हो जाएं और अन्य दूसरे लोग गांव के बाहर चलें। इन लोगों को गांव के बाहर ले जाकर, इनमें से 20 लोगों को इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। 10 किलोमीटर में पी0 ए0 सी0 मौजूद थी। गांव के प्रधान पी0 ए0 सी0 को बुलाने गए, लेकिन पी0 ए0 सी0 के लोग उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आये। आज यह सरकार और सम्पूर्ण शासन डकैतों और चोरों के चंगुल में चला गया है और मुझे कहने के लिए क्षमा करें, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी डकैतों के सरदार हो गये हैं।

*श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं इसकी ग्राह्यता के बारे में आपके सामने बताना चाहता हूं कि नियमानुसार निश्चित एक विषय पर हमने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है और यह घटना भी अभी हाल की ही है। तीसरी बात यह है कि उक्त गांव के चारों तरफ पी0 ए0 सी0 के कैम्प्स लगे हुए हैं। डकैतों ने आजादी से इतने आदमियों की नृशंस हत्या की है और आजादी से लूटपाट की और चले गये। सबसे गम्भीर बात यह है कि इस गांव का एक व्यक्ति सायकिल से पी0 ए0 सी0 कैम्प पर गया था और उसने घटना के बारे में जानकारी दी और कहा कि डकैत लूट रहे

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती लाल देहलवी]

हैं, आपकी मदद की जरूरत है । मान्यवर, वह लोग बालीबाल खेलने में मशगूल रहे । अगर पी० ए० सी० के लोग चाहते और उस व्यक्ति की बात सुन लेते तो डकैत पकड़ में आ सकते थे, मारे जा सकते थे, मुठभेड़ हो सकती थी लेकिन पी० ए० सी०, के लोगों ने उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डकैतों के दो गिरोह उस इलाके में सक्रिय हैं और दोनों गिरोहों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है । सबसे बड़ी गम्भीर बात यह है कि लालाराम, जो खुद एक गिरोह का सरदार है उसने पी० ए० सी० के लोगों से कहा कि मैं लालाराम हूं मेरी मदद करिए, मेरे साथ चलिए तो फूलन देवी और मुस्तकीम के गिरोह का आज सफाया किया जा सकता है । ध्यान देने योग्य बात है, अगर चाहते तो इनकाउन्टर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया । इसी तरह से फूलन देवी और मुस्तकीम के गिरोह को भी पुलिस का संरक्षण प्राप्त है । यह बात सिद्ध करती है कि ये दोनों गिरोह के डकैतों को पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है । इस तरह की अभूतपूर्व घटना कभी नहीं हुई । आप नरायनपुर कान्ड पर इस्तीफा मांग सकते थे लेकिन इस कान्ड पर आपने कुछ नहीं किया माननीय मुख्य मन्त्री को तत्काल इसी समय ऐसी शर्मनाक घटना पर इस्तीफा देना चाहिए ।

*श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, जिस दिन की यह घटना है उस दिन दिनांक 17 को मैं स्वयं घटनास्थल पर गया और वहां के प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत की और जो कुछ मुझे जानकारी प्राप्त हुई उसे लिखित रूप में नाम सहित पूरा विवरण मैंने दिया है । आप मान्यवर, इस घटना के विषय की ग्राह्यता के बारे में कह रहे हैं तो नियम 58 के अनुसार, "प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा ।"

यह घटना 14 तारीख को है। उसके बाद आज ही सदन की बैठक हो रही है । मेरे प्रस्ताव में लिखा गया है कि 14 तारीख को दिन के ढाई बजे ग्राम बेहमई में 39 आदमी राइफल से लैस आये । इस गांव में कुल 50-60 वयस्क व्यक्ति हैं जिसमें से कुछ बाहर गये थे । कुल केवल 27-28 आदमी गांव में रह गये थे जिनमें से कुछ भाग गये और जो शेष बचे थे उन सबको गांव के बाहर एक कुएं पर बैठाकर सब डाकू गांव में से सामान इकट्ठा करने लगे । उसके बाद फूलन देवी ने सीटी बजाई और सब डाकू सामान लेकर बाहर आ गये फिर इन व्यक्तियों से कहा गया कि 100 गज आगे चलो । उसके बाद उनको एक बजड़े पर बैठाया गया और जै काली देवी का नारा लगाकर उन्हें गोली मार दी गई जिससे 17 आदमी वहीं पर मर गये, 3 आदमी रास्ते में मरे और चार आदमी नीचे दबकर मर गये । मेरा कहना केवल यह है कि

[समय 1 बजे अपराह्न]

मान्यवर, यह कोई बस दुर्घटना नहीं है, डूब कर मरने की दुर्घटना नहीं है, दो गिरोहों में बन्दूक चलने की दुर्घटना नहीं है । इससे तो यह समझा जाता है कि प्रदेश में कोई प्रशासन नहीं है । यह एक अभूतपूर्व घटना हुयी है । इसलिये इस पर सदन में तुरन्त चर्चा करायी जाय ? यह इतनी बड़ी घटना है कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुयी है । मेरी प्रार्थना है कि आप इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दें और सदन का कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करने के लिये समय निर्धारित करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह घटना अभूतपूर्व, अविलम्बनीय लोक महत्व की है। पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण पैदा हो गया है। हर अमन पसन्द आदमी के मन में यह धारणा बन गयी है कि उसकी जिन्दगी अरक्षित है। अखबारों में आज ही पढ़ा है कि शहर में ही फूलन देवी का गिरोह सक्रिय है और वहां भी एक आतंकपूर्ण वातावरण बना हुआ है। शासन की ओर से बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है कि डकैतों का मुठभेड़ों में सफाया किया जा रहा है परन्तु दूसरी ओर आतंक मचा हुआ है। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है। प्रदेश में हाल में ही यह घटना घटित हुयी है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर तत्काल सदन में चर्चा करा दें।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है कि जब सदन 12 दिन के लिए स्थगित हुआ और इस अवधि म प्रदेश का कोई भी मन्त्री मुख्यालय पर मौजूद नहीं था। सब लोग किसान रैली के संदर्भ में दिल्ली गये हुए थे। इसका साफ मतलब यह है कि प्रदेश के मन्त्रि मंडल का जनता के प्रति कोई उत्तर-दायित्व नहीं है। पूरा शासन डकैतों के हाथ में चला गया है, वे जो चाहें करें, कत्ल करे या लूटें। 14 तारीख को जो घटना हुयी है, वह एक शर्मनाक घटना है इस प्रदेश की। इसके अतिरिक्त कायमगंज और फर्रुखाबाद के बीच में एक ट्रेन डकैती पड़ी।

श्री अध्यक्ष--

यह तो अलग से है।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैंने दोनों के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है जिसके लिये शासन की पूरी जिम्मेदारी है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और इस पर चर्चा करा दें ?

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदन के अन्दर हंसना और चिल्लाना हो सकता है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, अभी हमारे कुछ विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया और जो उसे राजनीतिक रूप दिया, वह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

मान्यवर, वह क्षेत्र लोक दल का है और वहां के विधायक भी लोक दल के ही हैं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कई सदस्य--

यह बिल्कुल गलत बात है। उन के दल का शासन है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, ग्राह्यता के प्रश्न पर बोलने के पहले मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं। ये एक जघन्य पाप को भी छुपाना चाहते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। यह कहना कि लोक दल के सदस्य वहां के हैं, यह सरासर झूठ है इस तरह से यहां पर एक आदमी झूठ बोलता है।

(व्यवधान)

(शोर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

यह लोक दल के लोगों ने वहां पर 15-20 आदमियों को मरवाया है.... ।

(शोर)

(व्यवधान)

यह राजनैतिक कांड करवाया गया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह घटना सार्वजनिक लोक महत्व की है और आज तक के उत्तर प्रदेश के अपराधिक इतिहास में एक साथ इतने लोगों की हत्या नहीं हुई है। आई० जी० पुलिस ने स्वयं भी इसे स्वीकार किया है कि इसके पहले इतने लोगों की एक साथ हत्या कभी नहीं हुई। फिर दिन दहाड़े हुई। पी० ए० सी० के लोग वहां पास में थे। वहां एक पत्र भी प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है कि इस तरह की घटनायें रोज होंगी।

(व्यवधान)

इसके कारण चारों तरफ टेरर और आतंक छाया हुआ है। आसपास की जनता भयभीत है कि कहीं उनके ऊपर यह घटना न हो जाये। इसलिये इस मामले पर आज विचार करने की अवश्यकता है।

दूसरी बात यह विचारने की है कि सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि यह एक राजनैतिक मामला है। हम जानना चाहते हैं कि कहीं सत्ता पक्ष के लोग तो उन लोगों को इसके लिये प्रश्रय नहीं दे रहे हैं। यह भी कहा गया कि पुलिस को नये ढंग से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। गलत लोगों को क्यों नहीं निकाला जा रहा है। आवश्यकता इस बात की आज है कि ऐसी दर्दनाक घटना पर माननीय मुख्य मन्त्री जी को तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिये।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिवेनी--

हमारी तरफ से जो माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे आपने उन्हें सुनने का पूरा मौका दिया ही नहीं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह आप कैसे जान गये कि मौका नहीं दिया ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि सत्तारूढ़ दल के एक माननीय सदस्य ने लोकदल के क्षेत्र का नाम लिया । मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से जीत कर आया हूं, जिसका नाम राजपुर है, लोकदल तो वहां से कभी जीता ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर आइये ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही आ रहा हूं । मान्यवर, यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का इसलिये है कि एक साल से पी० ए० सी० वहां पर पड़ी हुई है । एक साल से एक व्यक्ति भी उस गिरोह का नहीं मारा गया । पुलिस के खाते में एक भी व्यक्ति उस गिरोह का नहीं मारा या पकड़ा गया । एक साथी ने कहा कि मेरे क्षेत्र के लोग सो नहीं पा रहे हैं यह सच है । एक तो वह आते हैं, तो वे कहते हैं कि खाना दो, दूसरे पी० ए० सी० वाले पड़े हैं, डाकू कहते हैं कि खाने का इन्तजाम करो, तीसरी तरफ सरकार देखना और सुनना भी नहीं चाहती है । एक भी कैबिनेट स्तर का कोई मन्त्री वहां पर नहीं गया, इतना बड़ा हत्याकाण्ड हो गया ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

माननीय शिक्षा मन्त्री जी वहां पर हो आई हैं ।

(व्यवधान)

माननीया शिक्षा मन्त्री जी परसों गयी थीं । माननीया शिक्षा मन्त्री जी को बुला कर स्टेटमेंट ले लें आप ।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

कोई भी मन्त्री नहीं गया ।

श्री त्रिवेनी--

माननीया शिक्षा मन्त्री जी को बुला कर उनका स्टेटमेंट ले लिया जाय ।

(व्यवधान)

[श्री राम स्वरूप वर्मा]--

मेरा निश्चित आरोप है कि गृह मन्त्री की हैसियत से वहां पर मुख्य मन्त्री नहीं गये। आई० जी० वगैरह वहां पर गये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्वाइन्ट फिर क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

दूसरी बात मुझे मान्यवर, यह कहना है ....।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, अब आप बैठिये।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, एक बात बहुत आवश्यक है।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

अब आपका भाषण हो गया।

(व्यवधान)

श्री स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, वहां पर ऐसी परिस्थिति है कि अब दूसरी तरफ के लोग इकट्ठा होकर, आज ठाकुरों का कत्ल हुआ है, तो वे केवटों का कत्ल करने के लिये तैयार हैं। तो इसमें तो मान्यवर, गांव के निरीह लोग ही मारे जायंगे।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, नाम आपने मेरा पुकारा, भाषण उधर हो रहा है।

(व्यवधान)

मान्यवर, 22-22, 24-24 लोग, दिन दहाड़े बुला कर, बिला किसी डर के, बुला कर गांव वालों को डांट कर बुला कर, गोली का निशाना बनाये।

(व्यवधान)

यह चोरी-डकैती की घटना है। पहले तो डकैत लोग जाति और पांति नहीं देखते थे। अब तो ऐसी परम्परा बन गयी है कि सारे डकैत लोग जाति और पांति देख रहे हैं और जाति-पांति, फिरकापरस्ती, तर्क के आधार पर, राजनीति के आधार पर यह घटना घटा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं। वहां पर पी० ए० सी० गांव पर लगी थी।

(व्यवधान)

जब गांव वाले पी० ए० सी० को बुलाने गये, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लोग वालीबाल खेल रहे थे।

(व्यवधान)

जब इन्हीं की पी० ए० सी० के ऊपर कहीं और हमला होता है, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, एक मिनट की बात और है ।

श्री अध्यक्ष --

अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठ जायं ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, उन ठाकुरों के ऊपर पिछड़े वर्ग का यह घोर अत्याचार हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, ग्राह्यता के लिये इस वजह से हो जाता है कि अभी 14 फरवरी की घटना है और आज 19 फरवरी है और यह सदन पहले दिन बैठ रहा है । एक बात तो यह है । दूसरे, इतनी भयंकर घटना जिसमें कि 22 व्यक्ति दिन दहाड़े मार दिये जायं, एक ऐसी अभूतपूर्व घटना आज तक घटित नहीं हुयी और इसलिये भी यह लोक महत्व का बन जाता है । तीसरी बात, श्रीमन्, यह है कि जिस डकैत उन्मूलन के लिये हमने पी० ए० सी० लगा रखी थी, उसके बारे में····

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता के बारे में बोल रहे हैं ।

श्री ऊदल--

ग्राह्यता के लिये, मान्यवर, दो शर्तें नियमावली में हैं और वे दोनों इस ग्राह्यता के लिये एकदम ठीक हैं कि तात्कालिक घटना हो, तो यह 14 फरवरी का घटना-काण्ड है और 22 व्यक्ति मारे गये हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं केवल चार जुमलों में अपनी बात कह देना चाहता हूं। पहली बात कि पी० ए० सी० का वहां मौजूद होना -पास ही में। दूसरी बात कि जो जनवरी में एनकाउन्टर हुये हैं, कुछ जिम्मेदार लोगों की जेब में डकैतों के पत्र बरामद हुये हैं जिससे कुछ पोलिटिकल सम्बन्ध इसमें मालूम होता है । तीसरी चीज, उसके अंदर जो एन्टेलीजेंस डिपार्टमेंट एन्टी डकैती स्क्वायड और पी० ए० सी० हैं, इन तीनों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का लगाया जाना और चौथी बात यह है कि 14 तारीख से आज तक अभी तक कोई डेस्टिक ऐक्शन इस सम्बन्ध में नहीं लिया गया । मान्यवर, ये 4 सवाल हैं जो ग्राह्यता के लिये काफी हैं ।

[श्री राजन्द्र सिंह]--

मान्यवर, मैं पहले तो माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न कोई पार्टीबाजी का नहीं, दल विशेष का नहीं। अभी मुईद अहमद खां ने प्रश्न रखा और वह भी जहां तक मैं समझता हूं, उन्होंने हमारे प्रश्न का समर्थन ही किया है और ग्राह्यता के बारे में बोले हैं कि यह इतना नृशंस काण्ड हुआ। मान्यवर, म थोड़े में कहूंगा ग्राह्यता के बारे में कि यह 14 तारीख की घटना है और आज सदन पहले दिन बैठ रहा है। दूसरी बात, यह ऐसी अभूतपूर्व घटना है और ऐसा कभी नहीं हुआ। तीसरी बात इम्पार्टेन्स की जो कह दी गयी है और जैसा कि अखबारों से मालूम हो रहा है कि यह जातिवाद के आधार पर हो रही है। एक ओर ठाकुर बिरादरी के व्यक्ति मारे गये हैं और कहा गया है कि मल्लाहों के द्वारा। इसलिये ठाकुर जाति के लोग आतंकित हैं और बदला लेने की बात है। तो निवेदन करना चाहता हूं कि जब बजट सेशन चलता है, तो इस तरह के प्रश्न नहीं स्वीकार करते हैं और यह होता रहा है और ऐसा नहीं होगा। लेकिन मान्यवर, एक विशेष परिस्थिति आ गयी है कि बजट सत्र में कानून की व्यवस्था आयेगी। सामान्य चर्चा म नहीं आ सकता। तो स्पेशल रूप से, मानवता के नाम पर निवेदन करना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी से कि यह ऐसी घटना है कि जिसमें नियमों में यदि थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करना पड़े, अध्यक्ष जी तो इससे प्रदेश का हित होगा कि इसमें कम से कम डिस्कशन हो जाय हाउस के अन्दर कि यह घटना क्यों घटी। और, मान्यवर, यह घटना कन्टीन्यूड भी है। अगर समाप्त हो गयी होती और पुलिस वहां ऐक्शन न कर रही होती, तो दूसरी बात थी, लेकिन चूंकि यह घटना कन्टीन्यूड चल रही है और दूसरे लोगों में रोष व्याप्त है और इसके फिर घटने की सम्भावना है इसलिये भी यह बहुत महत्वपूर्ण है और, मान्यवर, आज के पेपर से जैसा कि विदित है कि विक्रम, जो बहुत बड़ा डकैत है, जिस पर कि मध्य प्रदेश सरकार ने 70,000 रुपये का इनाम घोषित किया है....

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

विक्रम नहीं, मलखान सिंह।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां, मलखान सिंह, मान्यवर, उसका गिरोह भी इधर आ गया है। मलखान सिंह इधर आया है। तो यह प्रश्न तो पूरे प्रदेश का है।

मान्यवर, यह किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है न ही यह राजनीतिक मामला है। मान्यवर, यह लगातार चल रहा है। मैं अम्मार रिजवी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर चर्चा हो जाने दें, कुछ हमारी तरफ से बात आयेगी और कुछ उनकी तरफ से बात आयेगी और इस बात पर विचार हो सकेगा कि इसको कैसे रोका जाय।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक इस घटना की गम्भीरता का सम्बन्ध है, माननीय नेता विरोधी दल और सम्मानित सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उससे सरकार पूरी तरह से सहमत है। मैं बात से सहमत हूं कि इस मामले पर दल और दलगत राजनीति से परे हटकर इसको देखना होगा। यह सबके जीवन का सवाल है। इससे कोई राजनीतिक रंग देना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। भाई रियासत हुसैन साहब ने जो कहा कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, वहां पर 17 कम्पनियां पी० ए० सी० की लगा दी गयी हैं और बराबर कार्यवाही हो रही है।

श्री रियासत हुसैन--

किसी आदमी पर इस घटना की जिम्मेदारी ले डाउन किया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस घटना की जांच कि यह घटना क्यों हुई ? क्या चीज थी ? इस पर इतनी जल्दी नहीं हो सकती है ? मैं इस बात से सहमत हूं कि इस पर चर्चा हो जानी चाहिये । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि बजट पर चर्चा चल रही है, मैं चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा का समय कुछ रख लिया जाय और पूरी तरह से इस पर बहस हो जाय जो और बातें कहनी है वह बजट भाषण द्वारा कही जा सकती हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आज कार्य स्थगन की 15 सूचनायें थीं उनमें से 8 इसी विषय पर थीं और शेष अन्य विषयों पर । इसके ऊपर नियम 51में भी सूचना आई है । यह जो घटना है इस पर सभी माननीय सदस्यों को दुख है । आप लोगों ने विचार व्यक्त किये हैं । निश्चित रूप से यह ऐसी घटना है जिससे प्रदेश के रहने वालों का हृदय कांप उठता है । जैसा कि संसदीय कार्य-मंत्री और नेता विरोधी दल ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये । मैंने नियम 51 के अन्तर्गत इसी विषय पर एक सूचना स्वीकार किया है । कार्य-स्थगन में सभी प्रस्ताव अस्वीकृत करता हूं ।

(व्यवधान)

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है उसमें आप समय निश्चित कर लें कि किस वक्त वक्तव्य देंगे और समय निश्चित कर लें, चर्चा का ।

श्री अम्मार रिजवी--

कल सदन के बाद रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष--

कितना समय चाहेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

3 घंटे ।

श्री अध्यक्ष--

कल सदन की समाप्ति के बाद एक घंटे की चर्चा होगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

कार्य-मंत्रणा समिति में इसको रख लें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है ।

[श्री राम स्वरूप वर्मा]—

हमारे क्षेत्र में आतंक व्याप्त है और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है न मुख्य मन्त्री वहां जा रहे हैं इसलिये मैं इसके विरोध स्वरूप सदन का परित्याग करता हूं ।

(श्री राम स्वरूप वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

हरिजनों का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया. . . .

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष—

सभी कार्य स्थगन के प्रस्ताव अस्वीकार किये जा चुके हैं । वित्तीय वर्ष 1981-81 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी । अतः जो माननीय सदस्य बोलना चाहें. . . .

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(श्री अम्मार रिजवी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

सभी माननीय सदस्य बैठ जायें । यह सब कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा जो भी सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं आपके माध्यम से मान्यवर, मित्रसेन जी से निवेदन करूंगा कि जो भी तथ्य हों, जिस घटना की तरफ उन्होंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, कृपया वे सारे तथ्य दे दें, उन पर आज ही कार्यवाही करायी जायेगी ।

श्री राम सागर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सारे तथ्य संसदीय कार्य मंत्री जी को दे रहा हूं ।

1981-82 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

[समय 1 बजकर 28 मिनट]

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, हमारे राज्य में बजट पेश किया गया लेकिन केन्द्र में बजट पेश किया जा रहा है । राज्य के बाद केन्द्र में और केन्द्र में जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें 31 अरब रुपये के घाटे की पूर्ति की जायेगी । जब 31 अरब रुपये के घाटे की पूर्ति की जायेगी तो निश्चित तौर पर तरह-तरह के टैक्स प्रदेश की जनता पर लादे जायेंगे । उस स्थिति में मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूं कि

(इस समय 1 बजकर 29 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

*दिनांक 6 फरवरी, 1981 की कार्यवाही से ।

इस प्रदेश का जो बजट, जिस पर खुशी जाहिर की जा रही है, वह बजट फेल हो जायगा, अस्त-व्यस्त हो जायगा। मान्यवर, बजट में यह कहा गया है कि किसानों की दशा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रदेश में 75 फीसदी आबादी कृषि से सम्बद्ध है और हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का आधार भी कृषि है। किसान का जीवन, चाहे शासन जनता का रहा हो और चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, वैसा ही बदहाल रहा। कोई भी ऐसा नहीं निकला जो उसकी बदहाली पर दो आंसू बहाता।

मान्यवर, बीज, खाद और सिंचाई की सतही समस्यायें हमेशा उठायी जाती रहीं लेकिन उसकी बुनियादी समस्या की ओर कभी किसी ने गौर नहीं किया। कभी किसी ने नहीं सोचा कि किसान को उसके उत्पादन की लागत मिल रही या नहीं। किसी ने नहीं सोचा कि किसान जो पैदा करता है, उसमें कितनी लागत लगी, कितना श्रम लगा और कितने अन्य खर्चे लगे। इसके साथ ही साथ खेत और बैल की कितनी शक्ति घटी। किसान को गुजारे के लिए कितनी चीजों की जरूरत है इसके बारे में पूछने वाला कभी कोई नहीं मिला। शासन में भी किसानों का ताज रख कर लोग शोभा बढ़ाते हैं। किसान रैलियाँ की जाती हैं और उन किसान रैलियों में चोर बाजारिये और तस्कर इकट्ठा किए जाते हैं। अभी हाल की किसान रैली किसी से छिपी नहीं है। इसी किसान रैली में अरबों रुपयों का तस्करी का माल पहुंच गया। लेकिन किसान के दुखी जीवन के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि उसे कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है। मान्यवर, अभी जो किसान रैली हुई, उसका असर जिले-जिले में पड़ा और जो छुटभैये कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने लाखों रुपये लोगों से इकट्ठा किए। अगर किसी को देखना हो तो हरदोई जिले में जाकर देख ले, जहां पर दो लाख रु0 इकट्ठा हुए। इस प्रकार किसानों के नाम पर नेता रंगरेलियां तो मनाते हैं लेकिन उनकी जीवन दशा के बारे में कोई ठोस कदम न तो उठाते हैं और न उठाने की सोचते हैं।

मान्यवर, प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की बात कही गयी। माननीय मुख्य मंत्री ने बहुत पहले कहा था कि स्वयं शासन का पहला और पुनीत कर्तव्य होगा--प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम करना। ऐसा लगता है कि जिस तरह के उपाय शासन की ओर से किए जा रहे हैं उससे किसान की समस्या का एक अजीब नुस्खा खोज निकाला है मुठभेड़ के जरिये मारना। ठीक जैसे पहले नसबन्दी का कोटा निर्धारित कर दिया गया था, उसी तरह से मुठभेड़ में लोग मारे जायं चाहे वह बेगुनाह हों या गुनाहगार हों। कोटा पूरा करने के नाम पर अधिकांश ऐसे लोग घरों से पकड़-पकड़ कर लाये जा रहे हैं जो बेगुनाह हैं और उनको मारा जा रहा है। कहीं लोगों को मजबूरी के नाम पर इकट्ठा किया जाता है और उनको गोलियों से भून दिया जाता है। हरिजनोद्धार की बात बहुत जोर शोर से यह सरकार करती है लेकिन अगर पूरे प्रदेश का लेखा-जोखा लिया जाय तो 90 फीसदी हरिजन और अल्पसंख्यक इन मुठभेड़ों में मारे गये निकलेंगे जब कि दम भरा जाता है हरिजनों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का। अभी थोड़े दिन पहले हमारे प्रदेश के राज्य गृह मंत्री प्रदेश भर में घूमे। पुलिस अधिकारियों की उन्होंने गोपनीय बैठकें की और उनको हिदायत दी कि बदमाशों को मुठभेड़ों के जरिये मारा जाय और जो अधिकारी अपने हाथ मुठभेड़ों में मारने जाने वाले लोगों के खून से नहीं रंगेंगे उनको प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा या उनको निलम्बित भी किया जा सकता है। उन अधिकारियों ने फिर अपने नीचे के अधिकारियों को लेकर मीटिंग की और वही शाही फरमान जारी कर दिया गया। उसका नतीजा

[श्री राम आसरे वर्मा—]

है कि शातिर बदमाश तो नहीं पकड़े जा रहे हैं लेकिन बेगुनाह लोगों को पकड़-पकड़ कर मारा जा रहा है कोटे को पूरा करने के लिए । लेकिन बेगुनाहों का खून बोलेगा और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस कातिल शासन के सर पर चढ़ के बोलेगा । फूलन देवी गिरोह का कारनामा हमारे सामने है । चूंकि उस पर बहस के लिए तय हो चुका है इसलिए मैं इस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि एक ओर तो बदमाशों का गिरोह जनता की जिन्दगी के साथ खेलते हैं और दूसरी ओर शासन के मंत्री रैली के नाम पर दिल्ली में रंगरेलियां मनायें इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? प्रदेश में जैसी शान्ति व्यवस्था है उसे देखते हुए मौजूदा शासन को कुर्सी पर नहीं बने रहना चाहिए और अगर जरा भी नैतिकता उसमें है तो इस्तीफा दे देना चाहिये था । जनता शासन में एक नारायणपुर कांड हुआ था लेकिन आज तो आये दिन नारायणपुर कांडों का सिलसिला जारी है । सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने उस समय नारायणपुर कांड पर बड़ी चिल्लपों मचाई थी लेकिन आज उनमें से कोई चूं तक नहीं कर रहा है । मुठभेड़ों के बारे में जगह-जगह से खबरें आ रही हैं और फर्जी मुठभेड़ें दिखाई जा रही हैं चाहे वह सीतापुर की हों अथवा हरदोई की हों । सत्ता पक्ष के लोग यदि शान्ति व्यवस्था की जीती जागती तस्वीर को अपने ही पक्ष के लोगों के मुख से जानना चाहते हैं तो मेरठ मंडल की ओर निगाह उठा कर देखें । वहां पर खुद सत्ता पक्ष के लोग ही कहते हैं कि मुठभेड़ का सहारा लेकर पुलिस दिन-प्रतिदिन नौजवानों को गाजर मूली की तरह काट रही है जैसे वह इंसान इंसान न होकर मुरदा है । पिछले दिनों थाना किला परीक्षतगढ़ में चार भाइयों की पुलिस द्वारा हत्या व सत्य प्रकाश गुप्ता, सदस्य, युवक कांग्रेस (ई०) की थाना देहली गेट की हिरासत में की गयी हत्या एक शर्म का विषय है । इस प्रकार अपराधों की बढ़ती हुई स्थिति से चिन्तित होकर शासन पक्ष के कार्यकर्त्ताओं ने उप पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ के कार्यालय पर भूख हड़ताल की धमकी दे डाली सत्ता पक्ष के लोग सदन में भले ही शान्ति व्यवस्था के बारे में चाहे जितनी सफाई दें लेकिन जनता के बीच उनमें यह हिम्मत नहीं है कि शांति व्यवस्था की जो दर्दनाक स्थिति है उस पर वह परदा डाल सकें ।

मान्यवर, बजट में वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर एक मुश्त रकम का प्राविधान किया है, मैं इस तरफ संकेत करना चाहता हूं । एक ओर बजट में एक मुश्त धनराशि का प्राविधान किया जाता है और दूसरी ओर इस प्रदेश के कर्मचारियों को गुमराह करने के लिये यह कहा जा रहा है कि वेतन आयोग की संस्तुतियों में जो विसंगतियां रह गयी हैं उनको दूर करने के लिये प्रयास किया जा रहा है । समझ में नहीं आता है कि एक ओर विसंगतियां दूर करने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर एक मुश्त रकम का प्राविधान कर रहे हैं । इससे एक शासन की मंशा जाहिर हो जाती है कि जो वेतन की आयोग की संस्तुतियां हैं शासन उन्हीं संस्तुतियों के इर्द गिर्द अपनी मनः स्थिति बना चुका है । अगर मनः स्थिति न बनाई होती तो बजट में एक मुश्त धनराशि का प्राविधान न किया होता । आज प्रदेश का कर्मचारी आंदोलित है । मैं इस बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहता हूं कि वेतन आयोग की जो संस्तुतियां हैं अगर उन संस्तुतियों को ज्यों का त्यों शासन ने माना तो प्रदेश का कर्मचारी अपने आंदोलन के रास्ते पर बढ़ेगा और यह विश्वास भी रखें कि वेतन आयोग की यह संस्तुतियां इस शासन के गले में एक ऐसा फंदा बन गया है जिससे निकल पाना शासन के लिये कठिन है । इन संस्तुतियों ने जो स्थिति पैदा

कर दी है उससे विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों में असंतोष है और इन कर्मचारियों को राहत देने के लिये जरूरी हो जाता है कि ईमानदारी के साथ उनके साथ किये गये अन्याय और बरते गये भेदभाव को शासन दूर करे ।

मान्यवर, जनता शासन ने खाद्यान्न योजना चलायी थी । सूखे से पीड़ित प्रदेश की जनता के लिये उसने एक नया जीवन देने का काम किया था और पूरे प्रदेश में एक सड़कों का जाल जैसा फैल गया था । आज उस खाद्यान्न योजना को इस शासन ने समाप्त कर दिया है, उसकी जगह पर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना बनाई है । इस योजना की प्रगति के बारे में सदन के अन्दर हमारे माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने एक बार कहा था कि लगभग 34 हजार किलोमीटर संपर्क मार्ग पूरे प्रदेश में बनने हैं । इस योजना के अन्तर्गत इन संपर्क मार्गों को पक्का कराने का काम किया जायगा और यह सिर्फ 14 सौ किलोमीटर तक हो पायेगा । हमारा ख्याल है कि जो 14 सौ किलोमीटर सड़कें पक्की होंगी, वह शायद मंत्रि मंडल के सदस्यों में कायदे से बंटवारा न हो पाये, प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों की बात छोड़ दीजिये । तो मान्यवर, इस प्रदेश की जितनी जनोपयोगी योजनायें थीं उनको इस शासन ने समाप्त करके जनहित का गला घोटने का काम किया है ।

विद्युत् उत्पादन पर बड़ी खुशी जाहिर की गयी है इस बजट में । लेकिन अगर विद्युत् उत्पादन का सही करिश्मा शासन को देखना है तो जाकर देहातों में देखें जहां पर लहलहाते खेत सूख गये हैं । विद्युत् उत्पादन बढ़ता है लेकिन खेत को पानी क्यों नहीं मिलता, यह कैसा विद्युत् उत्पादन है, यह विद्युत् उत्पादन का कैसा करिश्मा है ।

मान्यवर, आज हरिजन और महिला उद्धार की बात करने में यह शासन पीछे नहीं है । पूरे प्रदेश में हरिजन उत्पीड़न की घटनायें दिन पर दिन जिस तरह से देखने को मिल रही हैं उससे इनका चेहरा साफ हो जाता है । अभी कफल्टा का घाव भरा नहीं या जहां पर हरिजनों को घरों में बंद करके जिंदा भून दिया गया था, फैजाबाद में एक नयी घटना सामने आ गयी, वहां पर हरिजनों को भून दिया गया । मान्यवर, महिलाओं के उत्पीड़न की बात मैं बता दूं । बड़ी खूबसूरत फोटो अखबार में छपी है । हमारे सत्ता पक्ष के लोग शायद न देखे हों देख लें ।

(माननीय सदस्य ने एक फोटो सदन में दिखायी)

श्री उपाध्यक्ष--

यह लाल बत्ती भी काफी खूबसूरत है ।

एक सदस्य--

इस फोटो का इस चर्चा से क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जिस अखबार में यह खूबसूरत फोटो छपा है उसी अखबार में यह भी छपा है कि "ससुराल से भागी एक नव वधू दरोगा की वासना का शिकार ।" तो खूबसूरत फोटो वाले अखबार में इस तरह की खबर छपी है और उसके बाद भी सत्तापक्ष के लोगों को शर्म नहीं आती है । फोटो श्रीमती इंदिरा गांधी की है । मान्यवर, आपने लाल बत्ती कर दिया लेकिन लालबत्ती के मुकाबले यह फोटो तेज है ।

श्री उपाध्यक्ष—

लालबत्ती रुकने वाली नहीं है । आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जिस शासन ने किसानों, कर्मचारियों एवं अन्य जनसाधारण को राहत देने वाली बातें न की हों और हरिजन एवं महिला उत्पीड़न बढ़ा हो तो उस शासन को बजट प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है । इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस बजट को मैंने केवल दो दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश किया है । यह बजट केवल आर्थिक आंकड़ों का पुलिंदा है और सरकार की नीति सम्बन्धी दस्तावेज भी है । इससे इस बात का पता लगता है कि सरकार किन नीतियों के आधार पर जो जिम्मेदारी उसे दी गयी है उसके निर्वहन के लिये वह प्रगतिशील है । मैंने बजट को देखा तो उसके साफ इस नतीजे पर पहुंचा कि केवल परम्परागत तरीके से और एक संसदीय खानापूरी करने की कोशिश की गयी है । प्रदेश के विकास की जो रीढ़ है किसान और जो गरीब लोग हैं, वह योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं तो योजनाओं का लाभ उठाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं क्योंकि बहुत दिनों से योजनायें चल रही हैं तो योजनाओं की प्रगति उपलब्धियां क्या हैं इसको देखने का दृष्टिकोण हो सकता है । हमारे प्रदेश में आंकड़ों के आधार पर कौन बड़े-बड़े लोग हो गये हैं, आय कितनी बढ़ गयी है, यह दिखाया जाता है । लेकिन वास्तविक योजना की उपलब्धि यह है कि हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं उनका राष्ट्रीय आय में जितना कान्ट्रीब्यूशन है, उनको उपलब्धि का लाभ कितना मिलता है । इससे देखा जाय तो यह बजट पूर्णतः निराशाजनक है और जानबूझकर ऐसी परिस्थिति पैदा की गयी है कि, जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, कि आगे भारी टैक्स लगाने की योजना है जिसकी पृष्ठभूमि इसमें है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि 1981-82 के बजट में राजस्व प्राप्तियों को कम आंका गया है, जानबूझकर प्राप्तियां कम बतायी गयी हैं और खर्चे को बढ़ाकर दिखाया गया है । आप देखें तो 1979-80 के बजट में 1684.47 करोड़ रुपये की आय है और 1980-81 में 1622 करोड़ आय का अनुमान था लेकिन वसूल हुआ 1827 करोड़ इस तरह से 200 करोड़ रुपये अधिक वसूल हुआ । 1981-82 में राजस्व 1853 करोड़ अर्थात् कुल 2600 करोड़ रुपये हैं, जो कि पहले से अधिक है । 1980-81 में 200 करोड़ रुपये अधिक प्राप्तियां हुई, जबकि सूखे के कारण लगान स्थगित किया गया और सिंचाई नहीं हो पायी थी । इसलिये 2600 करोड़ रुपये बढ़ाकर दिखाया गया है । यह अनुमान गलत है । वास्तविकता यह है कि साल के अन्त में इस वर्ष भी 200 करोड़ रुपये बढ़ जायेगा । तो यह जानबूझकर यह स्थिति पैदा की गयी है ।

दूसरा पहलू सरकार का है जैसे मितव्ययिता के लिये कहा है । इसको पढ़ने से सरकार की नीति का पता चलता है । इस साल भी प्रशासनिक व्यय बढ़ा दिये गये हैं पिछले साल के मुकाबले में और सामाजिक सेवाओं में जिनसे गरीबों को लाभ होगा उनके लिये पहले से पैसे की कमी कर दी गयी है । मान्यवर, आप देखें कि कैबिनेट पर 1979-80 में 10.36 करोड़ और 1981-82 में 12.62 करोड़ रुपये का प्राविधान है जो कि मंत्रियों के भत्तों और कारों पर जायेगा । भू राजस्व में 1979-80 में 32.45 करोड़ रुपये और 1981-82 में 34.45 करोड़ रुपये हो गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस तरह से मान्यवर, सचिवालय में 1979-80 में 5.44 करोड़, 1980-81 में 5.77 करोड़ तथा 1981-82 में 89.17 करोड़ रुपये का प्राविधान है। पब्लिक सर्विस कमीशन पर खर्चा बढ़ा दिया गया है 1979-80 में 78 करोड़ था, 1980-81 में 167 करोड़ हुआ और 1981-82 में 261.24 करोड़ का प्राविधान है। इसी तरह से सामान्य प्रशासन पर है। 1981-82 में 631.70 करोड़ करीब-करीब इस बजट का प्रशासन पर 70 फीसदी खर्चा होता है। अगर हम निर्माण के कार्यों को देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में सामुदायिक विकास, पशु पालन, कृषि पर पहले से भी कम खर्च निकाला गया है।

बजट म कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि जो निर्माण कार्यों का उल्लेख किया गया था वह निर्माण कार्य नहीं हो पाये। खैर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि निर्माण कार्य नहीं हो पाये। जितनी लागत में जो काम गत वर्ष के बजट में पूरे किये जाने थे और वह काम पूरे नहीं हो पाये तो उसके लिये कोई प्राविधान इस बजट में नहीं दिखाया गया है। बढ़ी हुई कास्ट को कैसे पूरा किया जायेगा, इसकी चर्चा इस बजट में नहीं है। और भी निराशाजनक बात यह है कि पूरे बजट में जो हमारी वार्षिक योजना है उसके अन्दर योजनेत्तर खर्च ज्यादा है लेकिन कुल मिला कर पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत एलोकेशन किया गया, 22 फी सदी तक एलोकेशन है। अगर इस मंहगाई को भी निकाला जाय तो यह 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। यह बजट केवल शाब्दिक आंकड़ों का गोरखधन्धा बना दिया गया है। मान्यवर, कृषि में जहां पिछले वर्ष इन्होंने 200 ग्रामीण मंडियों का लक्ष्य रखा था, वहीं इस वर्ष ग्रामीण मंडियों पर, उसके निर्माण पर एक नया पैसा खर्च करने का इसमें प्राविधान नहीं है।

इस बजट में कहा गया है कि 200 मेगावाट बिजली बनेगी, जबकि पिछले वर्ष 236 मेगावाट का लक्ष्य था और बजाय बढ़ोत्तरी के पिछले वर्ष की तुलना में कम हो कर केवल 200 मेगावाट का उत्पादन रह गया। 344 अतिरिक्त मेगावाट का विद्युत् उत्पादन क्षमता को सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन आंकड़े देखें। कि यह गोरखधन्धा किस तरह से है कि 8 हजार 735 गांवों में लाभकर विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। 37,470 निजी नलकूपों एवं पम्पिंग सेटों, 4,380 गांवों एवं 2,735 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। मैंने इंजीनियरों से बात की तो पता लगा कि 8,735 गांवों का लक्ष्य सरकार पूरा कर ले, तो बात है। श्रीमन्, बिजली की हालत तो अब और भी बदत्तर रहेगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि 200 मेगावाट के उत्पादन का जो लक्ष्य है वह पिछले वर्ष के 275 मेगावाट द्वारा उत्पादित बिजली से भी खराब होने वाला है, लेकिन सरकार के आंकड़ों से साफ है, आप देखें मान्यवर, पिछले वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2,650 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ। पिछले साल 800 किलोमीटर पर नये पुल बनाने का लक्ष्य था परन्तु इस वर्ष का पूरा बजट देख लें कहीं भी नये पुलों के लिये कोई प्राविधान नहीं है, कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

पिछले साल हरिजन बस्तियों में कुओं/हैन्डपम्पों की व्यवस्था के लिये दो करोड़ रुपये की लागत रखी गयी थी परन्तु इस बार बजट में इस योजना के लिये एक नये पैसे का प्राविधान नहीं है। अभी आलोचना की यह दूसरी बात हो गयी कि पिछले काम नहीं हो पाये, उनके लिये इस साल कोई लक्ष्य है ही

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

नहीं । मैं चाहूंगा कि मैं जो आरोप सरकार पर लगा रहा हूं कि पुराने काम जो पड़े हैं, जो लक्ष्य अधूरे रह गये हैं, उनको पूरा करने के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं रखा गया है । गरीब लोग, अपाहिज लोग, अपाहिज महिलायें जिनके पास खाने को कुछ नहीं है उनके लिये सरकार ने एक योजना बनाई थी पिछली सरकार ने एक योजना बनाई थी ? राशन कार्ड उनको दे दिये थे । राशन की दुकान में जा कर गेहूं प्राप्त कर लिया जाता था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि नवम्बर के बाद राशन कार्ड पर गेहूं देना अपाहिजों के लिये बंद कर दिया गया था । और इस के बाद सरकार कहती है कि दीन दुःखियों की हम सहायता का काम करते हैं । दूसरी बात कहना चाहता हूं । निराश्रित विधवाओं को पेन्शन मिला करती थी । महिला सदस्य बैठी हैं उन को भी चिन्ता होना चाहिये । इस सरकार ने निराश्रित विधवा पेन्शन बंद कर दी । मैंने विधान सभा में सवाल उठाया । मुझे उत्तर मिला कि जी नहीं । मैंने पता लगाने की कोशिश की । मैंने अपने आंखों से सरकार का आदेश पढ़ा । उसमें लिखा है कि जो विधवा मरती जाती हैं उन का पैसा सरन्डर कर दिया जाय । नई विधवाओं की पेन्शन स्वीकार नहीं की जायगी । मैंने विधान सभा में मामला उठाया था । मेरे जिले को दो हजार रुपया मात्र भेज दिया गया जो चार बहिनों को मिल पाया । हल्ला कर के दो हजार भेज दिया गया तो इस का मतलब यह नहीं है कि निराश्रित विधवा पेन्शन देना चालू कर दिया गया है । निराश्रित विधवा पेन्शन देना बंद कर दिया गया यह काम ठीक नहीं किया गया ।

एक दूसरी बात कहना चाहता हूं । पिछली सरकार ने अन्त्योदय स्कीम चला रखी थी । महात्मा गांधी के सपनों के अनुसार जो गांव में गरीबी की रेखा से सब से नीचे लोग हैं, जब तक उनको ऊपर नहीं लाया जायगा तब तक प्रदेश और देश का विकास नहीं होगा । सैल्फ इम्प्लायमेंट योजना के अधीन सरकार ने रुपया निर्धारित किया । आप ने इस योजना को बंद कर दिया । सदन में कहते हैं बंद नहीं किया । मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं कि कैसे बंद कर दिया । अभी तक सरकार की ओर से जिला परिषद् द्वारा पैसा उन को दिया जाता था लेकिन अब आप कहते हैं कि बैंकों के द्वारा पैसा दिया जायगा । यह मात्र सब्सीडी के काम में आयेगा । मैं क्षेत्रीय विकास मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अपने ही जिले के बारे में जानता चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि जिला परिषद्, सीतापुर के पास 32 लाख रुपया डेयूड पड़ा है । आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ । यह इनएफिसियेन्सी का परिणाम है । शासन के नियमों की बात है । आप ने कह दिया कि जो बैंक हैं वे आई० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत किसानों को चार परसेन्ट पर लोन दिया करेगा । अपने जिले की बात आप को बताना चाहता हूं । कागज पर तो आप ने किसी न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को जोड़ दिया कि वह लोन देगी । लेकिन भागीरथ ग्रामीण बैंक, जो लीजिंग बैंक है इलाहाबाद बैंक का, जिस की 59 शाखायें जिले में हैं, उन लोगों ने साफ मना कर दिया है कि आई० आर० डी० स्कीम में एक पैसा भी लोनिंग नहीं करेगी । यह मामला जरूर आप के पास भी आया होगा । मैं जानना चाहूंगा कि आप ने इलाहाबाद बैंक पर कौन दबाव डाला, कौन व्यवस्था की, जिस की परव्यू में आधा जिला आता है कि आई० आर० डी० स्कीम के अधीन गांव के गरीब लोगों को, छोटे लोगों को, किस तरह से लोन नहीं मिला। लाखों रुपया पड़ा है । क्या सामुदायिक विकास मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही नहीं है कि पुराना पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ और केन्द्र सरकार ने जो रुपया आने वाला था उसे रोक दिया ।

80-81 का रिवाइज्ड इस्टीमेट हमारे सामने हैं। इस में स्वास्थ्य, सफाई, जल आपूर्ति, जो गरीबों की काम की चीजें हैं, इनमें पिछले साल 63.80 करोड़ रुपया व्यय हुआ था और 81-82 में आप ने रखा है 47.78 करोड़। यह कम है। प्राथमिकता बदल गयी है। कृषि की बात आप से कह रहा था। बजट को पढ़ कर मैंने बताया कि 80-81 में जो एलोकेशन कृषि के लिए किया था उसमें से चार करोड़ से अधिक रुपया अनयूटिलाइज्ड पड़ा है। यूटिलाइज नहीं हुआ। निगमों को चला जाता है। ट्रान्सफर कर दिया जाता है। आप को मालूम होगा। शायद अपने उत्तर में आप कहेंगे। आप के जिले सीतापुर में इस साल पचास नलकूप बनाने के लिए पैसा फाइनेन्स कर दिया गया। एक भी नलकूप अभी तक इनरजाइज नहीं हुआ। 80-81 का चार करोड़ रुपया आप को अनयूटिलाइज्ड पड़ा है और 81-82 में मद संख्या 51, 53, 56, 59, 60 जो कृषि की मदें हैं 11.79 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। कुल मिला कर इन मदों में गत वर्ष की तुलना में आप ने 17-18 करोड़ कम दिया है और नाम लिया जाता है किसान रैली का।

(समय 2 बजे अपराह्न)

मान्यवर, किसान रैली के बारे में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। मालूम हुआ कि किसान रैली होगी और सत्तारूढ़ दल के लोग इस रैली को करेंगे। इसकी वाइड पब्लिसिटी हुई सुन्दर-सुन्दर और शानदार पोस्टर्स लगाये गये। मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि यह क्यों हुआ। मैं उस पार्टी का सदस्य तो नहीं हूं लेकिन मैंने यह सब समाचार-पत्रों में पढ़ा और कई बयान भी पढ़े। कहा गया कि आज देश का किसान संकट में है इसलिये इस रैली की योजना है जिससे वह अपना कार्यक्रम सरकार तक पहुंचा दे। उस बयान में यह भी लिखा था कि सरकार किसानों की कठिनाइयों पर विचार करेगी। मान्यवर, जिस दिन रैली हुई। मैं गांव के दौरे पर था। मैं जल्दी-जल्दी आया इस ध्येय से कि शायद रेडियो में कुछ सुनने को मिले या कोई खास घोषणा हो। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने कई अखबार पढ़ने की कोशिश की कि आज किसान को कोई तोहफा वहां से मिलेगा। मैं यह बात नहीं कहना चाहता कि वहां पर कितने लोग गये, कितना खर्चा हुआ, मुगलसराय में क्या हुई, कितनी लूट-पाट हुई, महौली में कितने लोग मारे गये और कितना खून-खच्चड़ हुआ। दो बातें वहां पर श्रीमती गांधी ने किसानों से कहीं कि किसान अन्य वर्गों की कीमत पर अपनी मांगों के लिये न अड़े। इस तरह का सुझाव दिया गया कि काश्तकार किसी निहित स्वार्थ के लिये किसी दूसरे के हित पर न अड़े। उन्होंने आगे कहा कि आज देश बड़े कठिन समय से गुजर रहा है इसलिये कि वे अपनी खर्चों में कटौती करें। मैं जानना चाहता हूं कि किसान अपनी क्या कटौती करे। गरीबी की रेखा के नीचे वह कंगाली का जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं पूछता हूं कि अगर उस भूखे को यही उपदेश देना था तो 1 अरब, 2 अरब रुपया क्यों खर्च किया गया। यह उपदेश दिया गया कि आप आन्दोलन न करें, दूसरे वर्गों की चिन्ता करें, पूंजीपतियों की मिल मालिकों और सरकार के हितों का चिन्ता करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सूचना सम्मानित सदस्य को इंदिरा गांधी के भाषण के सम्बन्ध में मिली है मेरा नम्र निवेदन है कि वह तथ्यों से परे हैं। यह बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कही कि वे अपनी आवश्यकताओं में कटौती करें। आप उनके भाषण को मंगा लें और सम्मानित सदस्य के भाषण से मिला लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे पास सरकुलर नहीं हैं । अखबारों में हेडिंग में छपी है ।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, अखबारों में तो न जाने क्या-क्या निकलता है । उनको आप क्यों मान लेते हैं ? समाचार-पत्रों में तो छपता रहता है । ये सब कहानियां किस्से हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब अखबार में कोई चीज निकलती है तो वह वेद वाक्य नहीं बल्कि इन्सान का वाक्य मान लिया जाता है । उन्होंने अखबार को कोट किया है और उसमें छपी बात सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह तो किसान के प्रति सरकार का प्रेम है । दूसरी ओर मंहगाई बढ़ रही है । मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उन्हें प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं । इस पर असहमति भी नहीं है कि 36 से 65 फीसदी तक मंहगाई बढ़ी है । मैंने भी हिसाब लगाया है कि 5 आदमियों के सामान्य परिवार के बजट में 125 रुपये महीने मंहगाई बढ़ी है । मेरी पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने घोषणा की है कि मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि दाम कब तक और कितने बढ़ते चले जायेंगे । आज चीनी 10 रुपये किलो मिल रही है । कल मैं चीनी दस रुपये किलो लाया हूं । इसमें काश्तकार का कितना हिस्सा है, मिल मालिक का कितना हिस्सा है और सरकार का कितना हिस्सा है । और अधिकारियों का कितना हिस्सा है । काश्तकार को वही पुरानी कीमत गन्ने की मिलेगी और चीनी के दाम बढ़ाते चले गये । तो वह बढ़ा हुआ हिस्सा किसके पास गया । सरकार बताये कि यह मंहगाई कब तक बढ़ती चली जायेगी । आज सबसे बड़ा फायदा बिचौलिये उठाते चले जा रहे हैं । आपने मंहगाई रोकने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानों की बात उठाई । उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य सही बतायें कि क्या आज सस्ते गल्ले की दुकानों पर सामान मिल रहा है । क्या मिट्टी का तेल मिल रहा है । नहीं मिल रहा है । उसका कारण यह है कि पुरानी प्रथा को आपने बदल दिया और नयी प्रथा कोआपरेटिव की आपने बनाई लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिये थी । मैं अपने जिले के आपूर्ति अधिकारी से मिला और कहा कि क्यों मिट्टी का तेल नहीं हमारे यहां जा रहा है तो वह कहते हैं कि सहकारिता वाले कहते हैं कि ड्रम नहीं है । तो यह व्यवस्था किसको करनी थी इसकी जिम्मेदारी किसकी है । इसके लिए सरकार को पहले सोचना चाहिये था ।

अभी यहां पर फूलन देवी की बात आई मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा । लेकिन मैं पुलिस के करिस्मे की बात बताना चाहता हूं आप पुलिस को सुविधा देते जा रहे हैं और उसके लिए अधिकार बढ़ाते जा रहे हैं । जिनको शान्ति व्यवस्था को ठीक रखना है । आज पुलिस का रवैया क्या हो गया है । चारों तरफ पी0 ए0 सी0 का कैम्प लगा हुआ है एक साइकिल सवार जाता है और पुलिस वाले बालीबाल खेल रहे होते हैं आदमी शिकायत करता है तो वह कह देते हैं कि इस वक्त क्या हो सकता है । जिस समय फूलन देवी नाव पार

कर रही होती है उसका दूसरा गिरोह माइक पर कहता है कि हमारी मदद करिये फूलन देवी भाग रही है कोई सुनता नहीं है। अभी हमारे सीतापुर की बात हुई श्री राम आसरे वर्मा ने बताया। वहां पर एक रामेश्वर नाम का व्यक्ति मारा जाता है। यह ठीक है कि रामेश्वर ठीक आदमी नहीं था लेकिन उसके साथ एक दूसरी दर्दनाक घटना जुड़ी हुई है। रामेश्वर गन्ने के खेत में छुपा हुआ है पुलिस वाले मौके पर जाते हैं, एक गिरीश श्रीवास्तव नाम का लड़का अपने छोटे भाई को बस में बैठाने के लिए जाता है और लौटते समय सड़क पर देखता है कि एक तालाब के किनारे पुलिस वालों की भीड़ लगी है उसको वह देखने लगता है। पुलिस को देखकर हर कोई डर से भागता है। उसे पुलिस वालों ने पकड़ कर जीप पर बैठा लिया उसके बाद वह रामेश्वर पकड़ा जाता है उसके साथ एक 17 साल की लड़की जिसको अपने साथ रखता था पकड़ी जाती है। राम स्वरूप चिल्ला रहा है कि इस लड़के का मेरे साथ कोई मतलब नहीं है लेकिन उसे भी मार दिया जाता है। गांव वालों ने मुझे बताया कि यह सही है। उन तीनों को पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं और पेड़ में बांध कर मार देते हैं। पुलिस वालों में इतनी उत्सुकता थी कि जिस रस्सी से उन्होंने पेड़ में बांधा था उसे वैसे ही छोड़ गये। और आज कहा जाता है कि इनकाऊंटर में मारे गये। आज इनकाउंटर के नाम पर पुलिस वाले किस तरह लोगों को मार रहे हैं। रिजवी साहब यहां पर बैठे हैं वह मालूम करें। मेरे पास डी0 एस0 पी0 आये थे मैंने उनसे पूछा कि गिरीश लड़के की हिस्ट्री बताइये आपके फाइल में लिखी होगी लेकिन वह एक बार नाम बता पाये और उसकी तारीख नहीं बता पाये। अगर गिरीश क्रिमिनल होता तो उस पर मुकदमा चला होता और तारीख उसमें होनी चाहिये थी। लेकिन तारीख कोई नहीं बता सके। इस प्रकार 17 साल की लड़की और उस लड़के को मार दिया। आज प्रशासनिक स्थिति क्या है। मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी मैं दो मिनट में खतम करता हूं। प्रशासनिक स्थिति क्या है ? इस आदरणीय सदन में मोहम्मदी, जिला लखीमपुर में कुछ लोगों के मारे जाने की घटना के सम्बन्ध में मैंने उठाया था और मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उसी दिन उन्होंने उसके आर्डर दिये थे और पूरा थाना उसी दिन वहां से ट्रांसफर हो गया। उसके बाद 10-7-80 को मैजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी के आदेश हुए। मेरी जानकारी है कि अभी तक उस जांच के सिलसिले में पुलिस के बयान नहीं हुए हैं, केवल दो-चार आदमियों के बयान हुए हैं। तो यह मंत्रिमंडल के आदेशों के परिपालन करा सकने की इतनी क्षमता है।

*वित्त राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले दिन माननीय नेता विरोधी दल ने इस बजट पर चर्चा करते हुए यह जो तस्वीर इस आदरणीय सदन में पेश करने की कोशिश की थी कि तीन वर्षीय जनता शासन काल के दौरान प्रदेश की हालत खाद्यान्न और उत्पादन के मामले में तथा हर मामले में कांग्रेस शासन काल के मुकाबले में अच्छी रही, मैं उससे बिलकुल भी सहमत नहीं था। यह आंकड़े के आधार पर उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की लेकिन उसी वक्त मैंने उनके आंकड़ों को चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने उसका कोई रेफरेन्स नहीं दिया। आज वह इस सदन में नहीं हैं, लेकिन मोहन सिंह जी हैं, जो वैसे कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन बैठने के लिए उधर हैं, उनके माध्यम से मैं नेता विरोधी दल तक अपनी बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र—]

पहुंचाना चाहूंगा कि उन्होंने सत्य से परे अपनी बात कही है और सत्य से परे आंकड़े यहां प्रस्तुत किये हैं। देखने की बात यह है कि आपके शासन काल का प्रभाव जनता पर 3 वर्ष क्या रहा और कांग्रेस का क्या रहा। इसकी विवेचना करने की जरूरत है। अन्न का जहां तक सवाल है, सन् 77 में जब कांग्रेस पार्टी शासन छोड़ कर गई, उससे सन् 80 में जब जनता पार्टी ने शासन कांग्रेस को सौंपा तो अन्न की स्थिति अच्छी थी यह कहना सत्य से परे और बबुनियाद है। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने वस्तुस्थिति रखना चाहता हूं। मार्च, 77 में गेहूं का बफर स्टाक 115 मिलियन टन था और जब इन लोगों ने शासन छोड़ा यानी सन् 80 में तो उस वक्त केवल 37 लाख 93 हजार टन था! हमने इनको भरपूर गेहूं का स्टाक तथा दूसरा अनाज दिया था, लेकिन इन्होंने उसका एक चौथाई के करीब ही स्टाक छोड़ा था। यह आंकड़ा डाटा इंडिया, मार्च, 77 के पेज 165 से लिया है। नेता विरोधी दल ने जो डाटा दिया है, वह कहाँ से दिया है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था।

श्री मोहन सिंह—

ऐसी बात नहीं है, उन्होंने यह कहा था कि आपने सन् 77 में जो स्टाक छोड़ा, उसमें 74 से 77 के बीच विदेशों से मंगाया हुआ काफी स्टाक था, जबकि हमने विदेशों से कोई अन्न नहीं मंगाया, बल्कि विदेशों को निर्यात किया और उसके बावजूद भी इतना अधिक खाद्यान्न स्टाक में सुरक्षित छोड़ रखा था। कहने का मतलब यह है कि हमारी कृषि सम्बन्धी नीतियों से प्रोत्साहित होकर किसानों ने अधिक अन्नोत्पादन किया और हमने बाहर से गल्ला मंगवाया ही नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपकी यह भी बात सत्य से परे है। मैं इसको चुनौती देता हूं। 1974 से 77 के बीच में एक छटांक गल्ला भी कहीं बाहर से नहीं आया है। 72 के बाद से ही हम इस पोजीशन में रहे हैं और हमने उस समय रसा को गेहूं देने का प्रस्ताव किया था। मोहन सिंह जी ने जो बात कही है वह सत्य से परे है और इस तरह का सड़ा झूठ इस सदन में नहीं कहना चाहिये। 72 से 74 के बीच आप बता दें यदि एक छटांक भी गल्ला कहीं से आया हो। खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में भी मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 19 7 में जब हम हुकूमत से अलग हुए तब 199 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ था। 79–80 में जब आप हुकूमत से अलग हुए तो यह घटकर 159 लाख टन रह गया। इसी तरह औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा 1977 में 138·7 था जो घटकर 131·5 रह गया। इस प्रकार आपके शासन काल में गल्ले का उत्पादन घटा, औद्योगिक उत्पादन घटा, प्रति व्यक्ति आय घटी। बफर स्टाक जो था उसे आपने खत्म कर दिया। इतना ही नहीं इन सारे आंकड़ों के अलावा एक्सचेन्ज रेट, जिस पर किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था निर्धारित रहती है, उसमें भी कमी हुई। 1977–7 में 100 रु0 की वैल्यू 6·36 थी, वह 1980 में एक पौंड घट गया। जब रुपये की वैल्यू घटने लगती है तो सारी अर्थ–व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है। आप लोग कहते हैं कि जनता पार्टी का शासन अच्छा था। हमने जो भी आंकड़े दिए हैं, वह इकनामिक सर्वे और इकनामिक जनरल के आधार पर दिये हैं। अब मैं यह आपके सामने कहना चाहूंगा कि का असर क्या रहा सारे हिन्दुस्तान की जनता पर और उत्तर प्रदेश की जनता पर आपके शासन का क्या असर रहा।

श्रीमन्, आम जनता की जो धारणा रही जनता पार्टी के हुकूमत के बारे में, वह यह रही कि जनता पार्टी की सरकार नपुंसकता, निष्क्रियता और निकम्मापन का प्रतीक रही। आपका 310 का विशाल बहुमत लोक सभा के अन्दर था। सारी पुलिस फोर्स आपके साथ थी लेकिन आपका प्रबल लक्ष्य क्या था केवल एक औरत को मात देना। श्रीमती इन्दिरा गांधी को मात देना इनका लक्ष्य था और यही इनकी नपुंसकता का प्रतीक है कि वह मात भी आप नहीं दे पाये। जनता पार्टी के शासन काल की निष्क्रियता का यह भी प्रतीक है कि बराबर उत्पादन घटता रहा। बराबर हड़तालें होती रहीं। सुगर का प्रोडक्शन घटकर 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक घट गया। सारा प्रोडक्शन हर चीज में घटता रहा और ये कहते हैं कि वह बढ़ा था। जनता के ऊपर जो कांग्रेस शासन का असर पड़ा है वह यह है कि यह सरकार ही गरीब और किसानों के हित के लिए है। यहां पर हरिजनों के उत्पीड़न की बात कही गयी। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, राम आसरे वर्मा और माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि हरिजनों का कांग्रेस के शासन काल में कितना उत्पीड़न हुआ। मेरा तो निश्चित मत है कि जनता पार्टी के राज में सामन्तों और पुलिस वालों का गठबन्धन हुआ। हमारा गठबन्धन न पुलिस और न सामन्तों के साथ हुआ हरिजनों को उत्पीड़न करने के लिए। यही नहीं जनता पार्टी के शासन काल में जो भूमि का वितरण पहले कांग्रेस के शासन काल में किया गया था उनको उससे बेदखल कर दिया गया।

हमने पहला कानून यह बनाया है कि जो किसी हरिजन या भूमिधर की जमीन छीनेगा उसको सजा दी जायेगी और तमाम जिलाधीशों को यह आदेश दिए गये हैं कि जिन हरिजनों और भूमिहीनों को पट्टे दिए गये हैं, उन पर उनको कब्जा दिलाया जाय। हमारे देश की प्रधान मंत्री ने दिल्ली में कहा था कि यह राष्ट्रीय किसानों की रैली है। सारे राष्ट्र के किसान यहां पर इकट्ठे हुए हैं। श्री राजेन्द्र कुमार जी जो सामन्तवादी हैं वे स्वयं ही दिल्ली की रौनक देखना चाहते हैं। जो फटे हाल हैं, गरीब लोग हैं अगर वे दिल्ली के दर्शन कर लेते हैं तो यह उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हमारी प्रधान मंत्री ने इसे एक राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी है। मानवता के नाते आपको प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए कि भूमिहीन और गरीब लोग अपने हक हकूकों को इजहार करने के लिए देश की राजधानी में इकट्ठा हुए। आपके चरण सिंह जी ने क्या किया था। उन्होंने अपने जन्म दिन पर तमाम सामन्तों का एक जमघट खड़ा किया और सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि हमने सरकारी साधनों का प्रयोग किया (हसी)। सारे किसान अपने खर्चे से दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। चरण सिंह जी ने अपने जन्म दिवस पर 4-5 लाख सामन्त लोग इकट्ठे किए थे। यह किसान रैली इस बात की द्योतक थी कि जो हमेशा सामन्तों के पक्षधर रहे हैं देश का किसान उनके साथ नहीं है। आज सर्वहारा, दरिद्र किसान 2 हजार वर्ष के इतिहास में इंदिरा गांधी ही पहली हुकमरान रही है जिन्होंने सर्वहारा लोगों को साझेदार बनाने का काम किया है। ये ही पहली हुकमरां हैं कि जिन्होंने हुक्म दिया कि किसानों को मिल्कियत दी जाय और सर्वहारा को साझेदार बनाया जाय। कन्याकुमारी से काश्मीर तक और मणिपुर से पंजाब के बीच में बसने वाले करोड़ों किसान यह नहीं कह पायेंगे कि हमारे पास एक बीघा भी जमीन नहीं है। मैं माननीय राजेन्द्र कुमार जी से जो कि सामन्तों के पक्षधर रहे हैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके शासन के देश के जनसाधारण और उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों के ऊपर क्या असर पड़ा।

एक सदस्य--

मान्यवर, यह आपसे भी सम्बन्धित है ।

श्री उपाध्यक्ष--

शासन का सम्बन्ध आपका हो सकता है या मोहन सिंह जी का हो सकता है । इस पीठासीन अधिकारी का कभी शासन से सम्बन्ध नहीं हुआ करता है, वह सब से ऊपर है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज जन साधारण क्या सोचती है । जब माननीय मोहन सिंह जी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो एक फ्रांसीसी भी पढ़ता था । वह यह बहस करता था कि रामचन्द्र और कृष्ण पैदा हुये यह आप कैसे साबित कर सकते हैं ? अब कोई यह कहे कि अशोक और अकबर पैदा हुए या नहीं, यह साबित करो, तो क्या कहा जायेगा । जिस चीज को इस दिमाग ने मान लिया, जो चीज इस दिमाग पर छा जाये, वही सत्य होती है ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

इनकी सरकार इस वर्ष क्या करने जा रही है कुछ इस पर भी कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र--

मैं उस पर भी आ रहा हूं । बता रहा हूं । आज देश और प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझने लगी है कि यह सरकार और यह प्रशासन किसानों, गरीबों, हरिजनों और कमजोर वर्ग के हित में है और इनका भला इस सरकार द्वारा हो रहा है और होगा ।

कल सेलसटैक्स के सम्बन्ध में व्यापारी वर्ग आन्दोलन कर रहे थे और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी उसमें शामिल थे । मैं पूछता हूं कि जिस व्यापारी वर्ग ने गरीब लोगों का पैसा अपनी जेब में रख लिया है, क्या उसे उनकी पाकिट में ही रहने दिया जाय । अगर आज दो नम्बर का धन्धा करने वाले भी आन्दोलन करेंगे तो क्या असर होगा उसका ? (व्यवधान) सरकारी कर्मचारियों को विरोधी पक्ष वाले उकसाते हैं, (व्यवधान) इस देश का सारा खजाना क्या अफसरों और कोट-पतलून पहनने वालों की जेबों में ही चला जाये ? इस प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जो न नौकरी करते हैं और जिनके पास न कोई जमीन आदि है, जीविकोपार्जन का कोई भी साधन नहीं है । आखिर उन लोगों के बारे में भी तो हमें सोचना होगा । पे कमीशन की रिपोर्ट में जो असंगतियां थीं उन पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने एक कमेटी बना दी है । वह विचार करेगी । इसके बाद भी हर वक्त इसके लिए आन्दोलन करना कि वेतन बढ़ा दिया जाये, बोनस बढ़ा दिया जाये, भत्ता बढ़ा दिया जाये, यह ठीक नहीं है, इससे तो और इन्फलेशन बढ़ता जायेगा । राजेन्द्र प्रसाद जी आप अगर अर्थशास्त्री हैं तो आप समझिये, अगर हम पे आफ पैकट बढ़ाते जायेंगे, तो मुद्रा-स्फीति बढ़ती जायेगी इसलिए सरकारी कर्मचारियों की इस हरकत पर आपको अंकुश लगाना चाहिए । हमारे जो गावों के विकास की योजना है, उस पर मैं आता हूं । छठी पंचवर्षीय योजना में जो हम खर्च कर रहे हैं, उसमें 17209 करोड़ का प्राविधान है । इसमें हम 600 परिवारों को ले रहे हैं । पांच साल

के अन्दर 300 परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आ जायेंगे। हमने हर जिले में एक ए0 डी0 ओ0 फाइनेन्स की नियुक्ति की है। जितने बैंक हैं, उनमें कोटा एलाट किया है। 5 लाख रुपया हमारे सरकारी खजाने के लिए, 15-20 लाख रुपया हम बैंकों से दिलवायेंगे। आपने अन्त्योदय कार्य-क्रम चलाया। उसमें बड़े-बड़े डाक्टरों ने बड़े-बड़े आदमियों ने रिश्वत ले लिया। जो परम्परागत गांवों में होता आया है, उनकी हम मदद करेंगे और उनको हम गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की हम कोशिश करेंगे। सेल्फ इम्प्लायमेन्ट की स्कीम हमने चलाया है। नवजवानों में जो बेकारी बढ़ रही है, उनको हम 100-100रुपया वजीफे के रुप में देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये सारी योजनाएं श्रीमन की जा रही हैं। अगले साल 5-6 साल के अन्दर आधी आबादी जो गरीबी की रेखा से नीचे है उनको ऊंचा उठाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात बिलकुल गलत है और जनसाधारण पर वह सब प्रभाव पड़ा है कि जनता पार्टी की हुकूमत बड़े लोगों की पक्षधर रही है, गरीबों की पक्षधर नहीं रही है। मान्यवर, पुलिस के बारे में बहुत सी बातें कहीं गयी। जब पुलिस का बजट होगा, तब मैं उस पर कहूंगा। मान्यवर, मोहन सिंह जी जैसे माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक नेता सदन इस आदरणीय सदन में हैं

(व्यवधान)

एक सदस्य--

यहां पर कोई नेता सदन नहीं हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र--

नेता सदन हैं। उन्होंने अपनी जमीन भू-दान यज्ञ में दे दिया और भी कोई ऐसा है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी उस काण्ड के लिए सरकारी कर्मचारी दोषी होगा, दन्ड का भागी होगा, जब तक ये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, वह किसी को भी नहीं बख्सेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि हमारा बजट और हमारा प्रशासन गरीबों के पक्ष में है और सामन्तों के विरोध में है।

*श्री मारकन्डेय चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, नियोजन मंत्री हैं। जब बजट पर बोल रहे थे, तो मैं सर्वप्रथम तो वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समय से बजट प्रस्तुत किया है। लेकिन दूसरी तरफ जहां वे बधाई के पात्र हैं, वहीं पर निन्दा के भी पात्र हैं। एक तरफ तो जो उनका बजट भाषण है, उनकी बात है, और दूसरी तरफ महामहिम राज्यपाल जी ने अपने बजट भाषण में, जहां अपनी योजनाओं का जिक्र किया है, उन योजनाओं की रूपरेखा बजट में है और सर्वप्रथम महामहिम ने क्या कहा है, उसकी दो लाइन मैं मान्यवर, रख रहा हूं और सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, उनको यह मालूम ही है कि उनके क्षेत्र में कैसे योजनायें चल रही हैं। तो, महामहिम ने कहा है कि--'मेरी सरकार योजना प्रणाली में मौलिक परिवर्तन करेगी ताकि जनपदों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों में राज्य की योजनाओं का आधार हो और जन-प्रतिनिधि इससे अधिक से अधिक सम्बद्ध हो सकें।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मारकण्डेय चन्द्र--]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से और सत्ता पक्ष से जानना चाहूंगा कि 30 वर्षों से ये नारा लगा रहे हैं कि इस प्रदेश की योजनायें क्षेत्रीय समिति के स्तर पर और जनपद स्तर पर बनेंगी और उसकी रूपरेखा इसमें निहित होगी। मैं पूंछना चाहता हूं कि ये जो योजनाओं की घोषणा करते हैं और ये जो योजनायें यहां लखनऊ में बैठकर अधिकारी ने आंकड़ों के आधार पर तैयार कर लिया है, जिन योजनाओं का इसमें वर्णन किया गया है, उनमें क्षेत्र की वास्तविकता क्या है ? कोई जनकारी उनको क्षेत्र की वास्तविकता से है ? मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक कभी कोई बजट इस तरह से नहीं प्रस्तुत हुआ होगा। अभी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि यह तो लिख दिया गया है और लोकेशन कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से कि इस वर्ष बजट में प्रस्तुत किया गया।

मान्यवर, हमारे सामुदायिक विकास मंत्री जी बैठे हुये हैं जो सदन को बड़ी कुशलता से चलाते हैं। वह संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। मान्यवर, खंड 3 में जो नव सेतु और मार्गों के बारे में दिया है, उसमें लिखा है कि 81-85 में 19 करोड़ 99 लाख 20 हजार की लागत से प्रदेश की नयी सड़कों और पुलों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है और 81-82 में 2-50 करोड़ का व्यय अनुमानित है। लेकिन उसमें एक भी सेतु और सड़क का नाम नहीं है। गत वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें सभी सेतुओं और मार्गों का नाम लिखा था। लेकिन इस वर्ष यह जो चोरी की है, उसको जनता माफ नहीं कर सकती। आपने उसमें यह लिखा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल जिन लोगों की सिफारिश पहुंचेगी, जहां चुनाव कराना होगा, वहीं पर पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी। तो कम से कम प्रदेश की जनता को धोखे में तो न रखें।। जो मदों में लिखा है, उनका वर्णन होना चाहिये।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, इनफार्मेशन के लिये बता दूं कि योजनाओं में हमने प्रायरटी फिक्स की है। यह नहीं होगा कि मंत्री जी के यहां सड़क बन जायेगी। जो वास्तव में जरूरी है, वही सड़क पहले ली जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या कहा, आपने ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, योजनाओं में आर्थिक दृष्टिकोण के प्रिन्सिपुल को रखा गया है और उसी दृष्टि से प्रायरटी रखी है पुल और सड़कों के बनाने में। यह नहीं कि मंत्री के घर में सड़क बन जाये जैसा कि जनता पार्टी में हुआ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मान्यवर, मैं एक आश्चर्य की बात बता रहा हूं कि जिसकी सत्ता पक्ष के लोगों को भी जानकारी शायद न हो। आज तक कभी ऐसा बजट नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि पूरे प्रदेश को सड़कों और पुलों के लिये एकमुश्त रकम निश्चित कर दी गयी हो जो सड़क और पुल बनेंगे, उसको बाद में करेंगे। पंडित जी,

आपने कभी यह सोचा कि जो पैसा जनपदों को दे रहे हैं, उसका कितना छोटा गाँव के किसानों को पहुंच रहा है । एक तरफ कहा है कि आई० आर० डी० में स्कीमों को ले रहे हैं सारे प्रदेश के विकास के लिये । मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं कि के किसान को जो 3 हजार रुपया आप भैंस खरीदने के लिये देते हैं और उसमें एक हजार रुपया छूट देते हैं, लघुसीमान्त किसान का जो चयन आपने किया है । क्या आपको मालूम है कि जब किसान 2 साल के बाद छूट लेने की बात करता है तो ब्याज का रुपया लेकर वह ब्याज 3 हजार हो जाता है । किसान को भैंस लेने के बाद किसानों को एक हजार रुपये की छूट लेने हेतु 500 रुपया खर्च करना पड़ता है । यह मेरे ही क्षेत्र में नहीं है आप सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है । गांव का किसान जिसको आप किसान–किसान चिल्लाते हैं, आप किसानों की रैली कर सकते हैं, 20 लाख किसानों को आप इकट्ठा करते हैं लेकिन मंत्री जी जब आप गांव में जायेंगे तो गांव का किसान जिसने आपको चुनकर भेजा है आपसे पूछेगा कि मैंने 2 साल पहले भैंस खरीदी, बैल खरीदा, पौल्टरी स्कीम लगाई है लेकिन उसमें छूट नहीं मिली । आपने अंत्योदय स्कीम तो समाप्त ही कर दिया । आप कहते हैं कि मैंने आई० आर० डी० स्कीम के अन्दर बहुत पैसा दिया है लेकिन आपके अधिकारी और यह सरकार इतनी अक्षम हो गई है कि आधा पैसा भी किसान के पास नहीं पहुंचता है । आप किसान को जो भैंस देते हैं बाहर उसकी कीमत 2 हजार होता है किन्तु डाक्टर और बी० डी० ओ० मिलकर 500 रुपया लेकर उसी की कीमत 3000 कर देते हैं और किसान को 2 हजार की भैंस तीन हजार में मिलती है । किसान छूट के नाम पर 3 हजार रुपये का कर्जदार हो जाता है । आप जिस किसान को तीन हजार रुपये भैंस के लिये देते हैं यह इनकम जनरेटिंग यूनिट, जो किसान कल रोटी और नमक खा रहा था उसको आप तीन हजार रुपये की भैंस देते हैं लेकिन उसका दूध कहाँ बिकेगा इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं ।

माननीय नियोजन मंत्री जी एक उदाहरण मेरे सामने है इसके लिये मैं शासन को बधाई देना चाहता हूं कि आपने गोरखपुर में अतिवृष्टि और प्रलयकारी बाढ़ से राहत देने के लिये बहुत बड़ी रकम दिया है । आपने गोरखपुर जनपद में निम्न मद में निम्नलिखित रुपया दिया है :

गृह अनुदान में 90,20,000 रु० ।

अहेतुक अनुदान सहायता में 27,20,000 रु० ।

विशेष सहायता 19,20,000 रु० ।

बहुत बड़ी धनराशि शासन ने दिया है इसके लिये मैं बधाई देता हूं किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह धनराशि किसानों को मिली नहीं है । बाढ़ आई और चली गई, मकान गिर गये । बाढ़ अगस्त और सितम्बर में आई रुपया आज तक नहीं बंट सका । गोरखपुर जनपद के अकेले बांस गांव तहसील में निम्नलिखित धनराशि बची हुई है :

गृह अनुदान में 10,23,400 रु० ।

अहेतुक सहायता में 33,287 रु० ।

विशेष सहायता में 23,155 रु० ।

जब एक तहसील में इतना रुपया बचा हुआ है तो पूरे जनपद में कितना रुपया बचा होगा । यह रुपया कब बंटेगा । क्या सरकार के कान में तेल नहीं है सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती । आये दिन समाचार पत्रों में आता है कि 50 रुपया देकर । बड़ा कर अधिकारी लोग 150 रुपया कर रहे हैं । इसके बावजूद आधा पैसा भी नहीं बंट पाता ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैंने पैसा दे दिया आपकी जिम्मेदारी है आप बंटवायें ।

श्री मारकण्डेय चन्द--

आपका कोई कन्ट्रोल गोरखपुर जनपद के अधिकारियों पर नहीं है । एक चीज मैं और अर्ज कर दूं । रावणी सेना को ही मैं कह रहा हूं । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपका कभी माननीय सदस्यों को बुलाता है, कभी प्लानिंग आफिसर बुलाता है, मंत्री जी मैं यह कह रहा हूं कि यह दर्द मेरा ही नहीं है . . . ।

श्री उपाध्यक्ष --

मारकन्डेय जी, आप मन्त्री जी से नहीं मुझ से बात कर रहे हैं । आप मेरी तरफ से मुखातिब हों और जो भी कहना है मेरे माध्यम से कहें ।

श्री मारकन्डेय चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोगों की 3 पैसे की कीमत हो गयी है । किसी योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उनकी कोई पूंछ नहीं है । सरकार ने घोषणा की है कि जनपद में 12 स्कूल बनेंगे । किस स्कूल की मरम्मत होगी, कहां स्कूल खुलेंगे, अधिकारी जो चाहते हैं वही करते हैं । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यह सरकार अपने धन को, अपने कोष को, जो किसानों की गाढ़ी कमायी का है, उन अधिकारियों की जेब में डालने के लिए दे दिया है । या तो आपके क्षमता नहीं, बुद्धि नहीं, कार्य कुशलता नहीं है कि जन प्रतिनिधियों के सामने आपके अधिकारी घास नहीं डालते । जो हमारे किसानों का, गरीबों के खून का पैसा है उसका इस प्रकार से दुरुपयोग आप न करें । गत वर्ष का एक उदाहरण सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष --

गलत शब्द आपने गलत इस्तेमाल किया है ।

श्री मारकन्डेय चन्द्र--

जैसे ही आपने बजट पेश कराया, उसी के बाद, उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको लागू करते, पावर टेरिफ बढ़ा दिया । यह कैसे विश्वास कर लिया जाय कि कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है, कर में वृद्धि नहीं हुई है, आपकी बात पर कैसे भरोसा किया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष --

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र --

केवल एक मिनट । मैं आपके माध्यम से केवल एक सुझाव देना चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी, जो सामुदायिक विकास मन्त्री हैं, ग्राम्य विकास मंत्री भी हैं बड़ा भारी काम है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप विराजें । आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री दल सिंगार यादव--

[× × ×]

व्यवधान

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, यह प्रदेश का बजट है कि इनके क्षेत्र का बजट है ।

श्री दल सिंगार यादव--

[× × ×]

*श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, अभी मिश्रा जी ने किसान रैली की बात कही । एक आर० टी० ओ० श्री तिवारी हैं । जिन बसों के लिए वह कहते थे कि परमिट न होने से सड़कों पर नहीं इजाजत दी जा सकती उनको रैली में जाने के लिए उन्होंने इजाजत दे दी और प्रशासन का जोर लगा कर उन बसों को ले जाया गया । बाराबंकी में न जाने कितने होटलों मे खाना खाया गया लेकिन खाने का पैसा नहीं दिया गया । इसके अलावा कानपुर में जो काँड हुआ जिसके लिये लोकदल पर आरोप लगाया जाता है उस सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल तथा पी० ए० सी० ने मिलजुल कर यह काँड कराया है । अब मैं देवरिया जिले की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । पिछले 6 महीने के अन्दर 40 पिछड़ी जाति के लोगों को इनकाउन्टर के नाम पर हत्या की गयी और 5 भिखमंगों को मारकर इनकाउन्टर दिखाया जाता है, यह बड़े शर्म की बात है ।

(समय 3 बजे अपराह्न)

लेकिन आप इस पर भी कुछ नहीं कहेंगे । मैं मान्यवर, कहूंगा कि आज खाद्यान्न योजना के बन्द हो जाने से सारे पूर्वांचल में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है । 2000 लोग खाने के बिना और ठंड से मरे हैं । इसलिये पूर्वांचल के लोग बाहर दूर-दूर जा रहे हैं । यह आपकी सरकार की देन है ।

मान्यवर, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कें बनीं और बहुत बाकी हैं । देवरिया जिले में माननीय मुख्य मन्त्री जी गये और वहां जाकर खाद्यान्न योजना के कागजात सील करने के आदेश जिलाधिकारी को दिए लेकिन बी० डी० ओ० को उन्होंने (डी० एम० ने) सारे कागजात देकर उनको ठीक कराया जा रहा है ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बैतालपुर में टाऊन एरिया बनायी जानी चाहिये जिससे जनता को कुछ लाभ मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह किसान विरोधी बजट है ।

श्री मुरली धर मुनीम--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो सामान्य बजट की चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इस बजट में गरीबों, हरिजनों और सामान्य व्यक्तियों के राहत के लिये जो व्यवस्था की गयी है मैं उसका समर्थन करता हूं, यह सराहनीय कार्य है । मैं मान्यवर, गोंडा जिले के कटरा बाजार क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं । वहां की स्थिति को मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूं । मान्यवर, वहां यातायात की कोई सुविधा नहीं है, वहां एक पक्की सड़क है । पुलिया 1947 के बाद केवल एक बनायी गयी है और सारा यातायात अवरुद्ध हो जाता है ।

नोट--[× × ×] माननीय सदस्य द्वारा दुबारा भाषण दिए जाने के कारण श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुरलीधर मुनीम--]

मान्यवर, चिकित्सा में वहां की स्थिति काफी पिछड़ी है । हलधरमऊ और कटरा ब्लाक में जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 2 चिकित्सालय हैं । जो क्षेत्र के पूरब छोर पर हैं, पश्चिम छोर पर कोई सुविधा नहीं है । वहां महिला अस्पताल गोंडा में है जो कि हमारे क्षेत्र से 50 किलोमीटर दूर है जिससे स्त्रियों को वहां आने-जाने में काफी कठिनाई होती है और स्त्रियां रास्ते में ही मर जाती है । इसलिए हमारे क्षेत्र में महिला चिकित्सा की सुविधा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । इसके अलावा यदि सड़कों की ठीक व्यवस्था कर दी जाय तो और अच्छा रहेगा । जैसे करनैल गंज से हजूरपुर मार्ग जोड़ दिया जाय, करनैल गंज से गंगवल बाजार जोड़ दिया जाय, पोरटरगंज से भदुआ तरहर मार्ग को और कटरा बाजार से कटुवा नाला तक सड़क बना दी जाय तो यातायात के लिए सुविधा हो जायेगी । इसी प्रकार दुबहा घाट पर और चंदवतपुर घाट में पुल बना दिये जायं तो गोंडा से कटरा बाजार आने-जाने में लोगों को सुविधा होगी ।

मान्यवर, शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे क्षेत्र के हलधरमऊ ब्लाक में जूनियर हाई स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है जो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है । इसलिये वहां कम से कम 8 जूनियर हाई स्कूल और 2 राजकीय हाई स्कूल बनाने की कृपा की जाय ।

मान्यवर, ग्रामीण गोदाम विश्व बैंक योजना के द्वारा बनाई जा रही है मेरा सरकार से निवेदन है कि न्याय पंचायत के बीच में ग्रामीण गोदाम बनाये जाने के लिए निर्देशित करें ताकि जन समाज को सहकारिता विभाग के जरिये सुविधा मिल सके ।

सिंचाई के बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आठ नलकूप हैं जो अपर्याप्त हैं । हमारा क्षेत्र उपरहार और तरहार दो भागों में बंटा है । उपरहार में तो नलकूप लगे हैं लेकिन तरहार में कोई भी नलकूप नहीं है । सर्वे की जाती है लेकिन सर्वे के बाद भी कोई नलकूप वहां पर नहीं लगा है ।

श्री उपाध्यक्ष --

गोन्डा जिले के तरहार की बात कर रहे हैं ।...

एक सदस्य --

आगरे के निकट है ।

श्री मुरलीधर मुनीम --

आप अच्छी तरह से परिचित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष --

इसीलिए मैंने पूछा ।

श्री मुरलीधर मुनीम --

अभाग्य है गोन्डा जिला प्रदेश का यह ऐसा जिला है जो न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में और न दक्षिण में है, वह जिला त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है । बहुत से जिले पिछड़े क्षेत्र में लिये गये हैं लेकिन हमारे अभागे गोन्डा जिले का

नाम नहीं लिया गया । वह पिछड़े में आता है । पिछले 33 वर्ष से हम जहां थे वहीं आज भी हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि मान्यवर, इस पर आप विचार करें और वहां के रहने वालों को कम से कम यह तो अब महसूस हो जाय कि वास्तव में प्रजातंत्र है और हम लोग भी आजादी में रहने के हकदार हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दें ।

*श्री मुख्तार अनीस--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो वर्ष 1981-82 का बजट . . . माननीय मिश्रा जी आप कहां जा रहे हैं, . . . मान्यवर जो वर्ष 81-82 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं किन शब्दों में इसकी आलोचना करूं । मान्यवर, ऐसा बजट कभी भी शायद इस सदन के सम्मुख आया नहीं होगा । इसके अंदर महज कुछ विभागों के आंकड़े प्रस्तुत कर दिये गये हैं । इनकी उपलब्धता क्या रही है, यह अगले वर्ष करने क्या जा रहे हैं, इसकी कोई भी रूपरेखा इस बजट में नहीं है ? यहां पर वित्त मंत्री जी उपस्थित भी नहीं हैं और उनके जो आधे मंत्री हैं वह यहां पर मौजूद हैं । इस बजट के अंदर इस बात को स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश की 85 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है और 50 प्रतिशत कृषि से इनको रेवेन्यू मिलती है । तो मतलब कहने का यह है कि जो कृषि है वह उत्तर प्रदेश की रीढ़ है । उत्तर प्रदेश का विकास कृषि के ऊपर आधारित है । इसका मतलब यह हुआ कि जब हम ऐसा बजट बनाते जिस में कृषि को प्राथमिकता दें तब उत्तर प्रदेश का विकास संभव है क्योंकि 85 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है । अब हो क्या रहा है ? मान्यवर, जो आज छठी पंचवर्षीय योजना आ रही है इसके अंदर उत्तर प्रदेश में कृषि को कोई प्राथमिकता नहीं दी है । केवल कृषि के ऊपर एक हजार करोड़ रुपया व्यय करने जा रहे हैं । एक हजार करोड़ रुपये में 5-6 वर्षों के अंदर कृषि में क्या विकास होगा, यह देखने की बात है । किसान रैली हुई और किसान रैली के अंदर बहुत सा शोर था कि विकास के बारे में, कृषि के बारे में, प्रधान मंत्री कोई बात कहेंगे लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ भी होने जा रहा है और छठी पंचवर्षीय योजना में भी जो कुछ किसानों के लिये हुआ है वह भी ढाई-तीन साल की इस सरकार का नतीजा रहा है । उसी का प्रधान मंत्री ने बार-बार उल्लेख किया है । उन्होंने कहा है कि मैं यह करने जा रही हूं, मैं वह करने जा रही हूं, किन्तु कोई ठोस बात उन्होंने नहीं बतायी । आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि पर जोर दिया जाय और उससे सम्बन्धित जो भी चीजें हैं, लघु उद्योग हैं, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम हैं और उसके अन्तर्गत जो योजनायें हैं और जो दूसरी चीजें हैं उनके ऊपर हमको अपने बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा खर्च करना चाहिए और उसके बाद यह कोशिश करनी चाहिए कि गांव के अन्दर जो भूमिहीन लोग हैं उनको खास तौर से रोजगार दें । लेकिन यह नहीं दिया गया है । उनके लिये यह सरकार कुछ नहीं कर रही है । मैं निगमों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । ये जितने हमारे निगम हैं ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं ।

एक निगम है डेरी विकास निगम यह क्या है । दुग्ध विकास निगम के अन्दर प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये का घाटा है । मैंने इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री को पत्र लिखा लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है, वह गलत कहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुख्तार अनीस—]

मैंने उनको चुनौती दी है और कहा है कि आपके दुग्ध विकास निगम में 2 करोड़ रुपये का घाटा है। इस सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहूंगा। इन्होंने वर्ल्ड बैंक की सहायता से आपरेशन फ्लड स्कीम के तहत दो-दो डेरी फार्म बनाये, एक बनारस में और दूसरा मेरठ में। डेढ़ लाख लीटर की डेरी वह है जब कि आज उसके अन्दर 50 हजार लीटर भी दूध नहीं आ रहा है जब कि उसमें स्टाफ आदि डेढ़ लाख लीटर के लिये नियुक्त किया गया। यही स्थिति कानपुर की है और यही स्थिति लखनऊ की है। इनमें भी प्रतिदिन घाटा हो रहा है। ये किस तरह से घाटे को पूरा करते हैं, यह समझ में नहीं आता है। शासन से अनुदान लेकर पूरा करते हैं। इसके लिये आपको जांच बिठानी चाहिए, छंटनी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों भ्रष्टाचार होता है। शासन अपने बजट से उसको पैसा देता है और घाटा हो जाता है। इसी तरह से जल निगम है। उसमें भी घाटा हो रहा है जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें भी 1974-79 के बीच में इन्होंने 2924 करोड़ रुपया खर्च किया था और उसके बाद अब दूना कर दिया है। यानी वह 6200 करोड़ रुपया हो गया है जिसे वे 5वी पंचवर्षीय योजना में खर्च करेंगे। पांचवी योजना के अन्दर विकास दर 2.4 प्रतिशत थी और इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 0.5 प्रतिशत रही। तो जो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उससे शरह लगा करके छठी पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिये थी, यह नहीं कि एक योजना लम्बी-चौड़ी बन जाय। लेकिन मान्यवर, आज स्थिति क्या है उन्होंने 62 सौ करोड़ की योजना बना दिया लेकिन स्थिति क्या हो रही है कि योजना बनने के बावजूद भी किन-किन चीजों को प्राथमिकता देने जा रहे हैं, विद्युतीकरण में कितनी अनुशासनहीनता है किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है। पूरा प्रदेश अराजकता की स्थिति से गुजर रहा है। आपने योजना बना दी परन्तु उसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं इस पर कोई ध्यान नहीं है। आज योजनाओं के पालन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।

मान्यवर, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं, पैदल भी चलते हैं, कुछ नाटक भी करते हैं। मुख्य मंत्री जी को सुविधा है जब वे मुख्य मंत्री नहीं रह जायेंगे तो उनको एक बंगला मिलेगा रहने के लिये। उनको मालूम है कि वे शायद मई म हटने वाले हैं तो सरकारी खजाने से 20-22 लाख रुपया खर्च करके उनके लिये शानदार बंगला बनाने की घोषणा की गयी है। एक शानदार बंगला उनके लिये बनने जा रहा है, दीवारों की फैन्सिग हो रही है, कालीन आ रहा है तो इस तरह से 20-22 लाख रुपया खर्चा किया जा रहा है मुख्य मंत्री जी के लिये एक शानदार बंगला बनाने में। यह ठीक है कि प्रदेश के मुख्य मंत्री को रहने के लिये एक मकान मिलना चाहिये लेकिन मुख्य मंत्री अपने अधिकारों के द्वारा एक शानदार बंगला बनवायें, इसका कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर, मैं इसे भ्रष्टाचार मानता हूं। मान्यवर, आज जो प्रदेश में हो रहा है, अशान्ति की व्यवस्था जो व्याप्त है, इसके लिये सरकार दोषी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री मान बहादुर--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर मुख्य मंत्री जी न समय से बजट प्रस्तुत किया है, कोई कर नहीं लगाया है इसलिये वें धन्यवाद के पात्र हैं। यदि कर लगाया होता तो एक बात तो होती कि यदि खूब जम कर टैक्स लगाये जाते तो विरोधी पक्ष के लोगों के मुंह पर रौनक होती, वह रौनक देखने से हम लोग वंचित रह गये, इसके लिये हमलोगों को दुःख है। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और उद्योग का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन दोनों क्षेत्रों में प्रगति होती है तो प्रदेश की भी प्रगति होती है। जहां तक कृषि का सवाल है उसमें प्रगति असन्तोषजनक नहीं है। जो कमजोर क्षेत्र हैं जैसे दलहन और तिलहन इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनकी पैदावार बढ़ाने के लिये जो कदम उठाये जाते हैं उसमें नम्बर आफ लैन्ड फार्मिग के तीन क्षेत्र कृषि में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों क्षेत्रों की प्रगति की ओर भी सरकार ध्यान दे।

जहां तक प्रदेश में उद्योग की प्रगति का प्रश्न है उसकी पैदावार में कोई प्रगति नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, जो बात सही नहीं है उसे तो कहना ही पड़ेगा कि सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र के अन्दर 54 उद्योग इस प्रदेश में हैं 1979-80 में उनका घाटा 104.99 करोड़ था, विद्युत् परिषद् में घाटा 1.49 करोड़ इसी तरह से ट्रान्सपोर्ट में भी काफी घाटा है। इन सबको दूर करना है। इसके लिये कोई ठोस कदम उठाना चाहिये।

एक बात और है कि इस तरह के जो बजट भाषण हैं उसके पेज 7 पर कुछ भौतिक लक्ष्य इस तरह से किये गये हैं उसमें 4380 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है, 2735 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है, 37470 निजी पंम्पिग सेटों और नलकूपों के बनाने के लक्ष्य रखा गया है। सन् 1980-81 के बजट में इस तरीके का प्राविधान था और 2735 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था। जहां तक मेरी जानकारी है जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वह सिर्फ बजट में ही रह गये, उस पर काम पूरा नहीं हो पाया, यह बहुत गम्भीर बात है। सिर्फ बजट में प्राविधान करने से ही काम नहीं हो जाता, उसके क्रियान्वयन पर भी पूरा ध्यान सरकार को देना चाहिये।

मान्यवर, सड़कों पर पिछले साल बजट में 2650 किलोमीटर की योजना थी जिसमें 1850 किलोमीटर का लक्ष्य पूरा किया गया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि 2650 किलोमीटर में कौन-कौन जिलों में सड़कें बनाई गई क्योंकि जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आता हूं गोंडा जिले से, वहां कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, इसी तरह से गांवों में पीने के पानी की समस्या है। पिछले साल 1,500 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की बात थी और इस साल दो हजार गांवों की बात है। तो इस तरफ भी ध्यान देने की बात है कि यह किन गांवों में हो रहा है। जिन गावों का चुनाव हो उनका चुनाव निष्पक्षता से हो और उस जिले को पहले लिया जाय जो आज तक उपेक्षित रहे हैं। हमारा जिला गोंडा बहुत उपेक्षित रहा है न वहां पर सड़के हैं और न सिचाई के साधन हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मान बहादुर--]

वहां पर प्रति एकड़ उपज 2'85 क्विंटल है जब कि वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए सिंचाई के साधनों की तरफ ध्यान दिया जाय तो पैदावार बढ़ सकती है। (व्यवधान) बाढ़ की भी समस्या है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इस बार बजट में 144 तहसीलों में अधिकारियों के लिए आवास तथा कार्यालय भवन बनाने की बात है। मैं बलरामपुर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह 1953 से तहसील है लेकिन उसका अपना कोई भवन नहीं है। तो जब चुनाव होता है तो उसमें जो पुरानी तहसील हैं उनको पहले लिया जाना चाहिये जो 25 साल से तहसील हैं, जिसका कोई अपना भवन नहीं है, उनको छोड़कर नयी-नयी चुन ली जाती है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इन बातों का ध्यान रखे और कुछ न कुछ प्राविधान उसके लिए करे।

श्री ऊदल--

मान्यवर, सामान्य बजट के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों के विचार सुनने का अवसर मिला। अभी माननीय काशीनाथ जी बोल रहे थे, वह चले गये, उनका कहना था कि हमने प्राथमिकता के आधार पर योजनायें तय कर दी है। लेकिन इसे हमें किस कसौटी पर कसना है यह प्रश्न है। जैसा अभी माननीय सदस्य गोंडा कह रहे थे कि वह जो रुपया है उसको किस प्रकार खर्च किया जाना चाहिये। क्या जिस मद के लिए वह रुपया रखा गया था वह उसमें खर्च हुआ या नहीं? अगर उस मद में खर्च नहीं किया गया तो उसका दुरुपयोग हुआ। मैं समझता हूं कि रुपया रख देने से या बजट पास करा लेने से काफी नहीं है। श्रीमन्, बजट से प्रदेश की और जनता की तस्वीर झलकती है। सरकार की नीतियां क्या हैं, सरकार क्या करना चाहती है वह बजट में रहता है? इस बजट को देखने से मैं समझता हूं कि यह बजट उन बातों को नहीं दर्शाता है। यह जरूर है कि जो रुपया रखा गया है वह पिछले साल से ज्यादा है। इसको मैं मानकर चलता हूं लेकिन माननीय सदस्य और सरकार से पूछना चाहता हूं महंगाई जो बढ़ी है वह 1980 में किसी क्षेत्र में 35 प्रतिशत और किसी क्षेत्र में 65 प्रतिशत बढ़ी है। तो इसका असर भी हमारी योजनाओं पर पड़ेगा। अगर हम इस बात को देखते हैं तो उस दृष्टि से यह बजट उन योजनाओं को पूरा नहीं कर सकता है।

दूसरी बात यह कि क्या इससे हम रोजी-रोटी लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे? अगर बेकारी के आंकड़े हम देखें तो 1980 में बेकारी बढ़ी है। मैं कह सकता हूं कि यह बेकारी 1981 में बढ़ेगी क्योंकि इसको रोकने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हमारे देश की पूरी आबादी का 46 प्रतिशत भाग, जो है वह गरीबी की रेखा से नीचे है जिस पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उसको कम करने के लिए क्या यह बजट आज कुछ कारगर सिद्ध हो सकता है? इस दृष्टि से यदि हम देखें तो यह कारगर सिद्ध नहीं होगा। पिछले कार्यों का सही मूल्यांकन होना चाहिए, पिछले बजट का मूल्यांकन होना चाहिए। सरकार ने जिन कामों पर बजट को खर्च किया, उसमें देखना चाहिए कि वह रुपया खर्च हुआ या नहीं और योजनाओं के लिए जो लक्ष्य रखा था, उसकी प्राप्ति हुई या नहीं? यह भी देखना चाहिए कि यदि यह नहीं हुआ तो उसमें क्या-क्या खामियां थीं? इसको देखना आवश्यक है। इसको देखेंगे तो किसी भी योजना या कार्यक्रम में हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने निगम हैं, सबके बारे में आप उठाकर देख लें आय विद्युत् परिषद्, जल निगम या चीनी निगम किसी की बैलेंश-शीट को उठाकर देख लें। कुछ निगम अभी और बनेंगे क्योंकि त्रिवेणी राय जैसे लोगों को कहीं स्थान देना है जिनको अभी मंत्री पद नहीं मिला है। मैं इस चार्ज को बराबर दोहराऊंगा और जब तक इस सदन का सदस्य रहूंगा दोहराता रहूंगा कि यह सारे के सारे निगम भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। जल निगम के बारे में मैं कहना चाहता हूं, जितनी भी योजनाएं इसने बनाई हैं, क्या उनमें से किसी गांव तक शुद्ध जल पहुंच चुका है? केवल सारा कागजी तमाशा है, कागज पर सब है, लेकिन उसका जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। बरसों वर्ष से कहावत प्रचलित है कि प्लानिंग के तीन काम नक्शा मीटिंग और सलाम। बस यही इन सारे निगमों में हो रहा है, इसके सिवाय अन्य कोई जनहित का काम नहीं होता है। मिश्र जी ने सरकारी कर्मचारियों के बारे में बात कही, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आप महंगाई को रोक लें तो वह महंगाई भत्ता की मांग कैसे करेंगे। लेकिन यह सरकार अक्षम है, यह महंगाई रोक नहीं सकती है, जब तक इसकी बुनियादी ठीक नहीं होगी। आज जितने भ्रष्टाचार और कुकृत्य हो रहे हैं, उन सब की जड़ पूंजीवाद, पूंजीवादी व्यवस्था, व्यक्तिगत मुनाफा, भ्रष्टाचार, तस्करी और चोरबाजारी सब इसी आर्थिक व्यवस्था की देन है। जब तक पूंजीवाद पर चोट नहीं की जाएगी, तब तक कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप पूंजीवाद पर करारी चोट करने की बात सोचें। जब तक पूंजीवाद रहेगा, आप महंगाई नहीं रोक सकते हैं। इसका रोकना आपके वश में नहीं है। 65 फीसदी महंगाई इस साल बढ़ चुकी है और आगे और ज्यादा बढ़ने वाली है।

शिक्षा की बहुत दुर्दशा है और हो रही है। कहा गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी, वह समय पास हो गया, लेकिन हम इसमें सफल नहीं हुए हैं। हमारे संविधान ने जो निर्देश दिये थे, क्या उस लक्ष्य को हमने पूरा कर लिया है? आज बच्चों की भारी दुर्दशा हो रही है, वे घर से स्कूल में बैठने के लिए बोरा ले जाते हैं। स्कूल की ईमारत नहीं, बैठने का टाट पट्टी नहीं, अध्यापक के बैठने की कुर्सी नहीं और बच्चों के लिए किताब-पेंसिल नहीं, यही सरकार प्रगति का दावा करती है। जहां कुल 30 प्रतिशत शिक्षा हो, बालकों में 24 फीसदी और बालिकाओं में 12 प्रतिशत शिक्षा हो उस देश के लोग यदि समता और समाजवाद का दावा करें और यह कहें कि हम प्रगति के रास्ते पर हैं तो मैं कहता हूं कि इससे बड़ी निन्दनीय बात और कोई नहीं हो सकती। श्रीमन्, यह शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन की बात कहते हैं। आज नियोजन का युग है और क्या नियोजन के युग के अनुसार आपकी शिक्षा काम कर रही है? मैं चाहता हूं कि आपकी शिक्षा में मौलिक परिवर्तन हो, शिक्षा धर्म-निरपेक्षता की भावना से हो, देश भक्ति की भावना से हो। चरित्र की शिक्षा क्या है? आप समझते हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है।

श्रीमन्, कितने विभाग ऐसे हैं जो कि बेकार पड़े हुए हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सारे लोग खाली रहते हैं और उनके लिए करोड़ों, अरबों रुपया खर्च किया जाता है। करोड़ों रुपया ब्लाक के ऊपर खर्च होता है। जल निगम के ऊपर खर्च होता है। श्रीमन्, बड़ी हालत खराब है इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि यदि शान्ति और व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी देश और प्रदेश की तो डेवलपमेन्ट का काम भी नहीं होगा। आपको तो सरकार का साथ देना है लेकिन शान्ति और व्यवस्था की जो दुर्व्यवस्था है वह इतनी खराब है कि इससे पहले कभी भी नहीं थी। अभी कानपुर में 20-22 लोगों को दिन-दहाड़े नर-संहार कर दिया गया। अभी हाल की ही बात है एक गांव है पुजारी, थाना बड़ा गांव, वाराणसी के

[श्री ऊदल--]

शखापार 34 घरों को फूंक दिया गया, कई लोगों को मारा गया और लूटा गया। लाखों का नुकसान हो गया। आज पुलिस मनमानी कर रही है। हमारे क्षत्र में एक जगह है कालिका धाम में सेतु निगम वरुणा नदी में पुल बना रहा है उसे आधा बनाकर छोड़ दिया गया है। वह आज तक पूरा नहीं हुआ। बड़ा गांव से कुंडी कुरू वहां से एक सड़क जाती है उसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है। शासन ने उसको दबाकर रखा है और आज तक मंजूरी नहीं दी और कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। मैं इस बजट का विरोध करता हूं। यह बजट किसान विरोधी है।

*श्री पंचानन राय--

मान्यवर, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूं। 1967 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने बजट समय से प्रस्तुत किया है और उससे श्री ऊदल जी के उस सुझाव का स्वागत होता है तो उन्होंने कहा कि अगर बजट हम समय से पास करायेंगे तो निश्चित रूप से एक साल के अन्दर हम योजनाओं को पूरा कर सकेंगे। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। मान्यवर, यह बात सही है कि पिछले 2-3 वर्षों से जो विकास की गति मन्द पड़ रही थी उसको तेज करने का हमारी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है और उन योजनाओं को भी पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी योजनायें हैं विकास की, उनको वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों की तरफ मोड़ना चाहिए। कृषि के विकास की तरफ, ग्रामीण विकास की तरफ ध्यान दिया गया है लेकिन इसके बावजूद आज अनेक ऐसे पिछड़े हुए क्षत्र हैं जो आजादी के इन 33-34 वर्षों में भी जहां यह एहसास नहीं हो सका कि किस तरह का विकास हो रहा है।

मान्यवर, जहां से, मैं चुनकर आया हूं वहां पर एक मडुलागढ़वल बांध है। अगर उस बांध को पक्का करा दिया जाता है तो आवागमन के साधन उपलब्ध हो जाते और वहां के हजारों आदमियों को फायदा हो जाता। साथ ही बस्ती और गोरखपुर की दूरी भी कम हो जाती। लेकिन पिछली बार भी आश्वासन हुआ था लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे परिवहन मंत्री जी ने उस बंधे पर एक बस चलायी थी तो पहले ही दिन उसे देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए कि बस कैसी होती है। इस प्रदेश में जहां इतने पिछड़े इलाके हों कि लोगों ने बस भी न देखी हो उनकी भी आज उपेक्षा हो रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस इलाके की प्रगति के लिए शीघ्र ही उचित कदम उठाये।

इतना ही नहीं प्रति वर्ष वहां पर बाढ़ आती है और इस इलाके के लोगों को 2-3 महीने इसी बंधे पर अपना जीवन बिताना पड़ता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए विकास की योजना तुरन्त बनानी चाहिए। पिछली सरकार ने गांवों को ऊंचा करने की एक योजना बनायी थी जिसे कार्यान्वित नहीं किया गया नतीजा यह हुआ कि जब घाघरा में बाढ़ आयी हजारों गांव पानी में डूब गये। यदि हमारी सरकार उनको और किसी प्रकार की राहत नहीं दे सकती तो कम से कम उन गांवों को ऊंचा करने की योजना को ही लागू करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, वहां पर रौनापुर-लाटघाट एक सड़क है जिस पर कल्याणपुर के पास एक पुल बनना था। माननीय मंत्री ने उसका शिलान्यास भी किया और संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है लेकिन एक बजट तो पास भी हो गया न उसमें कोई जिक्र था और न इस वर्ष के बजट में इसके लिए कोई प्राविधान किया गया है। जहां पर इस प्रकार से सड़क बन गयी हो तो पुल के निर्माण को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।

यह भी नहीं होना चाहिए कि तमाम चीनी मिलें पश्चिमी इलाकों में लगाये जायं। हमारा पूर्वान्चल बहुत पिछड़ा हुआ है अगर उसकी ओर तुरन्त ध्यान न दिया गया तो स्थिति गम्भीर हो जायेगी। यों तो मैं इस बजट का स्वागत करता हूं लेकिन यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी अंचल में केवल घोसी में एक चीनी मिल लगाने का निर्णय लिया गया है। जिस प्रकार से पर्वतीय इलाका पिछड़ा हुआ है और जिसके लिए एक हिल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है उसी प्रकार से पूर्वांचल के पिछड़े इलाकों के त्वरित विकास के लिए एक बोर्ड अलग से विकास बोर्ड के नाम से बनाया जाय ताकि इस क्षेत्र का भी विकास हो सके।

जहां तक शिक्षा के क्षेत्र का सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि हमारे भाई ऊदल जी ने कहा कि हमारे संविधान में दिया हुआ है कि 1/4 वर्ष की आयु वाले बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा दी जाय। उसके लिए मेरा सुझाव है कि जो खर्चा हम प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं वह सब बेकार है उसे हमारी सरकार को प्राइमरी शिक्षा पर लगाना चाहिए। पब्लिसिटी के लिए हो सकता है लेकिन प्रदेश के विकास में प्रौढ़ शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। यदि हम 14 वर्ष वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे तो आने वाले वर्षों में निरक्षरता नहीं होगी। जिस देश में बच्चों को शिक्षा का समुचित प्रबन्ध न हो, देश उत्थान नहीं कर सकता है। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि प्रौढ़ शिक्षा के सारे कार्यक्रमों को तुरन्त बन्द कर देना चाहिए और उस पैसे को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा पर लगाना चाहिए।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, यह बात सही है कि हमारी पहली वाली सरकार ने कोई पावर प्लांट नहीं लगाया और नये-नये कनेक्शन दे दिए। वर्तमान सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जो भी बिजली उपलब्ध हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर किसानों को अपनी फसल के लिए देनी चाहिए। मैं जिस गांव से आता हूं वहां पर 15 दिन से बिजली नहीं पहुंची है। मैंने उसके लिए करीब एक दर्जन चिट्ठी लिखीं, वहां पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना भी दी, मगर एक ओर बिड़ला को, हिन्डलको को बिजली अधिक दी जा रही है, दूसरी ओर किसानों को बिजली मिल नहीं रही है। इस ओर अवश्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।

हमारे देश की शिक्षा हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा नहीं कर रही है। 33 वर्षों के बाद भी आज हमारे देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं, जनतंत्रीय मूल्यों पर चोट आ रही है और उनका ह्रास हो रहा है। समाजवादी समाज की रचना के लिए, धर्म निरपेक्ष समाज बनाने के लिए, जनतंत्रीय मूल्यों की रक्षा के लिये, यह आज आवश्यक हो गया है कि शिक्षा का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाये। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, आपने इस सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए जो मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस चर्चा में भाग लेते हुए कुछ हमारे माननीय साथियों ने यह बताया कि बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वह केवल

[श्री जयदीप सिंह--]

सरकारी आंकड़ों का पुलन्दा हीं होता, वह सरकार की नीतियों का द्योतक होता है। पर इस बजट को देखने से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पुराने मुर्दे को नये कफन में लपेट कर पेश कर दिया गया हो। अगर प्रदेश के पिछले इतिहास की ओर हम जायें तो विदित होगा कि 1952-53 में पर कैपिटा इन्कम प्रति व्यक्ति आय 259 रुपये थी और 1976-77 के आँकड़े के अनुसार 52.53 के स्थिर मूल्यों पर वह बढ़ कर 273 रुपये हो गई। यह रही आपकी प्रगति 16 अट्ठाइस वर्षों में प्रति व्यक्ति आये 14 रुपये बढ़ी है। इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 8 आने ही बढ़ी है। इस पर भी यह इस की डींग मारते हैं कि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है।

यही नहीं, मान्यवर, खाद्यान्न के क्षेत्र में भी हम कोई प्रगति नहीं कर पाये हैं। 1972 में जिसे कि आप खाद्य उत्पादन का स्वर्णकाल कहते थे, उस समय प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की खपत 172.1 किलोग्राम थी, 1976 में, इमरजेंसी के समय से जो फिर आपका स्वर्णकाल था, वह 166.7 किलोग्राम ही रह गयी। इसी तरह चीनी का उत्पादन भी घटता गया। प्रति व्यक्ति उसकी खपत 18.4 से घट कर 16.6 रह गयी। अगर कोई मरीज किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा है तो उसे वही दवा देने से कोई लाभ नहीं होता। दवा को बदल देना चाहिए। इसी तरह आपकी नीतियों से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो उन नीतियों को बदलना चाहिये यह समाज अब इन्तजार नहीं करेगा, अगर इसी तरह से यह सब चलता रहा तो जनता आपको ठुकरा देगी और मुझे तो भय है कि वह आपको ही नहीं ठुकरायेगी, बल्कि इस देश की जनतंत्रीय प्रणाली को भी हो सकता है इस देश की जनता ठुकरा दे। मान्यवर, रोज यह शासन डींग मारता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आज आप सब लोगों के मालूम है कि फूलन देवी के गैंग द्वारा 22 हत्यायें की गयी। इस प्रदेश में आपका इतना विस्तृत क्षेत्र पड़ा हुआ है जहां पर आपका कानून नहीं चलता है। जैसे आज से हजार, दो हजार वर्ष पहले जब कोई अनार्की फैली होती थी, जगह-जगह पर जो डाकुओं का गैंग था, वहां पर उनका अपना सिक्का जमा रहता था। यही स्थिति आज फिर प्रदेश में पैदा हो गयी है। आज आपको शर्म नहीं आती है, आप नारे देते हैं कि कानून और व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपने यह दावा किया कि 6 महीने या 8 महीने के अन्दर हमारी सरकार इस प्रदेश में कुशल और स्वच्छ प्रशासन देने में सफल रही है। मान्यवर, 3 महीने और 4 महीने में उन तथ्यों को आपने सामने नहीं आने दिया। मैं इस बात को मानता हूं कि आप इन सब बातों को छिपाने में बहुत कुशल हैं। मुरादाबाद की बात आई, उसमें आपने क्या किया? तो यह सब आपकी स्वच्छता है। जहाँ तक गतिशीलता की बात कही जाती है, आपने इतनी गतिशीलता अवश्य पैदा की है कि एक हरिजन की बारात जा रही थी, उसमें से कई हरिजनों को मकान में बन्द करके जिन्दा जला दिया गया और आप आज तक चुप बैठे हुए हैं। आज आप शाम को लखनऊ के स्टेशन पर जाइये, पंजाब मेल की छत पर चढ़ा हुआ यात्री कहां जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से 10 लाख व्यक्ति, वह पंजाब जाता है, वहां पर 10-15 रुपये रोज की मजदूरी पाता है और यहां आप एक एकड़ भूमि को उपजाऊ नहीं बना सकते हैं। इसीलिए 10 लाख व्यक्ति पंजाब जाते हैं। तो आप मनन करें कि आप अपनी जनशक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर पाये? जो हमारे प्रदेश के उत्पादन के श्रोत हैं, उनको विकसित करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके इन कोरे नारों से, इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। मान्यवर, आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं कि हम फैसला करके सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं। परन्तु बिलकुल इसके विपरीत कर रहे हैं।

जब इस प्रदेश में सूखे की जितनी भयंकर स्थिति थी जैसी कभी कई सौ वर्षों में नहीं आई । तो पिछली सरकार ने 34 हजार किलोमीटर सड़कें खाद्यान्न योजना में बनाईं । इस देश के सामने ऐसी बात कभी नहीं आई थी और खाद्यान्न योजना न चलाई गई होती तो लाखों लोग मर गए होते और इस प्रदेश में सूखे की स्थिति से अराजकता फैल गयी होती । आज जहां गांवों में 30 साल की आजादी के बाद भी लोग कमर भर पानी में चल कर जाया करते थे, उनके लिए सड़क बन गयी । आपका इरादा जो सिर्फ 1700 कि० मी० सड़कें बनाने का है, इससे इस देश और प्रदेश का भला होने वाला नहीं है । संजय गांधी की बहुत सी बातें होती हैं । हो सकता है विरोधी पक्ष के या किसी पक्ष के लोग उससे सहमत न हों, लेकिन वह यथार्थवादी थे । उनकी नीति से हो सकता है कि हम सहमत न हों, लेकिन वह यथार्थवादी अवश्य थे । मैं सत्ता पक्ष के युवा सदस्यों का आह्वान करता हूं कि वह अपनी सरकार पर दबाव डालकर ऐसी नीतियों को अपनायें जिससे इस प्रदेश की तरक्की हो और जिससे देश की जनता को राहत की सांस मिले । समाजवाद और पूंजीवाद के नारों में जाने से कुछ नहीं होगा । मान्यवर, कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में और आर्थिक उत्पादन के बारे में तथा इस प्रदेश के पिछड़ेपन के बारे में मैंने एक-दो शब्द आपके सामने रखे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, मैं एक मिनट में थोड़ा सा किसानों की जो समस्यायें हैं, उनके बारे में कह देना चाहता हूं । मान्यवर, अभी दिल्ली में रंगरेलियां मनायी जा रही थीं । वहीं पर अगर प्रदेश के काश्तकारों की समस्याओं के बारे में ध्यान दिया गया होता, तो उनसे किसानों का जो आपको समर्थन मिल सकता है, वह इस तरह की 10 रंगरेलियों के मनाने से भी नहीं मिल सकता । मान्यवर, मैं बरेली जिले से चुनकर आया हूं । मेरे जिले की बात है, 275 बसों, जिन्हें स्पेशल डीजल दिया गया था, में केवल 133 बसें पहुंची, दिल्ली, बाकी 30,000 लीटर डीजल उनके कार्यकर्त्ताओं ने पता नहीं क्या कर डाला । जिले की जनता एक-एक बूंद डीजल की तलाश कर रही है उसका गेहूं खेत में सूख रहा है और दो-दो दिन व रात वह लाइन लगाकर डीजल के लिए खड़ा रहता है लेकिन हमारी सरकार ने रंगरेलियां मनाने के लिये इस तरह से डीजल का अपव्यय किया । अगर उसी तरह से किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान दिया गया होता, तो उससे ज्यादा समर्थन सरकार को मिल सकता था ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण रखा है, उसके ऊपर सामान्य चर्चा पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, इस सामान्य चर्चा पर प्रकाश डालते हुये मुझे केवल इतना ही कहना है कि पूरे बजट भाषण को पढ़िये और देखिये तो यह पता चलता है कि 78-79 में जो पैदावार हुयी, वह 79-80 में घटी--वह चाहे चावल रहा हो, चाहे शक्कर रही हो, चाहे आलू रहा हो । कोई भी ऐसी चीज को ले लें । 78-79 और 79-80 में पैदावार घटी और उस काल में अपने आप उत्पादन घटता चला गया और

[श्री मुईद अहमद---]

जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयी, उसके आंकड़ों को देखिये, तो पता चलेगा कि उत्पादन बढ़ने लगा। वर्ष 80-81 में उत्पादन बढ़ने लगा। 80 में स्थिर हो गया। यह कोई वैसी बात नहीं। जिसको गोड़ी जैसी, वैसा ही प्रभाव होता है। सत्ता का, राजा का, शासक का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। तो अपने आप पैदावार बढ़ने लगी। वर्ष 78-79 में कृषि-औद्योगिक उत्पादन 30% कम हो गया। लेकिन धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ने लगा।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आप राजा की हैसियत में विश्वास रखते हैं ?

श्री मुईद अहमद---

मान्यवर, राजा का मतलब यहां, जो पार्टी शासन में है, उससे मतलब है। प्राचीन काल में सुना करते थे, जो राजा महाराजा होते थे, उनके क्रिया-कलापों का, कर्मों का असर प्रजा पर पड़ता था। उसी तरह से प्रजातंत्र में 65 करोड़ जनता जिस पर विश्वास करती है उसको हम शासक समझते हैं और उनके द्वारा जो शासन किया जाता है, उसका प्रभाव जनता पर पड़ता है।

मान्यवर, 80-81 में उत्पादन बढ़ने लगा। कोई चीज उठा लें। चालू वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्षों के मुकाबिले में सेंट-परसेंट बढ़ा। कृषि का औद्योगिक उत्पादन यह 44·81 के मुकाबिले में 86·00 लाख मैट्रिक टन बढ़ा है। इसी तरह से चावल गत वर्ष का उत्पादन 25·51 लाख मैट्रिक टन था और इस वर्ष 60 लाख मैट्रिक टन है। आलू 31·62 के मुकाबिले में 47·00 लाख मीट्रिक टन और तेलहन 9·59 के मुकाबिले में 15·00 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है, हरेक चीज को बजट भाषण के आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि किस तरह से उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। यह दिल को बहलाने की बात नहीं है।

मान्यवर, राज्य योजना आयोग के परामर्श से राज्य सरकार ने 80-81 में 9,661 करोड़ का प्राविधान छठी पंचवर्षीय योजना में किया और पहली बार 6200 करोड़ प्रदेश के लिये निश्चित किया गया जो प्रदेश की सबसे बड़ी योजना इस सरकार ने रखी। तो उपलब्धियों को देखने से लगता है कि जहां विकास कर रहे हैं, जहां उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जहां संगठित होकर देश और प्रदेश की उन्नति की बात कर रहे हैं, वहीं बगैर कर का बजट रखा गया है।

आपके कर्मों के कारण दो-ढाई साल में जो आपने किया उसके कारण कुछ मूल्य वृद्धि हुई है तो यह आवश्यक थी वह अवश्य भावी थी कि वह होती। हर चीज का कमी हो जायेगा, गन्ना नहीं पैदा करेंगे तो शक्कर का दाम अवश्य बढ़ेगा, यह अवश्यंभावी है। आपको उन परिस्थिति को देखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में यह हुआ है। आपको अपने में झांक कर देखना होगा। कानून व्यवस्था की बात कही गई। मैं कहता हूं कानून व्यवस्था में जो गड़बड़ी हुई है वह किस राजनीतिक द्वेष के कारण किन परिस्थितियों में कानून व्यवस्था में गिरावट आई है इसको आपको झांक कर देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या परिस्थितियां हैं? मैं कह रहा था कि इतना बड़ा आंकड़ा इस प्रदेश के लिये रखा गया है इसका इम्पलीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से होना है। यह बड़ी गम्भीर बात है इसका पालन ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से होगा। मैं कहता हूं कि यह आई० ए० एस० लोग इसका सही पालन नहीं होने देंगे और हमारे मंत्रि मंडल के सारे सदस्यों को सचेत होना चाहिये कि

इसको कैसे ब्यूरोक्रेसी के हाथों से निकालकर गरीब जनता तक पहुंचायें, किसानों तक पहुंचायें। हर चीज आई० ए० एस० के सुपुर्द कर दी जायेगी चाहे वह टेक्निकल बात हो, चाहे कारपोरेशन हो, चाहे पब्लिक सेक्टर की बात हो इनको अध्यक्ष और चेयरमैन बना दिया जाता है। मैं कहता हूं कि अगर इसमें जन प्रतिनिधियों का हाथ हो जन प्रतिनिधियों का शेयर हो एडमिनिस्ट्रेशन में तो उससे ज्यादा फायदा होगा। इससे हर क्षेत्र में मजदूर किसानों को राहत मिलेगी इसको देखना होगा। इसके साथ-साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि यह आई० ए० एस० लोग जो पिक्चर पहुंचाते हैं उसी को हम मान लेते हैं, उनको उलटने की क्षमता होनी चाहिये और सही पता लगाकर उसका इम्पलामेन्टेशन होना चाहिये।

इसके अलावा हमारा सुल्तानपुर जनपद पिछड़ा हुआ जनपद है। न यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है न पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है अवध का एक हिस्सा जरूर माना जाता है किन्तु न तो कभी अवध के नाम पर कोई आन्दोलन होता है और न कोई मांग होती है वह जनपद सबसे पिछड़ा हुआ है। सुल्तानपुर जनपद को गोमती क्रास करती है। वहां पर कुड़वार घाट है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जब श्री नारायण दत्त तिवारी जी यहां मुख्य मंत्री थे सन् 77 में फैजाबाद में कैबिनट की मीटिंग जो डिवीजन वाईज हुई थी घोषणा किया था कि कुड़वार घाट पर पुल बनाया जायेगा। किन्तु सत्ता बदल गई और वह खटाई में पड़ गया, वह निर्णय वह योजना खटाई में पड़ गयी। इस बार म समझ रहा था कि इस बजट भाषण में उक्त पुल के बनाने की बात जरूर होगी। मैंने बजट भाषण की किताब मिली तो सबसे पहले यह देखने की कोशिश की कुड़वार घाट के पुल को बनाने की बात आई है या नहीं। किन्तु इसमें पुल बनाने की बात नहीं आई यह शर्म की बात है मंत्रिमंडल के लिये कि इस बजट में कुड़वार घाट पर पुल बनाने की बात नहीं रखी गई। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि इसी साल इसी बजट में कुड़वार घाट पर पुल बनाने हेतु योजना बनाई जाय। इसके अतिरिक्त इस बजट भाषण में हर चीज विशेषतया ग्रामीणों के लिये, सिंचाई के लिये हर चीज ठीक है। किन्तु इसमें वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में एक बात मालूम हुई कि 20 प्रतिशत सीमेंट का कोटा डीलरों को दे दिया जायेगा और वह उसको बांटेंगे।

(समय 4 बजे अपराह्न)

इसमें मेरा सुझाव यह है कि या तो बिल्कुल फ्री कर दिया जाय या पूर्ण कन्ट्रोल कर दिया जाय। यह नहीं कि 20 प्रतिशत ब्लैक कर दें और 80 प्रतिशत में जिसका सोर्स हो वह पावे। इसके अलावा एक बात और सरकार से कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले कुछ जिलों को औद्योगीकरण के लिए लिया गया था कि उनका इण्डस्ट्रियलाइजेशन होगा। सुलतानपुर ऐसा जिला है जिसको बैकवर्ड माना गया था और यह कहा गया था कि इसको थोड़ी सी लैटीट्यूड दी जायेगी लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में इसकी घोषणा नहीं की गई जब कि यह संजय जी का जिला है। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री अकबाल हुसैन---

मान्यवर, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 1981-82 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैंने माननीय वित्त मन्त्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबाल हुसेन—]

जी के बजट भाषण को गौर से देखा और पढ़ा । इसमें जो बातें दर्शायी गयी हैं और जो योजनायें इस वर्ष के लिये वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उनमें मैं कुछ खास चीजों पर अपना मत व्यक्त करना चाहता हूं ।

यह प्रदेश जो हर वर्ष बाढ़ और सूखे से ग्रस्त होता है और पिछली वर्षा में इस प्रदेश के 46 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये थे और 290 करोड़ की क्षति हुई थी, इसकी पूर्ति के लिये 83 करोड़ की व्यवस्था की गई है । इससे स्पष्ट है कि इस सरकार ने उस को पूरा करने में 80 करोड़ की तो व्यवस्था की और 207 करोड़ का जो नुकसान गांवों में बसने वाले किसानों का हुआ उसकी पूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । इस तरह से जैसा कि आपने ही इस भाषण में दर्शाया है 1971–72 की गणना के अनुसार 172 लाख परिवार इस प्रदेश के खेती करके जीवित रहते हैं जिसमें 83 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है । मैं कहना चाहता हूं कि उन 83 लाख परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो बात कही है उसमें पूर्णतया सफल नहीं हो पा रहे हैं । आपने कहा कि ग्राम समाज की जमीनों के आवंटन कराया और आपने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि आवंटियों को कब्जा दिलाया जा रहा है । लेकिन इस बजट में जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें आपने स्वीकार किया है कि एक लाख आवंटियों को कब्जा नहीं दिला पाये हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गरीब, असहाय, हरिजनों को भूमि आवंटन से सहायता करने की बात कही है तो कम से कम उनको कब्जा दिलाने का संकल्प आप को लेना चाहिये था कि इस बजट में कब्जा दिलाया जायेगा ।

छठी पंच वर्षीय योजना की बात जो हमारे भाई, मुईद अहमद साहब कह रहे थे, 961 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । पिछले वर्ष 1980–81 के लिए 933.83 करोड़ की व्यवस्था थी योजनाओं के लिए। इस वर्ष 1981–82 के लिये आपने 1075 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । मान्यवर, जिस मन्द गति से आप चलना चाहते हैं, पिछले वर्ष जो आपने खर्च किया था और इस वर्ष जो आप खर्च कर रहे हैं, उसमें मात्र 142 करोड़ रुपये की वृद्धि है । 142 करोड़ रुपये की वृद्धि, इतने बड़े प्रदेश के लिये, जिसमें 11 करोड़ लोग रहते हैं, उनके विकास की बात आप कर रहे हैं, मात्र 142 करोड़ रुपये की वृद्धि से जो यह आपने रूपरेखा प्रस्तुत की उससे इस प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है ।

आप सड़कों के निर्माण की बात कह रहे थे । जबसे इस सरकार ने सत्ता सम्भाली है, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की बात आप हर अपने भाषण में कहते हैं, वह चाहे महामहिम राज्यपाल का भाषण हो या वित्त मन्त्री का भाषण हो या माननीय मुख्य मन्त्री ने जब बजट प्रस्तुत किया था, उनका भाषण हो, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिये आपने प्रयास करने का वादा किया था और ठोस कदम उठाने का वादा किया था । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों की जो आप बुराइयां करते हैं, पिछली सरकारों ने एक वर्ष के अन्दर 3200 कि0 मी0 सड़क बनायी थी, आपने उनको पक्का करने का वादा किया था । पिछले साल आपने 3290 कि0 मी0 सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा था, जब कि इस वर्ष बजट में मात्र 1800 कि0 मी0 सड़कों को आप बनाने जा रहे हैं । इस प्रदेश में जो आने वाला विकास है, जो प्रगट होगा, वह इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से जाहिर है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है और जिससे इस प्रदेश की रूपरेखा इस बजट में नजर आ रही है, उससे इस प्रदेश के विकास पर एक धूमिल सा पर्दा पड़ता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जो हमारी ग्रामीण रोजगार योजना है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो दैवी आपदा आयी और इससे पहले खाद्यान्न योजना की बात करके पिछली सरकार ने मार्ग दर्शन किया था और उस योजना को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और स्वीकार किया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन 46 जिलों में बाढ़ ने ज्यादा तबाही ढायी थी, जनपद गोंडा की तहसील बलरामपुर के गैंसड़ी में, जहां का मैं रहने वाला हूं, और उससे लगा हुआ क्षेत्र डुमरियगंज है, वहां पर राप्ती नदी से आयी हुई बाढ़ ने कहर ढाया, वहां के लिये आपने क्या किया? उससे पहले वहां पर सूखा पड़ा हुआ था। एक दैवी आपदा और आयी, ओलों से फसल बरबाद हो गयी। मान्यवर, अब 3 फसलें वहां पर नष्ट हो चुकी हैं, बराबर 3 साल से फसलें वहां पर नष्ट हो रही हैं। वहां पर ऐसे लाखों की संख्या में लोग हैं, जिनकी पूरी की पूरी फसल समाप्त हो गयी है। इलाकों में भुखमरी फैली हुई है। माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी मैंने कहा था। मेरा आपसे अनुरोध है कि ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वहां पर खाद्यान्न की व्यवस्था करा दें फौरन। उन लोगों को कोई न कोई काम दिला दें। मैं गया था समताकसेर गांव में जहां की पूरी की पूरी जनता असहाय दिखी। उनका यह कहना था कि कोई काम दिला दें, जिसमें काम के बदले कुछ अनाज मिल जाय और वे लोग अपने पेट भर सकें। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि यह थोड़ी सी व्यवस्था करा दें ताकि जो लोग भूखों मर रहे हैं ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत उनको थोड़ा बहुत काम मिल सके। थोड़ा सा जिक्र में शिक्षा के बारे में करना चाहूंगा। बेसिक शिक्षा का जो काम जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया गया है उससे शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। लिहाजा पहले की तरह यह कार्य जिला परिषदों को ही सौंप दिया जाय अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी इसे सुचारु रूप से नहीं चला सकते हैं। इसी तरह से प्राइमरी शिक्षा में चयन समिति होती है। 50 नम्बर इन्टरव्यू के लिये रखे जाते हैं। जनपद गोंडा में चयन हुआ और जो आंकड़ों के हिसाब से प्रथम नम्बर पर था उसका चयन न हो कर जो सातवें नम्बर पर था उसका चयन किया गया। यह जो खराब व्यवस्था चयन की है इसमें सुधार होना चाहिये। इसी तरह से जहाँ तक प्रति व्यक्ति आय का सवाल है जनपद गोंडा बहुत पिछड़ा हुआ है और जो सात जिले पिछड़े हुए घोषित किये गये हैं उनमें जनपद गोंडा को सम्मिलित नहीं किया गया है। यह हमारे साथ अन्याय किया गया है। मेरा अनुरोध है कि औद्योगिक तथा कृषि की दृष्टि से जनपद गोंडा को पिछड़ा हुआ घोषित किया जाय।

श्री महेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं बजट अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहली बार समय से यह बजट आया है। इससे सरकार की नीयत और हमारे मुख्य मन्त्री का तरीका साफ जाहिर है कि आगे से हम लोग तरक्की का रास्ता तेजी से अपनायेंगे। मैं एक सार्वजनिक समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सार्वजनिक उपयोग की भूमि पट्टों पर दी गयी थी उन पट्टों को समाप्त कर दिया गया था जनता सरकार के समय में जिससे गरीबों का बड़ा उत्पीड़न हुआ उस उत्पीड़न को समाप्त करने के लिये इस बजट में बहुत अच्छा कदम

[श्री महेश चन्द्र--]

उठाया गया है कि गरीब लोगों को आवंटन किया जायगा उस सार्वजनिक उपयोग की भूमि का । इसके साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि जिन पट्टों पर मुकदमा चला कर कमिश्नर या अन्य किसी आफिस के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और उन पर से कब्जा छीन लिया गया था उसके लिये सरकार को उपयुक्त कदम उठाना चाहिये ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि स्वास्थ्य के बजट में लिखा गया है कि पी0 जी0 आई0 खोली जायगी जिससे प्रदेश की चिकित्सा के सम्बन्ध में नई दिशा मिलेगी और स्वास्थ्य का काम इस नई दिशा से आगे बढ़ेगा । लेकिन इसमें एक दोष है जिनके हाथ में यह काम सौंपा गया है वे इसके लिए उपर्युक्त नहीं हैं । पी0 जी0 आई0 में मेरा सुझाव है कि देश में जो आय स्थानों पर मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाय हैं उनसे ही एक्सपर्टस लिए जायं और उन विशेषज्ञों की राय से इसकी दिशा निर्धारित की जाय । जिससे कि यह एक अच्छा रूप धारण कर सके और आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एवं पी0 जी0 आई0 चंडीगढ़ से अच्छा हमारा पी0 जी0 आई0 बन सके । बड़े डाक्टर जो हैं उनका इन पर अधिपत्य छा जाने से यह संस्थान प्राइवेट प्रेक्टिस के संस्थान बन गये हैं जिसको रोकने के लिए हमारे मंत्री ने विशेष कदम उठाये हैं और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई है जिससे गरीबों को राहत मिली है ।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूं । हमारे मेरठ में इस समय एक महीने से हाईकोर्ट की बेंच को लेकर एक हड़ताल चल रही है और सामूहिक रूप से इसे विरोध पक्ष या सत्ता पक्ष के लोग समर्थन कर रहे हैं कि हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में खोली जाय । लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है और हमारा काफी रुपया यात्रा व्यय में बेकार में खर्च हो रहा है जिसकी सीमा नहीं है और गरीब किसान उसको नहीं दे पा रहा है । मेरठ डिवीजन से इलाहाबाद 637 किलो मीटर, देहरादून से 819 कि0 मी0, चमोली से 980 कि0 मी0, टेहरी-गढ़वाल से 754 कि0 मी0 इलाहाबाद पड़ता है । इस तरह इतनी दूरी तय करने के बाद हाई कोर्ट में जाना पड़ता है । जबकि न्याय सस्ता करने की शासन की नीति है और विकेन्द्रीकरण की शासन की नीति है, तो फिर ऐसा कौन कारण है कि हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में नहीं खोली जा सकती है । यह मेरठ जिले की और पश्चिमी क्षेत्र की आवश्यकता है जिसको अधिक समय तक झुठलाया नहीं जा सकता है । इसलिए इस प्रशासन को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये और गरीबों एवं किसानों को राहत पहुंचाना चाहिये ।

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य किसान रैली के संबंध में कह रहे थे कि उससे किसानों को क्या मिला । मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि किसानों को फसल बीमा की सुविधा मिलने जा रही है जो किसानों को सबसे बड़ी उपलब्धि होगी । जनता सरकार के समय में गन्ने का भाव 2 रुपये से 3 रुपये क्विंटल रहा जिससे किसानों की बरबादी हुई लेकिन हमारी सरकार ने गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य 23 रुपये क्विंटल दिया जिससे उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया है और इसी तरह हमारी सरकार आगे किसानों को अच्छा भाव 30 रुपये क्विंटल देगी । इससे मैं समझता हूं कि जनता सरकार के लोग किसानों की हमदर्दी नहीं करेंगे और जब कभी किसानों की हमदर्दी किया है तो वह इंदिरा गांधी ने किया है । 8 रुपये से 13 रुपये गन्ने का भाव इंदिरा गांधी ने ही किया था और

चौधरी चरण सिंह के समय में किसानों को पीछे ढकेला गया जिससे उनको सबक मिला कि उनके साथ रहने से उनका घाटा है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन अधिक है इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मालिकपुर, गांव में, जो कि हमारे क्षेत्र के पास में है वहां बंजर भूमि पड़ी है, वहां प्रस्ताव हो चुका है और अनेकों बार मांग दुहराई गयी है कि वहां एक मिल मालिकपुर में लगायी जाय। चीनी की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि हमारे क्षेत्र में मालिकपुर में एक गन्ना मिल दी जाय।

मान्यवर, अब मैं ग्राम्य विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गरीब हरिजनों को पिछले समय में गोबर गैस प्लानट दिये गये। जिससे बी0 डी0 ओ0 ने इनाम हासिल किया लेकिन आज किसान गांव में नहीं है तहसीलदार उनको गिरफ्तार करने के लिए घूम रहा है क्योंकि किसानों को कर्जे पर गोबर गैस प्लानट दिये गये थे किन्तु आज उनका लोहा गल गया है। मान्यवर, उस समय बी0 डी0 ओ0 ने अपनी प्राइज प्राप्त करने के लिए गरीब हरिजनों को समझाया कि गोबर गैस प्लान्ट लगाने से तुम्हें 20 कट्टे यूरिया प्राप्त होगा और इस यूरिया को वह किसानों को बेचा करेगा, इसलिए उनकी बातों में आकर बेचारे गरीब हरिजनों न गोबर गैस प्लान्ट लगाये। परन्तु इस तरीके से हरिजन ऋणी हो गया और आज तक उस कर्ज के भार से मुक्त नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से हरिजनों को जो कर्जा दिया गया उसको सरकार माफ करे। जिस तरह से असामी पट्टे देने की बात कही गयी है इसी तरह से हरिजनों के कर्ज को भी समाप्त किया जाय।

सबसे प्रमुख बात मैं अपने क्षेत्र की मांग को रखना चाहता हूं अपने क्षेत्र बागपत की। बागपत में एक पुल निर्माण का प्रस्ताव था परन्तु पता नहीं किस दबाव के कारण उसे 10 किलो मीटर आगे ले गये हैं। मान्यवर, बड़े अफसोस का विषय था कि एक कस्बा जिसमें हमारी चार मन्डियों का विकास होने जा रहा है उसको रोक दिया गया और उसे आगे बढ़ा दिया गया। अब इसमें किसानों की कीमती भूमि लेनी पड़ेगी और साथ ही उस पुल की कोई उपयोगिता भी नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं कि बागपत में प्रस्तावित पुल बने परन्तु उसमें रुकावट है। उस समय जो एडीशनल चीफ इंजीनियर थे वे आज चीफ इंजीनियर हैं। वह सब अधिकारी जिन्होंने वहां पुल बनाने का फैसला लिया था वह सब ऊंची-ऊंची पोस्ट पर पहुंच गये हैं, वह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं है। सरकार के लोग जानते हैं, जन प्रतिनिधि जानता है कि वहां पर पुल की कितनी आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया, अब आप बैठें।

श्री महेश चन्द्र--

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस सामान्य बजट का समर्थन करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने सामान्य बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, प्रदेश का वर्तमान बजट रखा गया माननीय वित्त मन्त्री जी के द्वारा यह बजट परम्परावादी बजट तथा पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक है, देहातियों तथा किसानों का विरोधी बजट है

[श्री किरन पाल सिंह—]

मान्यवर, यह बजट लक्ष्य विहीन बजट है और इसमें अनेकों विसंगतियां तथा विरोधाभास मौजूद हैं। इन विसंगतियों एवं विरोधाभासों से बजट अनुमानों की व्यवहारिकता तथा यथार्थितता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए मान्यवर, बजट में सरकार ने 1980–85 के लिए 9661 करोड़ रु0 की धनराशि की योजना प्रस्तावित की थी लेकिन केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ 6,200 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सूबे के लिए जो उसमें से 3,461 करोड़ रुपये की धनराशि पूर्व निश्चित से कम कर दी गयी। फिर भी हमारे सूबे की सरकार दावा करती है कि हम तमाम लक्ष्यों को पूरा करेंगे, कौन सा चमत्कार करेंगे ? पता नहीं फिर भी कहते हैं हमारे वित्त मन्त्री जी कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। हमारे वित्त मन्त्री ने दावा किया है कि इस सूबे के बजट में देश की सबसे बड़ी योजना है। वर्तमान समय में देश के सारे सूबों में हमारे प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। हमारे सूबे से हर एक सूबा छोटा है। जनसंख्या के अनुपात से परियोजना का अनुपात कम बैठेगा।

(इस समय 4 बज कर 23 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, वित्त मन्त्री जी ने सन् 1978–83 की योजना जो 4,800 करोड़ की थी उससे मौजूदा योजना को 6,200 करोड़ देकर 30 प्रतिशत इससे अधिक देने का दावा किया है लेकिन मान्यवर, इस बढ़ती हुई मंहगाई में ऐसा दावा करना जनता को गुमराह करना है। मान्यवर, वित्त मन्त्री जी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इसको हम अपने वर्तमान क्षमता की पूर्ण उपयोगिता से व्यय में मितव्ययिता से सार्वजनिक उपक्रमों के कुशल निर्देशन और प्रबन्ध के द्वारा इसको हम पूरा करेंगे लेकिन मान्यवर, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इनके व्यय में मितव्ययिता कैसी है आप अभी देखें कि 16 तारीख को दिल्ली में एक किसान रैली आयोजित की गयी थी। उसमें सरकारी साधनों का कितना दुरुपयोग किया गया। इसमें करोड़ों रुपया सरकार की ओर से लगा। अभी माननीय काशी नाथ मिश्रा जी ने कहा अपने भाषण में कि किसान अपनी मर्जी से उसमें शामिल होने गये थे इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं था। किसान अपनी मरजी से गये थे। लेकिन मेरा दावा है उनकी चुनौती झूठी है क्योंकि हर जिला स्तर पर सरकार के बायरलैस गये थे कि किसी भी पेट्रोल पम्प पर डिजिल और पेट्रोल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी गाड़ियों को दो सौ लीटर डिजिल मुफ्त दिया गया। रुपये भी दिये गये। भाड़े में लोगों को ले जाया गया। कोढ़ी तथा अन्य प्रकार के रोग से पीड़ित लोगों को रुपया दे कर ले जाया गया। इस सरकार की व्यय की मितव्ययिता में कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सवाल है यह सभी को विदित है कि हमारे देश और प्रदेश के सभी सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। करोड़ों का घाटा है। इसकी वजह से भी इनका दावा खोखला नजर आता है।

जहां तक इस धन के सदुपयोग का सवाल है उसमें भी मुझे संशय है क्योंकि इस सरकार के टाइम में भ्रष्टाचार इतना अधिक पनप रहा है। मैं अपने यहां की बात बताता हूं। हमारे जनपद में औरंगाबाद थाना है। उसके एस० ओ० का दो बार तबादला हो गया। एस० ओ० वहां के कांग्रेस (आई) के एम० एल० ए० को महीना बंधा देते हैं। वहां के एम० एल० ए० ने उसको

छूट दे दी है । मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप से उसका दो बार तबादला रुकवा दिया गया जबकि उसका ट्रान्सफर लखनऊ के लिए हो गया था । इस में एक और अफसोस की बात यह है कि दरोगा के तबादले को रुकवाने के उपलक्ष्य में यहां दारुलसफा के बी ब्लाक में वहां के कांग्रेस आई के एम० एल० ए० ने दावत दी जिसमें मुख्य मंत्री, कांग्रेस के सब पदाधिकारी, इन्वाइट किये गये जिस के होस्ट दरोगा थे । हमारे यहां के मंत्री हैं हरि सिंह बाल्मीकि । इन के राजनीतिक द्वेषता का उदाहरण देना चाहता हूं । यह पहले विद्युत मंत्री भी थे । जब हमारे यहां बिजली का घोर संकट चल रहा था इन्होंने अपने क्षेत्र जेवर में 18 घंटे बिजली दी जब कि उस क्षेत्र में जहां से लोकदल का उम्मीदवार जीता था वहां 15 दिन तक बिजली नहीं गयी । मैंने अपने आंखों से देखा कि इन क्षेत्रों में किसानों ने हरे धान को काट कर चारे के रूप में जानवरों को खिलाया । जब इन मंत्री को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया तो वहां पर इनके एक खास आदमी ने, जो वहां पर एडवोकेट है, वहां एक डाक्टर को उसके घर पर पीटा, जूतों से पीटा । इसके विरोध में वहां के डाक्टरों ने हड़ताल कर दी । मंत्री जी को मालूम हुआ तो बुलन्दशहर टूर में आये । डाक्टरों को डाक बंगले में बुला कर कहा कि हड़ताल वापस लो वरना भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा । डाक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली । डाक्टरों के बारे में और भी कहना है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री लोक पति त्रिपाठी जी अपनी लाबी मजबूत करने के लिए जो भी इन से उल्टे सीधे आदेश कराना चाहते हैं डाक्टरों के तबादले के बाबत यह कर देते हैं । हमारे यहां अक्तूबर के महीने में पूरे दस मेडिकल आफिसरों का तबादला किया गया । यह झूठे आरोप पर किया गया कि एक कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता ने कांग्रेस आई की छवि धूमिल होने की शिकायत की थी इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं । मैंने 301 में भी सूचना दी थी । हमारे जिले में अगरुई थाना सुजदिहात में एक आदमी का कत्ल हुआ है उदय वीर सिंह का । उसके कातिल पुलिस के संरक्षण में खुले आम घूम रहे हैं । 14 तारीख को कत्ल हुआ । कोई एफ० आई० आर० नहीं है । कातिलों ने चेलेन्ज किया है कि कोई कार्यवाही की गई तो हम तुम्हारी लड़की को उठा ले जायेंगे ।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं शिक्षा के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । इस बजट में शिक्षा को एक तरह से दूसरा दर्जा समझा गया है । सरकार तीन साल की डिग्री कोर्स की बात करती है लेकिन मान्यवर, शर्म की बात यह है कि हमारे बच्चे जो देश के कल के नागरिक हैं स्कूल में टाट पट्टी लेकर जाते हैं, टूटे भवनों में पढ़ते हैं जब कि हमारे ही देश में नाच-गाने रंग का, शराब का दौर संगमरमर के महलों में चलता है । इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा । हमारे बिजली मंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने खोखला दावा किया है कि पिछले दिनों हमारे सूबे में 1485 मेगावाट का रिकार्ड तापीय उत्पादन हुआ है जबकि आज भी बिजली की कटौती चल रही है । खेतों में पानी नहीं जा रहा है और कहते हैं कि रिकार्ड बिजली का उत्पादन हुआ है । तो इस तरह से झूठे दावे को कैसे विश्वास में लिया जा सकता है । 97.46 करोड़ का बजट में घाटा दिखाया है और कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में दक्षता व व्यय में मितव्ययिता लाकर हम इस घाटे को पूरा करेंगे । यह बजट कर विहीन तो है लेकिन अगला बजट जो होगा वह इससे ज्यादा घाटे का होगा । इसके लागू होने से हमारे लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी । इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री अबुल कलाम--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह कहने की जरूरत नहीं है कि जिस समय प्रदेश का शासन-सूत्र हमारे हाथों में आया है उस समय ढाई साल के कार्यकाल में जनता सरकार ने सब कुछ खतम कर दिया था जो कि पिछले तीस वर्षों में कांग्रेस ने इकट्ठा किया था। मान्यवर, पूरे प्रदेश में दंगे, फसाद, तनाव और अशांति का माहौल बन चुका था। लखनऊ में भी कभी शांति नहीं रही। इतना ही नहीं, इन दंगों को दबाने के लिये जनता सरकार ने जो रुख अख्तियार किया था वह एक निरंकुश शासन से कम नहीं था। मान्यवर, पंतनगर की मिसाल आपके सामने है। जहां गोलियों से भून कर लाशों के ऊपर रोलर चलाया गया था और उस समय सत्ता दल के सदस्यों ने तत्कालीन मुख्य मंत्री से इसी सदन में इस्तीफे की मांग की थी। लेकिन मैं अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुरादाबाद कांड के मौके पर स्वयं इस्तीफा दे दिया था और अपने नैतिकता का कितना ऊंचा उदाहरण पेश किया था। जो बजट पेश हुआ है उसके लिये मैं मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने कठिन आर्थिक परिस्थिति में कोई नया टैक्स नहीं लगाया और विकास कार्य पर भी नजर है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रशासन की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि सतर्कता और मुख्य मंत्री जी की कड़ी निगरानी के बावजूद भी कुछ खामियां हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों, में विद्युत् सप्लाई की समस्या। मान्यवर, मैं आजमगढ़ के सिलसिले में बता रहा हूं कि जबकि सरकार की तरफ से यह ऐलान किया जा रहा है कि किसानों को सिंचाई के लिये 8 से 6 घन्टे तक बिजली दी जायेगी। मेरे क्षेत्र में 5-5 दिन तक किसानों को बिजली नहीं मिली है और जो मिलती भी है तो वह अनिश्चित समय से मिलती है रात में मिलती है। मैं चाहूंगा कि विद्युत् मंत्री जी इस पर विचार करें और किसानों को निश्चित समय से दिन में बिजली देने की व्यवस्था करें।

इसी तरह से पुलिस प्रशासन है जो कि जनता सरकार के ही जमाने से बिगड़ा हुआ है। उस पर भी सख्ती बरतने की जरूरत है। भूमि आवंटन का कार्य-क्रम जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारी पिछली सरकार ने चलाया था जो जनता सरकार के समय में बिलकुल ठप हो गया था और अब पुनः इस सरकार ने चलाया है उसमें भी अधिकारियों की गड़बड़ी और लापरवाही की वजह से अनियमिततायें हैं। हमारे यहां परगना अधिकारी और तहसीलदार अनेकों अनियमिततायें बरत रहे हैं। गरीब हरिजनों को जमीन नहीं मिल पा रही है और जहां मिली भी है वहां उनको कब्जा नहीं मिल पा रहा है।

इसके सम्बन्ध में मैंने सरकार को लिखा और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिख कर दे चुका हूं अगर इसकी जांच कराई जाय तो सारी चीजें सामने आ जायेंगी। इसी तरह पूर्वी जिलों में आजमगढ़ में खाद की बहुत कमी रही है। जितनी खाद मिलनी चाहिये और जितना वहां के लिए कोटा रखा गया था वह पूरा नहीं दिया गया है इसकी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। आजमगढ़ जिला ही ऐसा है जहां खेती के अलावा कोई दूसरा सहारा लोगों को नहीं है।

इसी तरह से प्राइमरी स्कूलों का मसला है बहुत निम्नस्तर के कर्मचारियों के हाथों में जिला परिषदों से यह काम लेकर दे दिया गया है जिससे शिक्षा का स्तर नहीं उठ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको पुनः जिलापरिषदों को दे दिया जाय ताकि ठीक से शिक्षा का काम चल सके।

हमारे यहां सड़कों की बहुत कमी है । यहां पर सड़कों का बहुत कम काम हुआ है । खानजहांपुर से हेवती होते हुए एक सड़क सुम्भाडीह तक जाती है उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसी तरह से पवई जलालपुर मार्ग है इसका काम भी पूरा नहीं हुआ है । इसम एक पुल की जरूरत है सड़क बन गयी है जो बेकार पड़ी है इसलिए पहाड़पुर में एक पुल बनाया जाय ताकि वह सड़क काम आ सके । हमारे क्षेत्र से जिला स्तर तक जाने के लिए बसों की सुविधा नहीं है इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

औद्योगीकरण में भी आजमगढ़ को मौका मिलना चाहिये उसके साथ अभी तक नाइंसाफी की गयी है । बाढ़ के सम्बन्ध में भी सरकार ने राहत कार्य के लिए सहायता का प्राविधान किया है । मैं चाहूंगा कि मुझुई नदी, कुवर नदी और टौंस नदी के किनारे जो गांव हैं उनकी जांच कराई जाय वहां पर रहने वाले गरीबों को 25 फीसदी भी सहायता नहीं दी गयी है जो कि कागज में दिखाई गयी है ।

वितरण प्रणाली में भी अनेकों गड़बड़ियां हैं । 6 महीनों से हमारे क्षेत्र में किसी को मिट्टी का तेल नहीं मिल सका है । मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार किया जाय और सरकार को इस पर सतर्कता बरतनी चाहिये । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो व्यवस्था की गयी है उस पर तेजी के साथ अमल किया जाय ताकि गरीबों को सुविधा मिल सके । मैं इस आदर्श बजट का तहे दिल से समर्थन करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देता हूं ।

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को एक सूचना देनी है । यह चर्चा अब अगले दिन जारी रहेगी । आप कार्यमंत्रणा समिति का निर्णय सुन लें । कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 1981 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा के 20 फरवरी से 23 फरवरी, 1981 के उपवेशनों में निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कार्य हो :—

1981 फरवरी				
20	शुक्रवार	(1) अपराह्न बजे तक	5	वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
		(2) अपराह्न बजे से	5	वित्तीय वर्ष 1981–82 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका कारण ।
21	शनिवार	बैठक नहीं होगी ।		
22	रविवार			

[श्री अध्यक्ष--]

23	सोमवार	(1) अपराह्न 4 बजे तक		चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर मतदान।
		(2 अपराह्न 4 बजे से 6 बजे तक		हाल ही में कानपुर जिले के ग्राम बेहमई में डाकुओं द्वारा कई व्यक्तियों की हत्या तथा लूट के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य तथा उस पर चर्चा।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(समय 4 बजकर 43 मिनट)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 की 9 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री रियासत हुसैन व मोहन सिंह की सूचना 15 फरवरी, 1981 को कानपुर जिले के बेहमई ग्राम में डाकुओं द्वारा 25 व्यक्तियों की दिन दहाड़े हत्या तथा 15 लाख की लूट के सम्बन्ध में है, जिस पर वक्तव्य और चर्चा दोनों स्वीकार हुई हैं। शेष सूचनायें अस्वीकृत हुयी।

रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, रामपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं पुलिस द्वारा मजदूरों व उनकी स्त्रियों की पिटाई तथा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)--

मान्यवर, मेसर्स रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, रामपुर एक कम्पोजिट सूती मिल है, जिसमें लगभग 2,336 कर्मचारी नियोजित हैं। इसी की एक शाखा मेसर्स ज्वाला फैब्रिक्स है, जिसमें 118 श्रमिक नियोजित हैं। प्रतिष्ठान में 3 श्रमिक यूनियन कार्यरत हैं।

(1) रजा टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन, रामपुर। (2) रजा टेक्सटाइल्स मजदूर संघ, रामपुर, और (3) कपड़ा मिल मजदूर यूनियन, रजा टेक्सटाइल्स, रामपुर। ज्वाला फैब्रिक्स सहित पूरे प्रतिष्ठान के श्रमिकों का नेतृत्व रजा टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन करती आ रही है। ज्वाला फैब्रिक्स ब्रांच में अलग से कोई यूनियन पूर्व में पंजीकृत नहीं थी। इस ब्रांच में अलग से ज्वाला फैब्रिक्स कर्मचारी यूनियन, रामपुर दिनांक 20-8-80 को पंजीकृत हुई है।

(2) शासकीय अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 1974 द्वारा कानपुर के बाहर स्थित प्रदेश की सूती मिलों को 4 वर्गों में विभाजित कर उनमें कार्यरत श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया था। उक्त अधिसूचना के अनुसार मेसर्स रजा टेक्सटाइल्स, रामपुर को वर्ग "बी" में रखा गया। कानपुर स्थित सूती मिलों के लिये वेतन भत्ते अलग निर्धारित हुये थे।

(3) मेसर्स रजा टेक्सटाइल्स के सेवायोजकों ने उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 1974 के विरुद्ध याचिका दायर करके स्थगन प्राप्त कर लिया। याचिका के विचाराधीन रहते हुये सेवायोजकों ने दिनांक 1 मई, 1979 को प्रतिष्ठान में उस समय कार्यरत तीनों पंजीकृत यूनियनों से एक समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार भारतीय अधिसूचना में निर्धारित वेतन तथा मंहगाई भत्ते से कम दरों पर वेतन तथा मंहगाई भत्ता श्रमिकों को देय था। सेवायोजकों ने उक्त समझौते के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय से उनके द्वारा दायर याचिका में निर्णय देने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार करते हुये न्यायालय द्वारा याचिका का निस्तारण कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में राज्य सरकार को यह निर्देश दिये कि राज्य सरकार उक्त समझौता दिनांक 1 मई, 1979 को मान ले और अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 1974 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के अनुपालन पर आग्रह न करे। इस निर्णय के विरुद्ध शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव टू अपील दायर की गई है। उक्त समझौते दिनांक 1-5-79 के अनुसार दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 को प्रतिष्ठान के श्रमिकों को देय वेतन की कुल परिलब्धियां 368·82 रु0 थी, जबकि शासकीय अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 1974 के अनुसार ये परिलब्धियां 406·40 होनी चाहिये थी। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अन्तर के अतिरिक्त वर्ष 1979 में प्रदेश की सूती मिलों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन एवं मंहगाई भत्ते में और बढ़ोत्तरी हुई है।

(4) मेसर्स रजा टेक्सटाइल लि0, रामपुर में कार्यरत रजा टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन ने अपने पत्र दिनांक 5-8-80 द्वारा 36 सूत्रीय मांग पत्र प्रबन्धकों को दिया था, जिसमें प्रमुख मांग यह थी कि ज्वाला फब्रिक्स को "बी" श्रेणी का प्रतिष्ठान माना जाय और सरकारी अधिसूचना के लागू होने की तिथि से बकाये का भुगतान किया जाय तथा कानपुर के वस्त्र उद्योग के श्रमिकों को दी गई रु0 45 की वेतन वृद्धि के समान ही प्रतिष्ठान के सभी श्रमिकों को वेतन वृद्धि दी जाये। इस मांग पत्र के सम्बन्ध में समय-समय पर उभय पक्षों में वार्ता कराई गई, परन्तु कोई सहमति नहीं हो सकी।

(5) वर्तमान आन्दोलन का आरम्भ ज्वाला फैब्रिक्स के श्रम कर्मचारी यूनियन द्वारा किया गया जिसने रजा टेक्सटाइल्स व ज्वाला फैब्रिक्स के श्रमिकों की मांगों को सक्रिय रूप से उठाया। इस यूनियन ने दिनांक 1-10-80 को प्रबन्धकों को एक 11 सूत्री मांग पत्र दिया, जिसमें प्रमुख मांग यह थी कि कानपुर की सूती मिलों के कर्मचारियों को 1-4-1979 से दी गई 45 रु0 की वेतन वृद्धि एरियर सहित रजा टेक्सटाइल्स एवं ज्वाला फैब्रिक्स के कर्मचारियों को भी दी जाय। इस यूनियन ने दिनांक 24-10-1980 को एक और मांग पत्र दिया जिसमें यह सूचित किया गया था कि यदि राजाज्ञा दिनांक 26-4-1974 के अनुसार श्रमिकों को पूरे बकाया के भुगतान सहित उनकी अन्य मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तो वे दिनांक 14-11-1980 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल तथा 24-11-1980 से अनिश्चित कालीन हड़ताल करेंगे।

[श्री राम नारायण पाठक—]

सांकेतिक हड़ताल दिनांक 14-11-1980 के बजाय दिनांक 15-11-1980 को की गई और दिनांक 24-11-1980 से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारम्भ कर दी गई, जो अभी तक चल रही है ।

6—मामले को सुलझाने के प्रयास दिनांक 21-11-80, 9-12-80, 27-12-80 तथा 5-1-81 को मंत्रिस्तर पर भी किये गये, परन्तु पक्षों के अपने-अपने मतों पर दृढ़ रहने के कारण कोई समझौता नहीं हो पाया । सेवायोजक ज्वाला फैब्रिक्स यूनियन के पदाधिकारियों या सीटू के पदाधिकारियों के साथ वार्ता करने को तैयार नहीं हैं ।

7—दिनांक 2-2-81 को प्रतिष्ठान के जनरल सुपरिन्टेन्डेन्ट, श्री बी0 के0 श्रीवास्तव ने श्रमिकों की एक मीटिंग में रजा टेक्सटाइल्स के श्रमिकों के बारे में निम्नलिखित घोषणा की :—

(1) जिन हड़ताली श्रमिकों को हड़ताल के कारण कार्य से पृथक् कर दिया गया है, उन्हें काम पर वापस ले लिया जायेगा ।

(2) सभी श्रमिकों के वेतन में रुपया 35 प्रतिमास की वृद्धि की जायेगी ।

(3) रजा टेक्सटाइल्स लि0, रामपुर को "बी" श्रेणी का कारखाना माना जायेगा तथा इसके अनुसार प्राप्त होने वाले लाभ श्रमिकों को दिये जायेंगे ।

(4) पीसरेट कर्मचारियों के वेतन के ढांचे में परिवर्तन करके 300 अंक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से उत्पादन को सम्बद्ध किया जायेगा ।

(5) श्रमिकों को 300 अग्रिम भुगतान किया जायेगा, जिसमें 150 रुपये वापस न होने वाली (नान-रिफण्डेबुल) तथा 150 रुपये वापस की जाने वाली अग्रिम धनराशि होगी । वापस की जाने वाली धनराशि का समायोजन बढ़े हुये वेतन के विरुद्ध कर दिया जायेगा ।

(6) हड़ताल के कारण जो उत्पादन की हानि हुई है, उसके लिये श्रमिक अवकाशों में कार्य करेंगे, जिसका उन्हें वेतन दिया जायेगा ।

श्री श्रीवास्तव ने यह भी घोषणा की कि यदि श्रमिक दो दिन में काम पर वापस नहीं लौटते हैं, तो उनकी उपरोक्त घोषणा अमान्य समझी जायेगी । उक्त दो दिन की अवधि को सेवायोजकों ने दिनांक 9-2-81 तक बढ़ा दिया था, पर हड़ताल वापस न होने के कारण उन्होंने अपना उपर्युक्त प्रस्ताव वापस ले लिया । दिनांक 3-2-81 को श्रमिक प्रतिनिधि तथा स्थानीय विधायक मुख्यमंत्री जी से मिले थे और यह निश्चय किया गया कि सेवायोजकों से इस सम्बन्ध में बातचीत करके समझौते का प्रयास कराया जाय इसके लिये 12-2-81 को मंत्रिस्तर पर गाजियाबाद में सेवायोजकों तथा श्रमिक प्रतिनिधियों से वार्ता हुई, जिसमें श्रमिक प्रतिनिधियों की ओर से यह कहा गया कि वर्ष 1979 में जो वेतन वृद्धि प्रदेश में अन्य सूती मिलों द्वारा दी गई है, कम से कम उसे सेवायोजक प्रदान कर दें, किन्तु सेवायोजकों की ओर से पूर्व में घोषित किया गया प्रस्ताव ही दोहराया गया । अतः कोई समझौता नहीं हो सका । प्रतिष्ठान में आंशिक हड़ताल जारी है ।

8--दिनांक 24-11-80 को हड़ताली मजदूरों ने एक गैर-हड़ताली श्रमिक को पिटाई की तथा उन्होंने मेसर्स ज्वाला फैब्रिक्स में जबरन घुसने का प्रयास किया, जिनको फैक्टरी के अन्दर उपस्थित कर्मचारियों ने घुसने नहीं दिया। दिनांक 24-11-80 को पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया।

9--दिनांक 25-11-80 को कुछ अज्ञात हड़तालियों ने मिल के ट्यूबवेल के कटआउट व स्टार्टर तोड़ दिये, जिससे मिल के अन्दर पानी की सप्लाई बन्द हो गई। उसी दिन रात्रि में हड़ताली श्रमिकों का एक जुलूस चौधरी हर सहाय सिंह आदि के नेतृत्व में नारेबाजी करता हुआ और धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेशों का उल्लंघन करता हुआ प्रतिष्ठान के आफिस गेट पर पहुंचा तथा एक निजी कार में जा रहे कर्मचारियों को उतार कर उनके साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर जब पुलिस वहाँ पहुंची तो हड़ताली श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे 6 पुलिस कर्मचारियों को साधारण चोटें आयीं। पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग करके चौधरी हर सहाय सिंह सहित 10 अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार किया।

10--दिनांक 24-11-80 व 25-11-80 को गैर-हड़ताली मजदूरों को रोकने व मारने पीटने की मिल गेट के आसपास कई घटनायें हुईं। 25-11-80 को रात्रि में हड़तालियों द्वारा आफिस गेट पर मारपीट व हिंसा के पश्चात् नगर मजिस्ट्रेट ने मिल गेट पर लगे हड़तालियों के टेन्ट में उपस्थित दो व्यक्तियों को टेन्ट हटा कर 300 मीटर दूर लगाने के निर्देश दिये, किन्तु दोनों व्यक्ति टेन्ट छोड़ कर कहीं चले गये और वापस नहीं आये। ऐसी स्थिति में उसमें रखा हुआ सामान 3 दरी, 4 शामियाने, 6 परदे, 5 लोहे की खूटियां 3 कनातें तथा 3 बोरी धान जनता टेन्ट हाउस, सिविल लाइन्स, रामपुर के मालिक की सुपुर्दगी में तथा लाउड स्पीकर से सम्बन्धित सामान सराना लाउडस्पीकर, सिविल लाइन्स, रामपुर की सुपुर्दगी में दे दिया गया। सामान लूटने एवं झण्डा आदि जलाने के आरोप सत्य नहीं हैं। दिनांक 10-12-80 को एक गैर-हड़ताली श्रमिक को काम से लौटते समय 9 हड़ताली कर्मचारियों द्वारा रास्ते में पीटा गया। पुलिस में रिपोर्ट होने पर तथा यह जानकारी प्राप्त होने पर कि उक्त घटना में नामजद अभियुक्त घर में हैं, पुलिस उसे गिरफ्तार करने हेतु उसके घर पहुंची। उसने किवाड़ बन्द कर भीतर से दूसरे मकान में कूदने की चेष्टा की, परन्तु वह गिर पड़ा तथा उसे कुछ चोटें आयीं। अभियुक्त गिरफ्तार कर थाने लाया गया तथा चोट के इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। पुलिस द्वारा किसी श्रमिक के घर में घुसकर किसी को भी मारने पीटने अथवा अभद्रता करने के आरोप सही नहीं हैं।

11--शासन द्वारा शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध कर दिये गये हैं। उभयपक्षों के सहयोग से मामले को सुलझाने के लिये सरकार सदा तैयार है।

*श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रामपुर रजा टैक्सटाइल मिल के बारे में अभी 10-12 दिन पहले यह निर्णय लिया गया था कि उसको 'बी' कैटेगरी की मिल घोषित किया गया था। यदि हां, तो 'बी' कैटेगरी की जो दूसरी मिलें हैं। वहां के मजदूरों के वेतन में और इस रजा टैक्सटाइल मिले के मजदूरों के वेतन में जो 120 रुपये का अब भी अन्तर है उसका क्या कारण है? माननीय दीक्षित जी के यहां अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर, लेबर सेक्रेटरी आदि कई

[श्री मुहम्मद आजम खां--]

अधिकारी मौजूद थे और श्री कर्नल सिंह, जो लेबर सचिव भी हैं, उन्होंने हिसाब लगाकर यह बताया था कि यहां के वेतन में 120 रुपये का अन्तर है। इसके अलावा इसमें जिस यूनियन से समझौता करने की बात कही गयी है वह कोई समझौता नहीं है। उस यूनियन से समझौता करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। वह मजदूरों की इलैक्टेड यूनियन है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया प्रश्न पूछें, आप तो वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट आर्डर जो 1 4-79 का है जो और मिलों पर लागू हुआ था वह इस रामपुर मिल पर लागू हुआ या नहीं, यदि नहीं तो क्यों ? और जो यह वेतन में 120 रुपये का अन्तर है उसको दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

(समय 5 बजे अपराह्न)

श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

यह बात सही है कि रामपुर रजा टैक्सटाइल मिल के मजदूरों को जो वेतन मिल रहा है वह अन्य मिलों से कम है। दिक्कत की बात यह है कि 26 अप्रैल, 1974 को एक सरकारी अधिसूचना जारी हुई थी, और उस अधिसूचना के अनुसार रु0 37·50 की वृद्धि वहां 27 अप्रैल के बाद देय थी। किन्हीं कारणों से सन् 1974 से लेकर 30 अप्रैल, 1979 तक मजदूर संघर्ष करते रहे और किसी तरह से उस दिन तक उसे वह उपलब्ध न हो सकी, जो उपलब्ध होनी चाहिए थी। कारण उसका एक है कि मालिकों ने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की और रिट में एक पेंच था, पेंच यह था कि त्रिदलीय सम्मेलन ने जो निर्णय किया था, उस निर्णय के अनुसार वेतन आदि मसलों को तय करने के लिए श्री बृज बाल सिंह सेठ की, जो एक ट्रिब्युनल के जज थे, अध्यक्षता में एक त्रिदलीय समिति बनी। समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, समिति के लोग मिले और मिलने के बाद उन्होंने तत्कालीन माननीय श्रम मंत्री जी को अधिकार दिया कि वह जैसा फैसला चाहें, कर दें। यह 26 अप्रैल, 74 का जी0 ओ0 कहिए या सरकारी अधिसूचना कहिये, तत्कालीन श्रम मंत्री जी के निर्णय पर आधारित था, पेंच यह था कि जिस आदमी को पावर डेलीगेट हुई है, क्या वह पाई हुई पावर को किसी दूसरे को डेलीगेट कर सकता है। यह इसमें पेंच पड़ गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप उत्तर बाद में पूरा कर लीजियेगा। अब माननीय वित मंत्री आप यह लेखानुदान प्रस्तुत कर लें।

वित्तीय वर्ष 1981-82 के एक भाग के लिए लेखानुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 1981-82 के एक भाग के लिए लेखानुदान को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वित्त मंत्री, रुक जायं, कापियां वितरित हो जाने दीजिए । कापियां वितरित करवा दें, (प्रतियां वितरित किये जाने के बीच) ।

श्री दल सिंगार यादव द्वारा आय-व्ययक की सामान्य चर्चा में दुबारा किये भाषण को कार्यवाही का अंग न बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं । माननीय दल सिंगार जी ने आज बजट भाषण में भाग लिया । इसके पहले 4 तारीख को भी वह इसमें भाग लिये थे । उनका नाम पुकार लिया गया और वह बोले । लेकिन यह नियम के अनुकूल नहीं है, नियम के प्रतिकूल है । ऐसे मामले में ऐसी व्यवस्था है कि यदि ऐसा कोई दुबारा भाषण हो, तो वह कार्यवाही का अंग न बने । इसलिए उनका भाषण कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

अब कापियां वितरित हो गयी होंगी । अब माननीय श्रम मंत्री जी ।

रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, रामपुर में अनिश्चित कालीन हड़ताल एवं पुलिस द्वारा मजदूरों व उनकी स्त्रियों की पिटाई तथा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि हाई कोर्ट में याचिका दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । हाई कोर्ट का निर्णय दिसम्बर, 1979 में हुआ । इस बीच में मजदूर सब परेशान थे । यहां एक यूनियन की बात नहीं । वहां कुल जमा 3 यूनियन थीं 4 नहीं थीं 30 अप्रैल को । उन तीनों यूनियनों ने पहली मई, 79 को डिप्टी लेबर कमिश्नर के सामने समझौता किया । सभी यूनियनों ने न केवल निर्विवादरुप से समझौता किया, अपितु उसके बाद दिसम्बर को हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो हाई कोर्ट ने, अपने फैसले को उसी समझौते पर आधारित किया, जो पहली मई को हुआ था, उसी के आधार पर उसने फैसला दिया । उस फैसले से सरकार को तकलीफ हुई और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में परमीशन लेकर अपील की । लेकिन यहां एक बात बताना आवश्यक है कि इन यूनियनों ने केवल समझौता ही नहीं किया, बल्कि इनके वकीलों ने हाई कोर्ट के सामने भी कहा कि उन्होंने समझौता किया है । उनको समझौता मन्जूर है और कोर्ट का फैसला उसी के अनुसार होना चाहिए । इसलिए यह कहना सही नहीं है कि आई० एन० टी० यू० सी० की यूनियन से समझौता हुआ है तीन यूनियन थीं और तीनों ने समझौता किया था ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह तो स्टेटमेन्ट पर स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं । जो क्वेश्चन हैं, उनका जवाब बता दें ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, गवर्नमेन्ट आर्डर्स इनफोर्सबिल एक साल के लिया हुआ करते हैं और जो 26 अप्रैल, 74 का जी0 ओ0 था उसकी अवधि एक वर्ष की थी। जिस यूनियन ने 11-सूत्रीय मांग पेश किया, वह यूनियन 1980 के बाद के आधे वर्ष में बनीं और वह अकेली ज्वाला फैब्रिक इकाई उसके कर्मचारियों के लिए बनी, बाद में उसने अपना काम आगे फैलाया। वहां की एक यूनियन ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके इस बात का स्टे ले लिया कि ज्वाला फेब्रिक के प्रतिनिधि के रूप में जो यूनियन रजिस्टर हुयी है उसे रजा टेक्सटाइल के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। इस पर मुकदमा दायर हुआ और सिविल अदालत न एक स्टे आर्डर भी दे दिया जिसके मातहत रजा टेक्सटाइल कम्पनी के कर्मचारियों की तरफ से प्रतिनिधित्व उसे करने का अधिकार नहीं रहा। यह बात तो एक तरफ रही, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसके बावजूद जितने सारे प्रयास जितने हो सकते हैं, मैंने कई बार अपने स्तर पर दोनो पक्षों को बुलाकर हमने बातचीत कराई।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह तो स्टेटमेन्ट पर स्टेटमेंट हो रहा है। मान्यवर, होना यह चाहिए कि हम सप्लीमेन्ट्री करें और माननीय मंत्री जी उसका जवाब दें।

श्री खुदादीन अन्सारी--

मान्यवर, टेकनिकल सबजेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य पढ़कर नहीं आये।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया और हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। तो हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ। उस डिसीजन के अनुसार रामपुर के मजदूरों को और रजा टेक्सटाइल के मजदूरों को कितनी बढ़ोत्तरी होती थी 'बी' कटेगरी के हिसाब से और सरकार को किस चीज की आपत्ति थी जिससे कि अपील सुप्रीम कोर्ट में किया और जिसमें मजदूरों का हित समझा ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन् मैंने प्रारम्भ में ही बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपील किया। हाई कोर्ट का जब तक फैसला रहता है तब तक उसी पक्ष को कानूनी मान्यता मिली है जो मालिकों का पक्ष है।

श्री रियासत हुसैन--

हमने तो स्पष्ट यह बात पूछी थी कि जो सबजेक्ट डिस मेंटर हो गया रजा टेक्सटाइल मजदूरों को वह नहीं दिया उस पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और गवर्नमेन्ट सुप्रीम कोर्ट चली गई। क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे हाई कोर्ट के फैसले के बाद रजा टेक्सटाइल के मजदूरों को क्या एडवांटेज थी या डिसएडवांटेज थी जिसके कारण हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सरकार सुप्रीमकोर्ट में गई ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मैं माननीय सदस्य का ध्यान वक्तव्य के पृष्ठ 2 पर आकर्षित करना चाहता हूं इसको देखलें 368 रुपये और उसके आगे ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह बात माननीय मंत्री जी और सरकार ने मान लिया है कि बी कैटागरी की मिल है और तनख्वाह में फर्क है । मैं यह मानकर चलता हूं कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई जिसे राजमंगल पान्डे के नाम के एवार्ड से जाना जाता है जब दूसरी मिल 45 रुपया कानपुर मिल का नजीर मानकर मोदी नगर मिल ने 65 रुपया सहारनपुर में 45 रुपया और दूसरे जिलों में सिवा रामपुर के सारी मिलों म 45 रुपया बढ़ा दिया तो क्या कारण है जिसके कारण इसको रामपुर में लागू नहीं किया गया दूसरा ।

श्री अध्यक्ष--

आप कई प्रश्न साथ पूछ लेते हैं तो उत्तर लम्बा हो जाता है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित है । और फिर 20 रुपये माहवार की बढ़ोत्तरी हुई, फिर 6 रुपया और फिर एक-35 की बढ़ोत्तरी हुई यह सभी मिलों में लागू हुआ तो इसको रामपुर में क्यों लागू नहीं किया गया ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जिन आदेशों का उल्लेख यहां किया गया है उनमें से एक आदेश विशेष रूप से कानपुर कपड़ा मिल के कर्मचारियों के लिए निकला था दूसरा आदेश यू० पी० टेक्सटाइल कारपोरेशन से सम्बन्धित था । अन्य जगहों पर इसी को आधार मानकर आन्दोलन हुआ और आन्दोलन के फलस्वरूप मजदूरों ने उनको प्राप्त कर लिया। यह तो उनका अधिकार हमेशा रहा है और आज भी है कि वह निगोसियेशन के जरिए कोई चीज प्राप्त कर लें ।

श्री मोहन सिंह--

यह सरकार बार बार यह घोषणा करती है कि जिन जगहों पर मिल मालिकों और मजदूरों में झगड़ा होगा सरकार मजदूरों का साथ देगी और इसके लिए मंत्री जी अपनी पार्टी की ओर से अपनी पीठ भी ठुकवा लिए । मोदीनगर में 130 दिन हड़ताल चली और वहां मुख्य मंत्री....।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या वक्तव्य से परे ऐसी कोई बात या प्रश्न, जो नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया गया हो, किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

जो वक्तव्य दिया जाता है वह किसी विषय पर दिया जाता है और उस विषय को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है ।

श्री मोहन सिंह--

मोदीनगर में ऐसी परिस्थितियां थीं कि वहां का सेवायोजक जो वहां की अधिकृत मजदूर यूनियन थी उससे बातचीत करने को तैयार नहीं था। रजा टैक्सटाइल के सम्बन्ध में माननीय श्रम मंत्री जी को अपना निर्णय सुनाना पड़ा था। इसमें स्वयं कह रहे हैं कि दिनांक 2-2-81 को प्रतिष्ठान के जनरल सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री बी० के० श्रीवास्तव ने श्रमिकों की मीटिंग में रजा टेक्सटाइल्स के श्रमिकों के बारे में कुछ घोषणायें की थीं। मैं जानना चाहता हूं कि शासन को इस बात की जानकारी है कि मजदूरों के हित सुरक्षित रहें, हड़ताल जो लगभग ढाई महीने होने जा रहे हैं, को समाप्त कराने के लिए दोनों पक्षों को जिन यूनियनों ने हड़ताल की नोटिस दी और जिसके संगठन में इतने संगठित रूप से हड़ताल हो रही है, उसमें शासन क्या पहल करने जा रही है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, समझौता जब हुआ था उस समय मोहन सिंह जी की ही सरकार थी। इसके लिए हमको दोष न दें। और जो मोहन सिंह जी चाहते थे वही हमने किया, केवल वही यूनियन बुलाई गयी जिसको वे चाहते हैं। तो कम से कम इस बात के लिए तो वे हमारी पीठ ठोंके।

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, क्या मई, 1979 के समझौते के अनुसार 368 रुपये मिले अगर नहीं, तो क्यों और आज 286 रुपये मिल रहे हैं तो शेष बेगें ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, जहां तक इनके मित्र का दावा है उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। जो स्टेटमेन्ट है सामने, मई, 79 और दिसम्बर, 79 के फसले के अनुसार अगर एक पैसा मजदूरों का बाकी है तो वह मिलेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो राजमंगल अवार्ड था वह मामला हाईकोर्ट में चला गया बाकी बहुत से ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में नहीं गये। तो क्या शासन आगे प्रयास करने जा रहा है कि जो अवार्डस हो चुके हैं उन अवार्ड्स को लागू करवाने के लिए प्रभावी तरीके से प्रयास करेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जो अधिकार हमको कानून ने दिये हैं, उससे हम केवल विवादों का रिफरेंस कर सकते हैं इसलिए हम केवल वचन दे सकते हैं कि बराबर वार्ता करने का प्रयास करते रहेंगे। हमारे पास इतनी ही ताकत है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो शासन का निर्णय था उनके अनुसार कि उनको इतना मिलना चाहिए और इतना बकाया है, तो सरकार को अधिकार है कि अगर निर्धारित रकम से ज्यादा रकम हो जायेगी तो राजस्व के तरीके से वसूल करके उनको दिलाया जायेगा।

मेरी इस जानकारी को सही मानकर क्या सरकार राजस्व के तरीके से वह पैसा वसूल करके मजदूरों को दिलाने के लिए उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जो कुछ कानून में सम्भव है, सरकार सब करेगी।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मन्त्री जी का यह कथन सही है कि मिल मालिक के साथ सिर्फ उसी यूनियन को बुलाया गया, जिसने हड़ताल की काल दी है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि मिल मालिक ने कई रोज पहले 35 रु0 साल की बढ़ोत्तरी का एलान कर दिया। इसके बाद अभी 4–5 रोज पहले राज्य मन्त्री पाठक जी रामपुर गये। आपने एक स्मगलर के घर खाना खाया ....।

(शोर)

श्री अध्यक्ष —

(श्री मुहम्मद आजम खां की ओर इंगित करते हुए)

आप इस बात को छोड़िये, आपको जो प्रश्न करना हो करिये।

श्री मुहम्मद आजम खां—

तो मान्यवर, मन्त्री जी ने गेट पर एक सभा बुलाकर 40 रु0 का ऐलान कर दिया और यह ऐलान जहां पर खाना खाया गया था, वहां पर तय हुआ था, उसे मिल मालिक ने मानने से इन्कार कर दिया। 40 रु0 का ऐलान मन्त्री जी ने किया और यह कहा कि जो भी ऐलान होगा उसे मनवा लिया जायगा। तो इसके बारे में मन्त्री जी का क्या ख्याल है कि वह 35 रु0 का ऐलान क्या था और 40 रु0 का ऐलान क्या था ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री राम नारायण पाठक)—

मान्यवर, यह बात जो माननीय सदस्य ने कही है, वह सही नहीं है और अखबार झूठ बोलता है ..।

(शोर)

मैं फिर कहता हूं कि नहीं कहा है। मैंने श्रीमन् यह कहा था कि जो वहां के मेम्बर आफ पार्लियामेन्ट हैं, उन्होंने इन लोगों से कहा था कि म इन्हें, जो मालिक ने कहा है, 35 रु0 ज्यादा दिलाऊंगा और मैंने सिर्फ यह कहा था कि अगर सभी लोग राजी होंगे तो सरकार उसका एग्रीमेण्ट करा देगी।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर,, मैं इस पर एक प्रश्न करना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष —

इस पर सब प्रश्न हो चुके हैं, अब मैं एजेन्डे का 16वां आइटम ले रहा हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष —

अब कोई प्रश्न करने की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि मैंने माननीय मन्त्री जी को बुला लिया है ।

श्री मुहम्मद आजम खां —

आप प्रश्न नहीं करने दे रहे हैं तो मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मुहम्मद आजम खां सदन त्याग कर चले गए)

बुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट कालेज कुशीनगर, जिला देवरिया के छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

प्राप्त सूचनानुसार तथ्य इस प्रकार हैं कि बुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट कालेज कुशीनगर में छात्रसंघ के चुनाव को लेकर वहां के छात्र दो गुटों में विभक्त थे । कालेज के प्रधानाचार्य ने दिनांक 28-1-1981 को छात्रसंघ का चुनाव दिनांक 11-2-1981 को किये जाने का निर्णय किया । उक्त चुनाव में एक गुट के नेता श्री मैनेजर पान्डे, तत्कालीन अध्यक्ष छात्रसंघ, श्री मारकण्डे पान्डेय को अपने गुट की ओर से इस कालेज के छात्रसंघ का अध्यक्ष बनाना चाहते थे जबकि श्री मारकण्डे का बी0 ए0 द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नहीं किया गया था और बुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट कालेज कुशीनगर में प्रवेश दिनांक 7-1-1981 को बन्द किया जा चुका था । श्री मैनेजर पाण्डेय उक्त श्री मारकण्डे पान्डेय तथा कुछ अन्य छात्रों को उक्त तिथि के बाद कालेज में प्रवेश देने हेतु प्रधानाचार्य पर दबाव डाल रहे थे । प्रधानाचार्य ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की । अतः दिनांक 30 जनवरी, 1981 को प्रातः लगभग 10-30 बजे जब प्रधानाचार्य अपने कार्यालय में थे श्री मैनेजर पान्डेय व श्री मारकन्डेय पान्डेय ने काफी छात्रों के साथ ललकारते हुए उनके कमरे में प्रवेश किया, उनका घिराव किया और उन्हें गला पकड़ कर मारने लगे । इसी बीच शोर सुनकर उक्त महाविद्यालय के कुछ अध्यापक और कर्मचारी प्रधानाचार्य की सहायतार्थ पहुंच गये । साथ ही सूचना पाकर परगनाधिकारी व क्षेत्राधिकारी पुलिस मय पुलिस फोर्स के कालेज प्रांगण में पहुंच गये । अधिकारियों द्वारा चेतावनी दिये जाने पर छात्रों ने प्रधानाचार्य को छोड़ दिया, लेकिन पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया जिससे थानाध्यक्ष कसया, एक सब-इन्सपेक्टर पुलिस और 3 सिपाही नागरिक पुलिस तथा 4 सिपाही पी0 ए0 सी0 को चोटें आईं । छात्रों की उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने छात्रों को भगाना शुरू किया । तदोपरान्त आन्दोलनकारी छात्रों ने रोडवेज की बस संख्या यू0 टी0 क्यू0 4065, बस संख्या यू0 टी0 क्यू0 477 तथा बस संख्या यू0 टी0 ए0 9003 के शीशे तोड़ दिए तथा बस संख्या यू0 टी0 यू0 4065 को जलाने का प्रयास किया जिसे पुलिस ने जलने से बचा लिया । उक्त घटना में रोडवेज के ड्राइवर, कन्डक्टर आदि को चोटें आईं । कुल 36 छात्र पुलिस द्वारा मौके पर गिरफ्तार किए गये थे जिनमें 33 छात्र दिनांक 31-1-81 को तथा 3 छात्र 2-2-81 को परगनाधिकारी पडरौना/जे0 एम0 कसया द्वारा छोड़ दिये गए थे । घटना में भारतीय दण्ड विधान की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत पांच अभियोग पंजीकृत हुए हैं । देवरिया जनपद में समस्त शिक्षण संस्थायें सामान्य रूप से कार्यरत हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

3—यह कहना गलत है कि पुलिस व पी0 ए0 सी0 के जवानों ने उक्त कालेज के छात्रों पर घटना के दिन लाठीचार्ज किया। कुछ छात्रों को आपसी धक्का मुक्की और पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय प्रयोग किये गये न्यूनतम बल के फलस्वरूप हल्की चोट आई। किसी राहगीर अथवा छात्रा को पुलिस द्वारा पीटा नहीं गया और न ही किसी छात्र की घड़ी, कलम पैसा छीना गया। अलबत्ता एक छात्र के सिर में लड़कों द्वारा किये गए पथराव से ही चोट आई और उसका प्राथमिक उपचार कुशीनगर में एक प्राइवेट चिकित्सालय में करा दिया गया था। उक्त घायल छात्रा अब ठीक है। यह कहना भी सही नहीं है कि थाने पर पुलिस अधीक्षक ने लड़कों की पिटाई का कोई आदेश दिया और वहां पर पुलिस द्वारा उन्हें मारा पीटा गया। गिरफ्तार छात्रों के लिए हवालात में चाय, भोजन तथा पानी की व्यवस्था की गई थी और किसी भी जन प्रतिनिधि या जिम्मेदार व्यक्ति को मिलने से नहीं रोका गया था।

श्री हरिदंश सहाय—

माननीय मंत्री जी ने दूसरे पैरा में जो बयान दिया है वह सत्य से परे है। छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया था, उनका हाथ टूटा और लड़कों के दांत भी टूटे। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि एक छात्रा के सर पर चोट है और उसका उपचार कराया गया। कोई जन प्रतिनिधि मौके पर नहीं गया यह भी गलत है। विधान सभा के सदस्य जनार्दन प्रसाद ओझा मौके पर गये थे। उनको एस0 पी0 ने डांट कर भगा दिया। छात्रों की घड़ी और कलम छीन लिये गये और उनकी पिटाई की गयी। क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो यह बताया गया कि छात्रों के हाथ या दांत टूटे तो इस सम्बन्ध में मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि कुल 26 छात्रों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनका मेडिकल कराया जाय। उनमें से 15 की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार उनके हल्की चोटें आईं और यह बतलाया कि यहां पर दर्द है। 12 छात्रों के निशान थे और फ्रेक्चर 26 छात्रों में से किसी के भी नहीं था। जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो माननीय सदस्य वहां तशरीफ ले गये थे उन्होंने उनके छोड़े जाने की बात कही थी तो उनसे कहा गया कि कागजी कार्यवाही हो जाय तो छोड़ दिया जायगा।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, 31 तारीख को मुझे समय मिला था और मैं वहां गया था तो मैंने देखा कि जेल में लड़कों को चोटें आयीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो देखा वह न कहें जो जानना चाहते हों वह कहें।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

आपने कहा है कि छात्रों को हल्की चोटें आयीं। मैं दावा करता हूं कि लड़कों की डाक्टरी लखनऊ में की जाय तो निश्चित रूप से पता चल जायेगा कि वह मारे गये हैं। क्या मन्त्री जी पुनः उनकी डाक्टरी करायेंगे ? जब जान चली जायगी तब आप कहेंगे कि मारा गया है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जितनी चिन्ता छात्रों की माननीय सदस्य को है उतनी ही हम लोगों को है । यहां पर सबकी मेडिकल रिपोर्टस आयी हैं । सम्मानित सदस्य किसी व्यक्ति विशेष को इंगित करेंगे जिनके चोटें आयीं हैं तो दोबारा भी जांच करायी जा सकती है ।

श्री कुबेर भन्डारी--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कुशीनगर और कसिया के बीच की दूरी 2 किलो मीटर है । जब इस घटना की सूचना मिली तो परगनाधिकारी और पुलिस वहां पर पहुंची और लाठी चार्ज हुआ । क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि दो किलोमीटर तक आते जाते कितना समय उनको लगा । डकैती होती है पुलिस नहीं पहुंचती है और यहां पर 2 किलोमीटर दूरी होते हुये भी पुलिस तुरन्त पहुंच गयी । तो सूचना थाने में दर्ज हुई या अधिकारी वैसे ही वहां आ गये ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह बड़ा मुश्किल है, अगर पुलिस तत्परता से कहीं पर पहुंच जाय तब भी शिकायत होती है और अगर नहीं पहुंच पाये तब भी शिकायत होती है । जब कालेज में टेंशन चल रहा था तो यह स्वाभाविक है कि वहां पर नजर रखी जा रही होगी, लोग मौजूद रहे होंगे । जब किसी शिक्षण संस्था में तनाव होता है तो उसकी सूचना रखी जाती है आस पास के पुलिस स्टेशन पर । जब यह घटना हुई और लोग जमा हुये तो सूचना थाने और परगनाधिकारी को दी गयी, लोग तत्परता से वहां आ गये । इसमें कोई शिकायत की बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी आदमी ने सूचना दिया कि प्रधानाचार्य को मारा जा रहा है और नम्बर दो यदि प्रधानाचार्य को मारा गया तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है ।

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना किसने दी इसका कोई विवरण नहीं है । लेकिन सूचना वहां पहुंची 2 कि0 मी0 दूरी को जीप या मोटर साइकिल से ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट में तय किया जा सकता है । जब सूचना पहुंची तो पुलिस वहां गयी ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि 26 लोगों को चोटें आयीं और यह भी बताया कि पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया । एक छात्र को चोट लगी उसके बारे में मन्त्री जी ने कहा है कि वह लड़कों के पत्थर से लगी । जिन लोगों को चोटें लगी हैं वह किसी वोपन से लगी बतायी गयीं हैं । जब लड़कों ने ढेले फेंके तो कोई पुलिस वाला घायल हुआ उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसके बारे में मैंने बताया है, पहले पेज पर जो वक्तव्य का आखिरी हिस्सा है कि एक सब-इंसपेक्टर पुलिस, 3 सिपाही नागरिक पुलिस तथा 4 सिपाही पी0 ए0 सी0 को चोटें आयी हैं । इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी इसी में लगी है ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहां अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में एक इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिया गया जिससे वहां का जीवन त्रस्त हो गया और मेरी समझ से उसमें कुछ ऐसे अराजक और अवांछनीय तत्व लड़कों और अध्यापकों के बीच में पहल किये जिससे अध्यापक मारा गया, नेशनल प्रापर्टी का लास हुआ, रोडवेज की बस जला दी गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे अराजक और अवांछनीय तत्वों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, वह की जायेगी ।

श्री मोहन सिंह--

मन्त्री जी को स्वयं जब यह वक्तव्य अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मिला होगा और पढ़ा होगा तो इनको स्वतः विसंगतियों का पता चला होगा । 28 जनवरी को फैसला चुनाव का होता है और उसी दिन मालूम होता है कि झगड़ा होगा और 30 तारीख को झगड़ा हो जाता है तो उसको बचाने के लिये प्रशासन ने क्या कार्यवाही किया ? दूसरी बात आप कहते हैं कि मैनेजर पांडे और उनके साथी पांडेय ने कमरे में घुस कर प्रधानाचार्य को मारने लगे और प्रधानाचार्य की सुरक्षा के लिये कर्मचारी और अध्यापक दौड़े । 4-5 मिनट बाद पुलिस आयी, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इन 4-5 मिनटों में मार पीट हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, किसी को चोट लगी होगी तो इन गैर शिक्षक कर्मचारियों, अध्यापक और प्रधानाचार्य को कितनी चोटें लगीं, उनकी डाक्टरी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक प्रिकाशनरी मेजर की बात है तो मैं बताना चाहता हूं कि यह उसी का नतीजा था कि इतनी तत्परता से पुलिस वहां पहुंच गयी । किसी प्रधानाचार्य के कार्यालय में घुस जाना और कोई अनुशासनहीनता पैदा करना मैं समझता हूं कि सम्मानित सदस्य भी उसको ठीक नहीं मानते होंगे और ऐसी टेन्डेन्सी पर कन्ट्रोल करना चाहिये ।

चोटों के सम्बन्ध में मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि प्रिंसिपल की इंजरी रिपोर्ट लगी है । एम0 ओ0-2 जी0 पी0 एच0 सी0 कसिया हैं उन्होंने परीक्षण किया है । बुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कुशीनगर, के प्रिंसिपल श्री विष्णु दुबे को और श्री बृज नन्दन प्रसाद तिवारी को चोटें आयीं हैं । श्री बृजनन्दन प्रसाद तिवारी को सीने के दाईं तरफ निशान थे, कन्धे के नीचे निशान काला पड़ गया था और 3" लम्बा था । एक निशान सीने के सामने तिरछी पोजीशन में था और सीने के ऊपर और कालरबोन के पास बाईं तरफ गाल में काफी दर्द था । दोनों तरफ बीपन के निशान लग रहे थे, यह प्रिंसिपल के चोटें हैं ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि पृष्ठ 2 पर चौथी पंक्ति में लिखा है कि कुल 36 छात्र पुलिस द्वारा मौके पर गिरफ्तार किये गये थे जिसमें 33 छात्र दिनांक 31-1-81 को परगनाधिकारी पडरौना/जे0 एम0 कसिया द्वारा छोड़ दिये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस धारा के अन्तर्गत यह छात्र गिरफ्तार किये गये ?

श्री अम्मार रिजवी--

धारा है मान्यवर, 147/332/504 और 506।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि गोरखपुर के डी0 आई0 जी0 के हस्तक्षेप से वहां के थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 33 छात्र किस धारा के अन्तर्गत छोड़े गये हैं, उनकी गिरफ्तारी किस धारा के अन्तर्गत हुई तो क्या परगनाधिकारी इस बात के लिये अधिकृत हैं कि वह उसकी जमानत ले सकते हैं। आप तो मान्यवर, एडवोकेट हैं आप ही बताइये कि क्या वे इसके लिये अधिकृत हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह माननीय दीक्षित जी, परगनाधिकारी मैजिस्ट्रेट होता है, वह किसी भी आदमी के लिये अधिकृत है कि वह उसकी जमानत ले सकता है।

श्री कुबेर भण्डारी--

मन्त्री जी कहें कि तनावपूर्ण स्थिति थी कालेज में, इसकी सूचना किसने दिया पुलिस को ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्न में समझ नहीं पाया।

श्री कुबेर भण्डारी--

जैसा कि अभी मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि उस तनावपूर्ण स्थिति को मिटाने के लिये वहां पर पुलिस थी तो जो कालेज में छात्र घुसे तो पुलिस उन्हें क्यों नहीं रोकी ?

श्री अम्मार रिजवी--

स्पष्ट नहीं हो पाया।

श्री कुबेर भण्डारी--

उसकी सूचना पहले किसने दी उस घटना की ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो दे चुके हैं।

श्री कुबेर भण्डारी—

निवेदन यह है मन्त्री जी, कि सबसे पहले पुलिस को इस घटना की सूचना किसने दी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो दे चुके हैं कि उनके पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

जब चुनाव की घोषणा की गई तो क्या झगड़े से पहले वहां के पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के प्रधानाचार्य ने कोई रपट दी थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से लड़कों के नाम थे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस प्रकार की कोई सूचना या परिपत्र की सूचना शासन के पास नहीं है।

अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
19 फरवरी, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बिहार पंचायत सचिव

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1197 पर)

संदर्भित पत्रों में वर्णित शिकायतों का संक्षिप्त विवरण

1—पतौरागंज श्मशान घाट के किनारे डा० जौहरी का निजी भवन होने के कारण उन्होंने श्मशान बन्द करा दिया ।

2—दिनांक 24-5-79 व 24-1-80 को विधान सभा में तारांकित प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं दिये गये ।

3—रेलवे विभाग द्वारा दायर मुकदमें की समुचित पैरवी नहीं की जा रही है ।

4—नगर के अन्य वर्गों के श्मशान घाटों को क्यों नहीं बन्द कराया जा रहा है ।

5—दिनांक 5-5-79 की बैठक की कार्यवाही पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

6—डाक्टर जौहरी ने संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 द्वारा प्रदत्त जनता के अधिकारों का हनन किया है ।

7—निरालानगर योजना में मुसलमानों की श्मशान भूमि पर डाक्टर जौहरी ने कोई रोक नहीं लगायी ।

8—उक्त श्मशान घाट के सम्बन्ध में एपेडेमिक ऐक्ट लागू करना डाक्टर जौहरी की साजिश थी ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1217 पर)

संलग्नक

भारत सरकार से अप्रैल, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक प्रदेश को प्राप्त डीजल, मिट्टी का तेल एवं चीनी का प्राप्त आवंटन तथा उसके विपरीत उठाने का विवरण—

	डीजल			मिट्टी का तेल		
माह	आवंटन (किलो-लिटर में)	उठान (किलो-लिटर में	प्रतिशत	आवंटन (किलो-लिटर में)	उठान (किलो-लिटर में)	प्रतिशत
1—अप्रैल, 1980	1,08,900	1,00,454	92	41,595	42,645	103
2—मई, 1980	1,21,000	1,10,923	92	43,738	44,663	102
3—जून, 1980	1,07,420	95,248	89	39,662	38,089	96
4—जुलाई, 1980	1,07,420	74,409	69	45,083	39,322	87
5—अगस्त, 1980	85,547	65,967	77	39,064	35,570	91
6—सितम्बर, 1980	92,324	87,170	94	39,064	40,477	104
7—अक्तूबर, 1980	99,982	96,007	98	35,965	36,629	101
8—नवम्बर, 1980	1,13,740	1,09,800	96.5	39,804	40,783	102
9—दिसम्बर, 1980	1,11,562	1,10,985	99	45,746	46,650	102

चीनी

माह	आवंटन (मी० टन में)	उठान (मी० टन में)	प्रतिशत
1—अप्रैल, 1980	41,826·4	40,587	97
2—मई, 1980	62,659·2	48,675	77
3—जून, 1980	60,711·2	48,787	80
4—जुलाई, 1980	41,778·8	41,917	100
5—अगस्त, 1980	41,766·2	41,354	99
6—सितम्बर, 1980	41,766·2	41,790	100
7—अक्तूबर, 1980	41,826·3	38,725	92
8—नवम्बर, 1980	41,766·2	33,148	79
9—दिसम्बर, 1980	41,769·9	32,715	78

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1218 पर)

शिकायत—श्री राम मूर्ति का दिनांक 14-11-79 को जिला अस्पताल, गोरखपुर में भर्ती होने के उपरान्त सुचारु रूप से देखभाल न होना।

जांच रिपोर्ट—आरोप पूर्णरूप से निराधार है।

शिकायत—2—मार्च, 1979 में अनशन की दशा में जिला अस्पताल, गोरखपुर में श्री राम मूर्ति को कई प्रकार से परेशान किया गया।

जांच रिपोर्ट—शिकायत की पुष्टि नहीं हुई।

शिकायत—3—अनशन के समय श्री राम मूर्ति को जो दवाइयां दी गई उससे उनकी हालत बिगड़ती गई।

जांच रिपोर्ट—बेड हेड टिकट देखने से यह पता चला कि उन्हें कोई गलत दवा नहीं दी गई और उनका सही इलाज हुआ।

शिकायत—4 5—जिला अस्पताल के अधिकारियों ने श्री राम मूर्ति से उपरोक्त प्रकार का दुर्व्यवहार किया और आम जनता के साथ भी इसी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं जिसका परिणाम गत 24-3-79 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ घटी घटना है।

जांच रिपोर्ट—श्री मूर्ति के साथ जिला अस्पताल के किसी अधिकारी ने दुर्व्यवहार नहीं किया और श्री मूर्ति ने ही स्वयं अस्पताल के कार्यों में बाधा डाली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 24-3-79 को जो घटना घटी इससे जिला अस्पताल से कोई सम्बन्ध नहीं है न ही श्री राम मूर्ति से सम्बन्ध है।

शिकायत 6—जब कोतवाली पुलिस द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो उन लोगों ने जहर वाली घटना की पुष्टि नहीं की और कहने लगे कि हम लोगों को ऐसी आशंका थी कि कोई जहर दे दिया होगा, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है।

जांच रिपोर्ट—जांच के समय भी यही पता चला कि चिकित्सकों को ऐसी शंका थी कि जहर या लिया या दे दिया गया है क्योंकि मरीज की आंखे लाल थी। इसी के अनुसार उन्होंने पुलिस को भी सूचना भेजी और मरीज के पेट की सफाई और उचित इलाज किया जिससे मरीज की हालत सुधरी। यदि पुलिस मरीज के पेट से निकले पदार्थ की जांच कराती तो पता चलता कि क्या था परन्तु पुलिस ने केमिकल इक्जामिनर से जांच के आदेश नहीं दिये।

शिकायत—7—संयुक्त निदेशक ने अपने पद का दुरुपयोग कर अनेकों अवैधानिक नियुक्तियां कीं।

जांच रिपोर्ट-शिकायत में कोई सत्यता नहीं है।

शिकायत—8—जिला अस्पताल तथा मंडल के सभी उच्च अधिकारी तथा इनके रहनों व स्टोर कीपर एक ही जाति के हैं।

जांच रिपोर्ट—आरोप सही है तदनुसार बहुत से कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया ।

शिकायत 9—अधीक्षक, जिला अस्पताल के कार्यालय के बाबू श्री पौहारी शरण श्रीवास्तव द्वारा बाजार भाव से ऊंचे दरों पर सामानों की आपूर्ति खुले आमरूप से कराई जाती है ।

जांच रिपोर्ट—श्री पौहारी शरण श्रीवास्तव, लेखा लिपिक के कार्य में कतिपय त्रुटियां पाई गईं । इस सम्बन्ध में अब सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

शिकायत 10—जिला एवं महिला अस्पताल में डाक्टरों एवं कर्मचारियों के लिए आवास की काफी कमी है ।

जांच रिपोर्ट—आवास की आवश्यकता है ।

शिकायत 11—अस्पताल के मरीजों से दवायें खरीदवाई जाती हैं ।

जांच रिपोर्ट—जांच के समय मरीजों ने दवायें न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत नहीं की ।

शिकायत 12—कर्मचारियों को समय से उचित वर्दी नहीं दी जाती है ।

जांच रिपोर्ट—किसी कर्मचारी ने यह शिकायत नहीं की कि उन्हें समय से वर्दी नहीं दी जाती है ।

शिकायत 13—जिला एवं महिला अस्पताल में पानी एवं बिजली का अभाव है ।

जांच रिपोर्ट—पूछताछ करने पर यह पता चला कि पानी व बिजली का कोई भी अभाव उक्त अस्पतालों में नहीं है ।

शिकायत 14—जिला एवं महिला अस्पतालों का अधिकांश कार्य फर्जी टेन्डरों पर किया जाता है । विशेष डाइट के नाम पर सेब दिया जाता था जिस सेब का भुगतान लगभग दस रुपये प्रति किलो की दर से किया गया है ।

जांच रिपोर्ट—डाइट, कन्टीजेन्सी, रिपेयर्स तथा लोकल पर्चेज आदि के लिए टेन्डर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा ही मांगे जाते हैं और स्वीकार किये जाते हैं । अतः यह कहना गलत है कि जिला एवं महिला अस्पताल का अधिकांश कार्य फर्जी टेन्डरों पर किया जाता है क्योंकि सभी टेन्डर इन अधिकारियों के द्वारा मांगे ही नहीं जाते । अधिक मूल्य का सेब खरीदने के लिए अधीक्षक एवं एकाउन्ट्स क्लर्क दोषी हैं ।

अब इस सम्पूर्ण मामले की जांच सतर्कता विभाग कर रही है ।

शिकायत 15—वार्डों पर काफी गन्दगी फैली रहती है ।

जांच रिपोर्ट—निरीक्षण के समय वार्डों को साफ-सुथरा पाया गया ।

शिकायत 16—बजट की कमी ।

जांच रिपोर्ट—अतिरिक्त अनुदान के बजाय नार्मल बजट ही बढ़ा देना चाहिए ।

शिकायत 17—कुछ विभाग में दवाओं की चोरी ।

जांच रिपोर्ट--स्टाक बुक में बैलेन्स के अनुसार माल भण्डार में उपलब्ध था।

शिकायत 18--पशुओं की दवायें मनुष्यों के लिए क्रय का उल्लेख करते हुए यह मांग की गई कि जांच आयोग बैठाया जाय।

जांच रिपोर्ट--जांच करने पर पता चला कि गोरखपुर जनपद के किसी चिकित्सालय के लिए वर्ष 1978-79 में कोई पशुओं हेतु गजट में अनुमोदित औषधि मनुष्यों के उपयोग के लिए नहीं खरीदी गयी।

शिकायत 19--नकली दवाओं के नमूने के सील में बरती गयी जानबूझकर अनियमिततायें।

जांच रिपोर्ट--जिला अस्पताल के औषधि भंडार में रखी 12 औषधियों का सैम्पुल लिया गया और पब्लिक अनालिस्ट उत्तर प्रदेश को परीक्षण हेतु भेजे गये।

शिकायत 20--जिला औषधियों के सैम्पुल लिये गये उनका एक सील्ड सैम्पुल शिकायतकर्ताओं को नहीं दिया गया।

जांच रिपोर्ट--शिकायतकर्ताओं की यह शिकायत उचित नहीं है कि सील्ड सैम्पुल की एक शीशी उन्हें नहीं दी गयी क्योंकि यह नियम नहीं है।

शिकायत 21--जिला अस्पताल, गोरखपुर के मैट्रन गोदाम में घोटाला।

जांच रिपोर्ट--तत्कालीन जिला अस्पताल मैट्रन के स्टोर में 18072 रुपये के सामानों की कमी पायी गयी जिसके लिए निदेशालय द्वारा इस मामले में मैट्रन का स्पष्टीकरण मांगने की संस्तुति की गयी ताकि स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उनकी वसूलयाबी की कार्यवाही की जा सके।

शिकायत 22--महिला अस्पताल में आपरेशन थियेटर, मच्छरदानी काण्ड तथा संयुक्त निदेशक के विरुद्ध आरोप।

जांच रिपोर्ट--50 मच्छरदानी स्टोर में ऐसी पायी गयीं जिसका उल्लेख वहां के अभिलेखों में नहीं था। ये मच्छरदानियां अच्छी नहीं पाई गईं। यह संस्तुति की गयी कि उन 50 मच्छरदानियों के पर्चे को वापस कर दिया जाय जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

संयुक्त निदेशक के विरुद्ध शासनादेशों को अवहेलना कर नियुक्ति करने एवं मेडिकल ट्रस्ट के नाम पर 40 रुपये लेने सम्बन्धी आरोप, जांच पर निराधार मिले।

शिकायत 23--डा० विजय कुमार बर्थवाल द्वारा मरीज के साथ दुर्व्यवहार तथा उसको आहत अवस्था में अस्पताल से भगाने, महिला अस्पताल में मरीज के खून की सफाई पैसा न मिलने पर न करने तथा गलत ग्रुप का खून चढ़ाने के कारण मरने तथा कुत्ता काटने की सुई का 100 रुपये न देने पर सुई लगाने से इन्कार करने पर हरिजन बालक की मृत्यु होने।

जांच रिपोर्ट--इन आरोपों के विषय में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दिया गया था न ही यह लिखा गया था कि किस तिथि का मामला है। मुख्य चिकित्साधिकारी तथा अन्य अधिकारियों से बात करने से विदित हुआ कि शिकायत निराधार है। फिर भी चिकित्साधिकारी को यह निदेश दिये गये कि वे समस्त चिकित्सालयों का दौरा सप्ताह में दो-तीन दिन अवश्य करें और मरीजों की चिकित्सा सुविधा में उनसे पूंछे और यदि कोई परेशानी हो तो उसे दूर करायें।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1234 पर)

संघ के प्रधान कार्यालय व शाखाओं पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण :—

श्रेणी	कुल कर्मचारी संख्या	प्रति नियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	सेवा मण्डल द्वारा चयनित कर्मचारियों की संख्या	तदर्थ	सेवा मण्डल के गठन से पूर्व नियुक्त तथा संविलियित कर्मचारियों की संख्या	दैनिक वेतन पर	पिछले तीन वर्षों में कम्प्यूटेशन के रूप में दी गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
							रु0
प्रथम	4	2	..	..	2	..	
द्वितीय	4	1	..	..	3	..	1,20,075·31
तृतीय	138	71	30	18	15	4	
चतुर्थ	132	3	74	24	11	20	
योग ..	278	77	104	42	31	24	1,20,075·31

पी0एस0यू0पी0—9 वि0 सभा—4-6-81—835—(पी0डी0)